लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

[खंड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXXV contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI.

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है ।]

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची

अंक 8—बुधवार, 25 नवम्बर, 1964/4 अग्रहायण, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
186	दिल्ली स्थित जीवन बीमा निगम के भवन में आग लगना .	655—58
187	पूर्वी पाकिस्तान से आप्रर्वजन	658—62
188	अवैध रूप से आये पाकिस्तानियों का देश निष्कासन . .	663—66
189	शरणार्थी शिविरों में उपद्रव	667—70
190	जम्मू तथा काश्मीर में बम विस्फोट की घटनायें . .	670—73
191	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् की जांच समिति का प्रतिवेदन	674—76
192	प्रति व्यक्ति शुल्क	677—78

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
193	व्हिटले परिषदों का बनाया जाना . . .	678
194	भारतीय खनन स्कूल, धनबाद	678—79
195	भारत का प्रणकीय सर्वेक्षण	679
196	ईरान में तेल की खोज	680
197	राष्ट्रीय एकता दिवस	680
198	उर्वरक निगम	681
199	सीमान्त क्षेत्रों का विकास	681
200	गोआ	681—82
201	भक्तवत्सलम समिति का प्रतिवेदन . . .	682
202	जम्मू तथा काश्मीर के भूतपूर्व प्रधान मंत्री . . .	683
203	केरल में उपद्रव	683—84
204	पूर्वी पाकिस्तान में शरणार्थियों की सम्पत्तियां . .	684

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

Wednesday, November 25, 1964/Agrahayana 4, 1886 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.		
186.	Fire in L.I.C. Building in Delhi	655—58
187.	Migration from East Pakistan	658—62
188.	Deportation of Pakistani Infiltrants	663—66
189.	Trouble in Refugee Camps	667—70
190.	Bomb Explosions in J. & K.	670—73
191.	C. S. & R. Committee Report	674—76
192.	Capitation Fees	677—78

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.		
193.	Formation of Whitley Councils	678
194.	Indian School of Mines, Dhanbad	678—79
195.	Zooligical Survey of India	679
196.	Oil Exploration in Iran	680
197.	National Solidarity Day	680
198.	Fertilizer Corporation	681
199.	Uplift of border areas	681
200.	Goa	681—82
201.	Bhaktavatsalam Committee Report	682
202.	Ex-Prime Minister of Jammu and Kashmir	683
203.	Riots in Kerala	683—84
204.	Properties of refugees in East Pakistan	684

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
450	अमरीका सम्बन्धी अध्ययन विभाग	683
451	कृत्रिम अपभार्जक पदार्थों (सिन्थेटिक डिटरजेन्ट्स) का निर्माण	684—85
452	केरल पुलिस के लिए क्वार्टर	685
453	भारतीय प्रशासन सेवा परीक्षाओं के लिए अभ्यार्थी	685—86
454	केरल में आत्महत्या के मामले	686
455	शरणार्थियों के लिए पदों का आरक्षण	686—87
456	अध्यापकों का प्रशिक्षण	687—88
457	उड़ीसा के स्कूल अध्यापक	688
458	उप-कुलपति	688
459	अखिल भारतीय कृषि सेवा	689
460	विदेशों में हिन्दी के अध्यापक	689
461	आप्रवासन शिविरों में सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियां	690
462	पुलिस के विरुद्ध शिकायतें	690
463	जम्मू तथा काश्मीर में डाकखाने में बम	691
464	हिन्दी अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण स्कूल	691
465	विद्यार्थी गृह	691—92
466	हेमाइसिन	692
467	भूतपूर्व नरेशों के खिलाफ अभियोग	692—93
468	केनिंग पत्तन पर छिद्रण कार्य	693
469	दिल्ली प्रशासन में हिन्दी	693—94
470	पंजाब उच्च न्यायालय में अनिर्णीत मुकद्दमे	694
471	जलपोत एम० वी० येरेवा का निर्माण	694
472	प्लास्टिक्स का उत्पादन	694—95
473	जालन्धर बैंक के बारे में पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय का फैसला	695
474	अखिल भारतीय सेवा अधिकारी	696
475	दिल्ली में भूमि का मूल्य	696
476	त्रिवेन्द्रम में घोर वर्षा	697
477	मास्को में पीपल्स फ्रेंड यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्र	697
478	सरकारी संस्थानों में पाकिस्तानी नागरिक	698
479	कन्नड़ साहित्य	698
480	प्रादेशिक भाषाओं का विकास	698—99
481	दिल्ली में बोर्ड की परीक्षायें	699
482	संस्कृत गुरुकुलों को सहायता	699–700
483	पुरानी बन्दूकों का इस्तेमाल	700
484	भारतीय प्रतिरक्षा नियम तथा निवारक निरोध अधिनियम	700—01
485	अमरीका से शिक्षा सम्बन्धी अनुदान	701
486	भर्ती	701
487	पाक अधिकृत काश्मीर से शरणार्थी	702

Unstarred Question Nos.	SUBJECT	PAGES
450.	Chairs of American Studies	683
451.	Manufacture of Synthetic Detergents	684—85
452.	Quarters for Kerala Police Force	685
453.	Candidates for I.A.S. Examinations	685—86
454.	Suicide Cases in Kerala	686
455.	Reservation of Posts for Refugees	686—87
456.	Training of Teachers	687—88
457.	School Teachers of Orissa	688
458.	Vice-Chancellors	688
459.	All India Agricultural Service	689
460.	Hindi Teachers abroad	689
461.	Social and Cultural Activities in Migrant Camps	690
462.	Complaints against Police	690
463.	Bomb in Post Office in Jammu and Kashmir	691
464.	Hindi Teachers Training Schools	691
465.	Students Homes	691—92
466.	Hamucem	692
467.	Prosecutions against Ex-Rulers	692—93
468.	Drilling at Port Canning	693
469.	Hindi in Delhi Administration	693—94
470.	Cases Pending in Punjab High Court	694
471.	Construction of the Vessel 'M.V. Yerewa'	694
472.	Production of Plastics	694—95
473.	Pak. Supreme Court's Decision re. Jullundur Bank	695
474.	All India Service Officers	696
475.	Land Prices in Delhi	696
476.	Cloud burst in Trivandrum	597
477.	Indian Students in People's Friendship University, Moscow	697
478.	Pakistani Nationals in Government Establishments	698
479.	Kannada Literature	698
480.	Development of Regional Languages	698—699
481.	Board Examinations in Delhi	699
482.	Aid to Sanskrit Gurukulas	699—700
483.	Use of old Guns	700
484.	D.I.R. and Preventive Detention Act	701
485.	Educational Grants from U.S.A.	701
486.	Recruitment	701
487.	Refugees from Pak. Occupied Kashmir	702

अतारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
488	प्रयोगात्मक औषधि फार्म . .	702
489	संभरण तथा निबटान के उप महानिदेशक	
490	बाल भवन दिल्ली में अंशदान	
491	सूर्य शक्ति	702—03
492	माध्यमिक अध्यापकों के लिए वेतन आयोग	703
493	गन्धक के तेज़ाब का कारखाना .	703
494	चकोस्लोवाकिया की छात्रवृत्तियां	703
495	बस्तर जिले में तेल की सम्भावनायें	704
496	संयुक्त राष्ट्र के बारे में अध्यापन .	704

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

(एक) सिन्दरी उर्वरक कारखाने में हुआ विस्फोट—

श्री हरिश्चन्द्र माथर 704

श्री अलगेशन 704

(दो) महात्मा गांधी की हत्या के बारे में पूना में श्री जी० वी० केटकर का कथित भाषण —

डा० सरोजिनी महिषी 707

श्री नन्दा 707

सभा पटल पर रखे गये पत्र—

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . 707

इक्यावनवां प्रतिवेदन 707

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव 707

श्री विभूति मिश्र 707

श्री स्वर्ण सिंह 709

खाद्य निगम विधेयक—

खण्ड 13 से 45 और 1 715

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव 717

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् 717

श्री रंगा 718

श्री दे० शि० पाटिल 724

श्री नम्बियार 724

श्री क० ना० तिवारी 725

Unstarred Questions Nos.	Subject	PAGES
488.	Experimental Drug Farm	702
490.	Deputy D.G.S. &D.	
490.	Contribution at Bal Bhawan, Delhi	
491.	Solar Energy	702—03
492.	Pay Commission for Secondary Teachers . .	703
493.	Sulphuric Acid Plant	703
494.	Czechoslovakian Scholarships	703
495.	Oil Prospects in Bastar Distt	704
496.	Teaching About U.N.	704

Calling Attention to matters of Urgent Public Importance .

(*i*) Explosion in Sindri Fertilizer Factory

Shri Harish Chandra Mathur 704

Shri Alagasan 704

(*ii*) Reported speech of Shri G.V. Katkar re: assassination of Mahatma Gandhi

Dr. Sarojini Mahishi . . . .

Shri Nanda . . . .

Papers laid on the Table—

Committee on Private Members' Bills and Resolutions . . 707

Fifty-first Report 707

Motion re: International Situation 707

Shri Bibhuti Mishra 707

Shri Swaran Singh 709

Food Corporations Bill—

Clauses 13 to 45 and 1 715

Motion to pass, as amended 717

Shri C. Subramaniam 717

Shri Ranga 718

Shri D. S. Patil 724

Shri Nambiar 724

Shri K. N. Tiwary 725

खाद्य निगम विधेयक--जारी

श्री बड़े 725
श्री शं० श० मोरे . 726
श्री शिव मूर्ति स्वामी . . . 726
श्री विभूति मिश्र . 726
श्री यशपाल सिंह . . . 727
श्री शिव नारायण . . 727
श्री स० मो० बनर्जी . . . 727
श्री प्रकाशवीर शास्त्री . . . 728

खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) विधेयक--

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव--
श्री नास्कर . . . 729
श्री चन्द्रभान सिंह . . 730
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा . 733
श्री शं० श० मोरे . . . 735
श्रीमती रेणुका राय . . 735
श्री रामेश्वरानन्द . 736
श्री हिम्मत सिंहका . . 737

SUBJECT PAGES

Food Corporations Bill—

Shri Bade 725
Shri S. S. More 726
Shri Sivamurthi Swamy 726
Shri Bibhuti Mishra 726
Shri Yashpal Singh 727
Shri Sheo Narain 727
Shri S. M. Banerjee 727
Shri Prakash Vir Shastri 728

Prevention of Food Adulteration (Amendment) Bill—

Motion to consider, as reported by Joint Committee

Shri Naskar 729
Shri Chandrabhan Singh 730
Shri Narendra Singh Mahida 733
Shri S. S. More 735
Shrimati Renuka Ray 735
Shri Rameshwaranand 736
Shri Himatsingka 737

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंकिनीड, श्री (गुडिवाडा)
अजनप्पा, श्री (नेल्लोर)
अकम्मा देवी, श्रीमती (नीलगिरी)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अच्युतन, श्री (मावेलिक्करा)
अणे, डा० मा० श्री (नागपुर)
अब्दुल रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)
अब्दुल वहीद, श्री (वैल्लोर)
अरुणाचलम, श्री (रामनाथपुरम्)
अलगेशन, श्री (चिंगलपट)
अल्वारेस, श्री (पंजिम)

आ

आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आल्वा, श्री अ० शंकर (मंगलौर)
आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

इ

इकबाल सिंह, श्री (फीरोजपुर)
इम्बोचिबावा, श्री इजुकुढेक्कल (पोन्नाणि)
इलियापेरुमाल, श्री (तिरुकोइलूर)
इलियास, श्री मुहम्मद (हावड़ा)

उ

उइके, श्री मं० गं० (मंडला)
उटिया, श्री (शहडोल)

उ—क्रमशः

उपाध्याय, श्री शिवदत्त (रीवां)

उमानाथ, श्री (पुद्दकोट्टै)

उलाका, श्री रामचन्द्र (कोरापट)

ए

एंथनी, श्री फेंक (नाम-निर्देशित—आंग्ल भारतीय)

एरिंग, श्री डा० (नाम-निर्देशित—उत्तर-पूर्व सीमांत क्षेत्र)

ओ

ओंकार सिंह, श्री (बदायूं)

ओझा, श्री घनश्याम लाल (सुरेन्द्रनगर)

क

कक्कड़, श्री गौरीशंकर (फतेहपुर)

कछवाय, श्री हुक्म चन्द (देवास)

कजरोलकर, श्री सादोबानारायण (बम्बई मध्य प्रदेश)

कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)

कडाडी, श्री मांदे या बंदप्पा (शोलापुर)

कनकसवै, श्री (चिंदाबरम्)

कन्डप्पन, श्री (तिरूचेगोड)

कपूर सिंह, सरदार (लुधियाना)

कबिर, श्री हुमायून् (बसिरहाट)

कयाल, श्री परेशनाथ (जयनगर)

करुथिरमण, श्री (गोबीचेट्टिपलयम)

कर्णी सिंहजी, श्री (बीकानेर)

कांबले, श्री तु० द० (लातूर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)

कामत, श्री हरि विष्णु (होशंगाबाद)

कार, श्री प्रभात (हुगली)

किन्दर लाल, श्री (हरदोई)

किशन वीर, श्री (सतारा)

किशिंग, श्री रिशांग (बाह्य मनीपुर)

कुन्हन, श्री प० (पालघाट)

कुमारन, श्री मे० क० चिरयिन्कील)

क—क्रमशः

कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली)
कृपा शंकर, श्री (डुमरिया गंज)
कृपालानी, श्री जी० भ० (अमरोहा)
कृष्ण, श्री मं० रं० पद्मपल्लि)
कृष्णपाल सिंह, श्री (जलेसर)
कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (त्रिचेंदूर)
केदरिया, श्री छ० म० मांडवी)
केप्पन, श्री चेरियन (मुबात्तुपुजा)
केसर लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
कोया, श्री (कोजीकोड)
कोलाको, डा० (गोआ, दमन, और दीव)
कोहोर, डा० राजेन्द्र (फूलबनी)
कोजलगी, श्री हे० वी० (बलगांव)

ख

खन्ना, श्री प्रेम किशन (कायमगंज)
खन्ना, श्री मेहर चन्द (नई दिल्ली)
खां, श्री उस्मान अली (अनन्तपुर)
खां, डा० पूर्णेन्दनारायण (उलुबेरिया)
खां, श्री शाहनवाज (मेरठ)
खाडिलकर, श्री र० के० (खेड़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गजराज सिंह राव, श्री (गुड़गांव)
गणपति राम, श्री (मछलीशहर)
गयासुद्दीन अहमद, श्री (धुबरी)
गहमरी, श्री शिवनाथ सिंह (गाजीपुर)
गांधी, श्री व० बा० (बम्बई नगर—मध्य दक्षिण)
गायकवाड़, श्री फतहसिंहराव प्रतापसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम)
गुप्त, श्री काशीराम (अलवर)

ग—क्रमशः

गुप्त, श्री प्रिय (कटिहार)
गुप्त, श्री बादशाह (मनपुरी)
गुप्त, श्री शिवचरण (दिल्ली सदर)
गुलशन, श्री धन्ना सिंह (भटिंडा)
गुह, श्री अ० चं० (बारसाट)
गोकरन प्रसाद, श्री (मिसरिख)
गोनी, श्री अब्दुल गनी (जम्मू तथा काश्मीर)
गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)
गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)
गोंडर, श्री मुत्तु (तिरुपत्तर)

घ

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)
घोष, श्री न० रं० (जलपाईगुड़ी)
घोष, श्री प्र० कु० (रांची-पूर्व)

च

चक्रवर्ती, श्री प्र० रं० (धनबाद)
चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बैरकपुर)
चटर्जी, श्री नि० चं० (बर्दवान)
चटर्जी, श्री ह० प० (नवद्वीप)
चतर सिंह, श्री (चम्बा)
चतुर्वेदी, श्री श० ना० (फिरोजाबाद)
चन्दा, श्रीमती ज्योत्सना (कचार)
चन्द्रभान सिंह, श्री (बिलासपुर)
चन्द्रशेखर, श्रीमती म० (मयूरम)
चन्द्रिकी, श्री जगन्नाथराव (रायचर)
चव्हाण, श्री दा० रा० (करोड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (नासिक)
चांडक, श्री मी० ल० (छिंदवाड़ा)
चावड़ा, श्रीमती जोहराबेन (बनस्कंठा)
चुन्नीलाल, श्री (अम्बाला)
चौधरी, श्रीमती कमला (हापुड़)

च—क्रमशः

चौधरी, श्री चन्द्रमणिलाल (महुआ)
चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री दिगम्बर सिंह (मथरा)
चौधरी, श्री युद्धवीर सिंह (महेन्द्रगढ़)
चौधरी, श्री सचीन्द्रनाथ (घाटल)

ज

जगजीवन राम, श्री (ससराम)
जमीर, श्री स० चु० (नामनिर्देशित—नागालैण्ड)
जमुना देवी, श्रीमती (झबुआ)
जयपाल सिंह, श्री (रांची—पश्चिम)
जयरामन, श्री वांडीवाश)
जाधव, श्री तुलशीदास (नांदेड़)
जाधव, श्री माधवराव लक्ष्मणराव (मालेगांव)
जेधे, श्री गुलाबलराव केशवराव (बारामती)
जेना, श्री कान्हूचरण (भद्रक)
जैन, श्री अजित प्रसाद (तुमकुर)
जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (सीधी)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (बलरामपुर)
ज्योतिषी, श्री ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झा, श्री जोगेगन्द्र (मधुबनी)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ड

डे, श्री सु० कु० (नागौर)

त

तन सिंह, श्री (बाड़मेर)
ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार)
तिवारी, श्री कमलनाथ (बगहा)
तिवारी, श्री द्वारकानाथ (गोपालगंज)
तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)

तुला राम, श्री (घाटमपुर)
तेवर, श्री बरोना (पंजानूर)
त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)
त्रिपाठी, श्री कृष्ण देव (उन्नाव)
त्रिवेदी, श्री उ० मू० (मन्दसौर)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम)
थेंगल, श्री नल्लाकोया (नामनिर्देशित—लक्कदीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह)
थेदगोंडर, श्री गोपालस्वामी (नागपट्टिनम्)

द

दफले, श्री (मिरज)
दलजीत सिंह, श्री (उना)
दशरथ देव, श्री (त्रिपुरापुर्व)
दांडेकर, श्री नारायण (गोंडा)
दाजी, श्री होमी (इंदौर)
दास, श्री (तिरुपति)
दास, श्री निगम तारा (जमुई)
दास, श्री बसन्त कुमार (कंटाई)
दास, डा० मनमोहन (औग्रासम)
दास, श्री सुधांशु भूषण (डायमन्द हार्बर)
दिगे, श्री भास्कर नारायण (कोलाबा)
दिनेश सिंह, श्री (सालोन)
दिक्षित, श्री गो० ना० (इटावा)
दुबे, श्री राजाराम गिरधारीलाल (बीजापुर उत्तर)
दरै, श्री काशीनाथ (अरूप्पुकोट्टै)
देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)
देव, श्री विजयभूषण (रायगढ़)
देवभंज, श्री पू० चं० (भुवनेश्वर)
देशमुख, डा० पंजाब राव शा० (अमरावती)
देशमुख, श्री भा० द० (औरंगाबाद)
देशमुख, श्री शिवाजी शंकरराव (परभणी)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)

द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)

द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

दोराइ, श्री काशीनाथ (अरुप्पुकोट्टई)

ध

धर्मलिंगम, श्री र० (तिरुवन्नामलाई)

धवन, श्री (लखनऊ)

धूलेश्वर मीन, श्री (उदयपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (सबरकंठा)

नम्बियार, श्री आनन्द (तिरूचिरापल्लि)

नाथपाई, श्री (राजापुर)

नायर, श्री दे० जी० (पंचमहल)

नायक, श्री महेश्वर (मयूरगंज)

नायक, श्री मोहन (भजनगर)

नायडू, श्री ब० गोविन्दस्वामी (तिरुवल्लूर)

नायर, श्री नी० श्रीकान्तन (क्विलोन)

नायर, श्री वासुदेवन (अम्बलपुजा)

नायर, डा० सुशीला (झांसी)

नास्कर, श्री पू० शे० (मथुरापुर)

निगम, श्रीमती सावित्री (बांदा)

निरंजन लाल, श्री (नाम-निर्देशित—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह)

नेसामनी, श्री (नागरकोइल)

प

पंत, श्री कृष्णचन्द्र (नैनीताल)

पटनायक, श्री किशन (सम्बलपुर)

पटनायक, श्री वैष्णव चरण (ढेंकानाल)

पटेल, श्री छोटूभाई (भड़ौंच)

पटेल, श्री नानूभाई नि० (बुलसार)

पटेल, श्री पुष्पोत्तम दास र० (पाटन)

पटेल, श्री मानसिंह पु० (मेहसाना)

पटेल, श्री राजेवश्र (हाजीपुर)

पट्टाभिरामन, श्री चे० रा० (कुम्वकोणम्)

पन्नालाल, श्री (अकबरपुर)

प--क्रमशः

परमशिवन, श्री० स० क० (इरोड)

पराधी, श्री भोलाराम (बालाघाट)

पांडे, श्री काशीनाथ (हाटा)

पाटिल, श्री जु० शं० (जलगांव)

पाटिल, श्री तु० अ० (उस्मानाबाद)

पाटिल, श्री देवराम शिवराम (यवतमाल)

पाटिल, श्री मा० म० (रामटेक)

पाटिल, श्री बसन्तराव (चिकोड़ी)

पाटिल, श्री वि० तु० (कोल्हापुर)

पाटिल, श्री स० ब० (बीजापुर--दक्षिण)

पाटिल, श्री स० का० (बम्बई--दक्षिण)

पाण्डेय, श्री रा० शि० (गुना)

पाण्डेय, श्री विश्वनाथ (विसलेमपुर)

पाण्डेय, श्री सरजू (रसड़ा)

पाराशर, श्री (शिवपुरी)

पालीवाल, श्री टीकाराम (हिंडोन)

पिल्ले, श्री नटराज (त्रिवेन्द्रम)

पुरी, श्री दे० द० (कैथल)

पृथवीराज, श्री (दौसा)

पोट्टेकाट्ट, श्री (टेलीचेरी)

प्रताप सिंह, श्री (सरमूर)

प्रभाकर, श्री नवल (दिल्ली--करोलबाग)

फ

फिरोडिया, श्री मोतीलाल कुन्दनमल (अहमदनगर)

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)

बटेश्वर सिंह, श्री (गिरडीह)

बड़कटकी, श्रीमती रेणुका देवी (बारपेटा)

बड़े, श्री रामचन्द्र (खरगोन)

बदरुद्दजा, श्री (मुर्शिदाबाद)

बनर्जी, डा० रा० (बांकुरा)

बनर्जी, श्री स० मो० (कानपुर)

बरुआ, श्री प्रफुल्लचन्द्र (शिवसागर).

फ--क्रमशः

बरुआ, श्री राजेन्द्र नाथ (जोरहाट)

बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)

बर्मन, श्री प० चं० (कूच-बिहार)

बसन्त कुमारी, श्रीमती (कैसरगंज)

बसवन्त, सोनुभाई दागडू (थाना)

बसुमतारी, श्री ध० (ग्वालपाड़ा)

बावलीवाल, श्री (दुर्ग)

ब

बागड़ी, श्री मनीराम (हिसार)

बाबू नाथ सिंह, श्री (सरगुजा)

बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)

बालकृष्ण सिंह, श्री (चन्दौसी)

बालकृष्णन, श्री (कोइलपट्टी)

बाल्मीकी, श्री क० ला० (खुर्जा)

बासप्पा, श्री (तिपतुर)

बिष्ट, श्री जं० ब० सिंह (अलमोड़ा)

बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा-पश्चिम)

बूटा सिंह, श्री (मोगा)

बृजवासी लाल, श्री (फैजाबाद)

बृजराज सिंह, श्री (बरेली)

बृजराज सिंह--कोटा, श्री (झालावाड़)

बेसरा, श्री स० चं० (दुमका)

बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)

बेरो, श्री (नामनिर्देशित--आंग्ल-भारतीय)

ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)

ब्रह्मप्रकाश, श्री (बाह्य दिल्ली)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मीनारायण (क्योंझर)

भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)

भगत, श्री बलीराम (शाहाबाद)

भगवती, श्री वि० चं० (दरांग)

भटकर, श्री लक्ष्मणराव श्रवनजी (खामगांव)

भ---क्रमशः

भट्टाचार्य (श्री च० का० (रायगंज)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सेरामपुर)
भवानी, श्री लखमू (बस्तर)
भानुप्रकाश सिंह, श्री (रायगढ़)
भार्गव, पंडित मुं० वि० ला० (अजमेर)
भील, श्री प० ह० (दोहद)

म

मण्डल, श्री जियालाल (खगरिया)
मण्डल, डा० प० (विष्णुपुर)
मण्डल, श्री यमुना प्रसाद (जयनगर)
मंत्री, श्री द्वारका दास (भीर)
मच्छराजू, श्री प० (नरसीपटनम)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मणियंगाडन, श्री (कोट्टयम)
मेनन, श्री (दार्जिलिंग)
मनोहरन, श्री (मद्रास-दक्षिण)
मरंडी, श्री ईश्वर (राजमहल)
मरुथैया, श्री (मेलर)
मलाइछामी, श्री (पेरियाकुलम)
मलिक, श्री रामचन्द्र (जाजपुर)
मल्लया, श्री उ० श्री० (उदोपी)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीतलाल (जम्मू तथा काश्मीर)
मसानी, श्री मी० रू० (राजकोट)
मसूरिया, दीन, श्री (चैल)
महताब, श्री हरे कृष्ण (अंगुल)
महतो, श्री भंजहरि (पुरुलिया)
महन्ती, श्री गोकुलानन्द (बालासोर)
महादेव प्रसाद, डा० (महाराजगंज)
महादेव प्रसाद, श्री (बांसगांव)
महानन्द, श्री ऋषिकेश (बोलनगीर)
महिषि, डा० सरोजिनी (धारवाड़---उत्तर)

म--क्रमशः

महीड़ा, श्री नरेन्द्र सिंह (आनन्द)
माते, श्री कुरे (टीकमगढ़)
माथुर, श्री शिवचरण (भीलवाड़ा)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (जालोर)
मालवीय, श्री के० दे० (बस्ती)
मिनीमाता, श्रीमती आगमदास गुरु (बालोदा बाजार)
मिर्जा, श्री बाकर अली (वारंगल)
मिश्र, डा० उदयकर (जमशेदपुर)
मिश्र, श्री विभुधेन्द्र (पुरी)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगुसराय)
मिश्र, श्री महेश दत्त (खंडवा)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामधर (मिरजापुर)
मुकर्जी, श्रीमती शारदा (रत्नगिरि)
मुकर्जी, श्री ही० ना० (कलकत्ता--मध्य)
मुकाने, श्री यशवन्तराव मार्तण्डराव (भिवाण्डि)
मुज्जफ्फर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
मुथिया, श्री (तिरुनेलवली)
मुन्जनी, श्री डविड (लोहरदगा)
मूरमू, श्री सरकार (बलरघाट)
मुरली मनोहर, श्री (बलिया)
मुरारका, श्री (झुंझनू)
मुसाफिर, श्री गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद इस्माइल, श्री (मंजेरी)
मुहम्मद, युसूफ, श्री (सीवन)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)
मूर्ति, श्री ब० सू० (अमालपुरम)
मूर्ति, श्री मि० सू० (अनकापल्ली)
मेनन, श्री कृष्ण (बम्बई--उत्तर)
मेनन, श्री प० गो० (मकुन्दपुरम)
मेलकोटे, डा० (हैदराबाद)
मेहता, श्री ज० रा० (पाली)

म---क्रमशः

मेहता, श्री जसवन्त (भावनगर)
मेहदी, श्री स० अ० (रामपुर)
मेहरोत्रा, श्री ब्र० वि० (बिल्हौर)
मेंगी, श्री गोपालदत्त (जम्मू तथा काश्मीर)
मैमूना सुल्तान, श्रीमती (भोपाल)
मोरे, डा० कृ० ल० (हतकंगले)
मोरे, श्री शं० शा० (पूना)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहसिन, श्री (धारावाड़---दक्षिण)
मौर्य, श्री बु० प्रि० (अलीगढ़)

य

यशपाल सिंह, श्री (कैराना)
याज्ञिक, श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री नगेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री भीष्म प्रसाद (केसरिया)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)
यादव, श्री राम हरख (आजमगढ़)

र

रंगा, श्री (चित्तूर)
रंगराव, श्री र० व० गो० कु० (चीपुरुपल्लि)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुरमैया, श्री को० (गूंटूर)
रणंजय सिंह, श्री (मुसाफिरखाना)
रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)
रतन लाल, श्री (बंसवारा)
रांउत, श्री भोला (बतिया)
राघवन, श्री अ० व० (बडागरा)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (भरतपुर)
राजा, चित्तरंजन (जूनागढ़)
राजाराम, श्री (कृष्णगिरि)

स--क्रमशः

राजू, श्री द० बलराम (नरसापुर)
राजू, डा० द० स० (राजामंडी)
राज्यलक्ष्मी, श्रीमती ललिता (औरंगाबाद)
राणे, श्री शिवरामरंगो (बुलडाना)
राम, श्री तु० (सोनबरसा)
रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (कोयम्बटूर)
रामधनीदास, श्री (नवादा)
राम नाथन चेट्टियार, श्री (करूर)
रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलवर्गा)
रामभद्रन, श्री (कडलूर)
राम सिंह, श्री (बहराइच)
राम सुभग सिंह, डा० (विक्रमगंज)
रामसेवक, श्री (जालोन)
रामस्वरूप, श्री (राबर्ट्सगंज)
रामस्वामी, श्री व० क० (नामक्कल)
रामस्वामी, श्री सें० वें० (सलेम)
रामेश्वरानन्द, श्री (करनाल)
राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (दमोह)
राय, डा० सारादीश (कटवा) :
राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)
राव, डा० कु० ल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री स० वा० कृष्णमूर्ति (शिमोगा)
राव, श्री जगन्नाथ (नौरंगपुर)
राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)
राव, श्री मुत्याल (महबूबनगर)
राव, श्री रमापति (करीमनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्री काकुलम)
राव, श्री ज० रामेश्वर (गढ़वाल)
राव, श्री हनुमन्त (मेदक)
रावनदले, श्री (धूलिया)

रेड्डियार, श्री वेंकट सुब्बा (तिन्डीवनम्)
रेड्डी, श्री ये० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री क० च० (चिकबल्लापुर)
रेड्डी, श्री नरसिम्हा (राजकोट)
रेड्डी, श्री ग० नारायण (आदिलाबाद)
रेड्डी, डा० बे० गोपाल (काबलि)
रेड्डी, श्री यलमन्दा (मारकापुर)
रेड्डी, श्रीमती यशोदा (करनूल)
रेड्डी, श्री र० ना० (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री रामकृष्ण (हिन्दपुर)

ल

लक्ष्मीकान्तम्मा, श्रीमती (खम्भम)
लक्ष्मी दास, श्री (मिरयालगुडा)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती संगम (विकाराबाद)
ललित सेन, श्री (मण्डी)
लहरी सिंह, श्री (रोहतक)
लाखन दास, चौधरी (शाहजहांपुर)
लास्मर, श्री निहार रंजन (करीमगंज)
लोनीकर, श्री रा० ना० यादव (जालना)
लोहिया, डा० राम मनोहर (फरुखाबाद)

व

बर्मा, श्री कुं० कृ० (सुल्तानपुर)
बर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
बर्मा, श्री मा० ला० (चित्तौड़गढ़)
बर्मा, श्री रवीन्द्र (तिरुवल्ला)
बर्मा, श्री सूरजमल (सीतापुर)
वाडीवा, श्री (स्योनी)
वारियर, श्री कृ० क० (त्रिचूर)
वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदु (नानदरबार)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (गोंडिया)
विजय आनन्द, श्री (विशाखापटनम)

व—क्रमशः

विजय राजे, श्रीमती (छतरा)
विद्यालंकार, श्री अमर नाथ (होशियारपुर)
विमला देवी, श्रीमती (एलुरू)
विश्राम प्रसाद, श्री (लालगंज)
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)
वीरबासप्पा, श्री (चित्रदुर्ग)
वीरभद्र सिंह, श्री (महासू)
वीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (राजनन्दगांव)
वेंकटा सुब्बय्या, श्री पेंदेकान्ति (अडोनी)
वेंकैया, श्री कोल्ला (तेनालि)
वैश्य, श्री मूलदास भूधरदास, (साबरमती)
व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकरय्या, श्री (मैसूर)
शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)
शर्मा, श्री अ० त्रि० (छतरपुर)
शर्मा, श्री अ० प० (बक्सर)
शर्मा, श्री कृ० चं० (सरधना)
शर्मा, श्री दीवान चन्द (गुरदासपुर)
शशांक मंजरी, श्रीमती (पालामऊ)
शशिरंजन, श्री (पपरी)
शामनाथ, श्री (दिल्ली-चांदनी चौक)
शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (बिजनौर)
शास्त्री, श्री रामानन्द (रामसंचीघाट)
शास्त्री, श्री लालबहादुर (इलाहाबाद)
शाह, श्रीमती जयाबेन (अमरेली)
शाह, श्री मनुभाई (जामनगर)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)
शिकरे, श्री (मरमागोआ)
शिन्दे, श्री अन्ना साहेब (कोपरगांव)
शिवनंजप्पा, श्री (मुड्या)
शिव नारायण, श्री (बांसी)

श—क्रमशः

शिव प्रधासन, श्री (पांडीचेरी)
शिवशंकरन, श्री (श्रीपेरुमबुदूर)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमन्द)
श्यामकुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर)
श्रीनारायण दास, (श्री दरभंगा)
श्रीनिवासन , डा० (मद्रास उत्तर)

स

सत्यनारायण, श्री बिद्दिका (पार्वतीपुरम)
सत्य भामा देवी, श्रीमती (जहानाबाद)
सनजी रूपजी, श्री (नामनिर्देशित—दादरा तथा नगर हवेली)
समनानी, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)
सर्राफ, श्री श्यामलाल (जम्मू तथा काश्मीर)
सहगल, श्री अ० सिं० (जंजगीर)
साधूराम, श्री (फिलौर)
सामन्त, श्री स० चं० (तामलक)
साहा, डा० शिशिर कुमार (बीरभूम)
साहू, डा० रामेश्वर (रोसेरा)
सिंघवी, डा० लक्ष्मी मल्ल (जोधपुर)
सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (ग्वालियर)
सिंह, श्री अजित प्रताप (प्रतापगढ़)
सिंह, श्री कृ० का० (महाराजगंज)
सिंह, श्री गोविन्द कुमार (मिदनापुर)
सिंह, श्री जय बहादुर (घोसी)
सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ्फरपुर)
सिंह, डा० ब० ना० (हजारीबाग)
सिंह, श्री युवराजदत्त (शाहाबाद)
सिंह, श्री य० ना० (सुन्दरगढ़)
सिंह, श्री राम शेखर प्रसाद (छप्परा)
सिंह, श्री स० टी० (आन्तरिक मनीपुर)
सिंह, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर)
सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)
सिद्धय्या, श्री (चामराजनगर)

स—क्रमशः

सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)
सिद्धान्ती, श्री जगदेव सिंह (झज्जर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालन्दा)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)
सिन्हा, श्रीमती राजदुलारी (पटना)
सुन्दरलाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्बारामन, श्री (मदुरै)
सुब्रह्मण्यम, श्री चि० (पोल्लाची)
सुब्रह्मण्यम, श्री टेंकुर (बेल्लारी)
सुमत प्रसाद, श्री (मुजफ्फर नगर)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्य प्रसाद, श्री (भिंड)
सेझियान, श्री ईरा (पैरम्बलूर)
सेठ, श्री बिशनचन्द्र (एटा)
सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता-उत्तर पश्चिम)
सेन, श्री फणिगोपाल (पूर्निया)
सेन, डा० रानेन (कलकत्ता-पूर्व)
सोनावने, श्री (पंढरपुर)
सोय, श्री हरिचरण (सिंहभूम)
सोलंकी, श्री प्रवीणसिंह, नटवरसिंह (कैरा)
सौंदरम रामचन्द्रन, श्रीमती (डिंडिगल)
स्वर्णसिंह, श्री (जलन्धर)
स्वामी, श्री मङलावेंकट (मसुलीपटनम)
स्वामी, श्री म० ना० (ओंगोल)
स्वामी, श्री म० प० (टंकासी)
स्वामी, श्री शिवमूर्ति (कोप्पल)
स्वैल, श्री ज० गि० (आसाम-स्वायतशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (झाड़ग्राम)
हक, श्री मु० मो० (अकोला)
हजरनवीस, श्री रं० म० (भंडारा)

ह—क्रमशः

हजारिका, श्री जो० ना० (डिब्रूगढ़)
हनुमन्तैया, श्री (बंगलौर नगर)
हरवानी. श्री अन्सार (बिसौली)
हिम्मतसिंहका, श्री प्रभुदयाल (गोंडा)
हिम्मतसिंहका, श्री (कच्छ)
हुक्म सिंह, सरदार (पटियाला)
हेडा, श्री (निजामाबाद)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

सरदार हुकम सिंह

उपाध्यक्ष

श्री कृष्णमूर्ति राव

सभापति तालिका

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी

श्री तिरुमल राव

श्री खाडिलकर

डा० सरोजिनी महिषी

श्री सोनावने

सचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्री मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री —श्री लाल बहादुर शास्त्री
गृह-कार्य मंत्री—श्री गुलज़ारी लाल नन्दा
वित्त मंत्री—श्री ति० त० कृष्णमाचारी
सूचना और प्रसारण मंत्री—श्रीमती इंदिरा गांधी
वैदेशिक कार्य मंत्री —श्री स्वर्ण सिंह
रेलवे मंत्री—श्री स० का० पाटिल
विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री —श्री अ० कु० सेन
प्रतिरक्षा मंत्री—श्री यशवन्तराव चह्वाण
इस्पात और खान मंत्री—श्री संजीव रेड्डी
खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री चि० सुब्रह्मण्यम
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री—श्री हुमायून् कबिर
संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह
शिक्षा मंत्री—श्री मु० क० चागला
श्रम और रोजगार मंत्री—श्री संजीवय्या
पुनर्वास मंत्री—श्री महावीर त्यागी

राज्य-मंत्री

निर्माण और आवास मंत्री—श्री मेहरचन्द खन्ना
वाणिज्य मंत्री—श्री मनुभाई शाह
असैनिक उड्डयन मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो
परिवहन मंत्री—श्री राज बहादुर
सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री—श्री सु० कु० डे
स्वास्थ्य मंत्री—डा० सुशीला नायर
गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री जयसुखलाल हाथी
वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन
उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में संभरण तथा प्रविधिक विकास मंत्री—श्री रघुरामैया
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री अलगेशन
रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री—डा० राम सुभग सिंह
शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री—श्री हजरनवीस
सिंचाई और विद्युत् मंत्री—डा० कु० ल० राव
योजना मंत्री—श्री ब० रा० भगत
प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री—श्री अ० म० थामस
उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री—श्री त्रि० ना० सिंह

उपमंत्री

पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री—डा० म० मो० दास

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री शाहनवाज़ खां

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री सें० वें० रामस्वामी

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री—श्री मुहीउद्दीन

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री ब० सू० मूर्ति

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री ललित नारायण मिश्र

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री— श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री दा० रा० चह्वाण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री— श्री चे० रा० पट्टाभिरामन

सामजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री—श्रीमती चन्द्रशेखर

विधि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री जगन्नाथ राव

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री—श्री शाम नाथ

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री—डा० द० स० राजू

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री दिनेश सिंह

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री—श्री विभुधेन्द्र मिश्र

संचार विभाग में उपमंत्री—श्री भगवती

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री—श्री श्यामधर मिश्र

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री—श्री प्रकाशचन्द्र सेठी

श्रम और रोज़गार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री रतनलाल किशोरीलाल मालवीय

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री—श्री भक्त दर्शन

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री पू० श० नास्कर

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री—श्री रामेश्वर साहू

सभा-सचिव

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव—श्री शिन्दे

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री डा० एरिंग

सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभा सचिव —श्री सै० अ० मेहदी

प्रधान मंत्री के सभा सचिव—श्री ललित सेन

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री स० चु० जमीर

इस्पात और खान मंत्री के सभा सचिव—श्री तिम्मय्या ।

तृतीय माला, खंड 35, अंक 8 बुधवार, 25 नवम्बर 1964/4 अग्रहायण 1886 (शक)
Third Series, Vol. XXXV No. 8 Wednesday Nov. 25, 1964/Agrahayana 4, 1886 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

(दसवां सत्र / Tenth Session)

[खंड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XXXV. contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI.

मुल्य : एक रुपया Price : One Rupee

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 25 नवम्बर, 1964/4 अग्रहायण, 1886 (शक)

Wednesday, November 25, 1964/Agrahayana 4, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली स्थित जीवन बीमा निगम के भवन में आग लगना

+

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दलजीत सिंह :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :
डा० कजरोलकर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :
श्री कर्णी सिंह जी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसफ अली रोड, दिल्ली स्थित जीवन बीमा निगम के भवन में हाल में लगी आग कारणों की छानबीन करने की जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां, पुलिस जांच पूरी हो गई है ।

(ख) ऐसा मालूम होता है कि यह आग मानवीय असावधानी, शायद सिगरेट या बीड़ी के फेंके हुए सिरों के कारण लग गई ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : जनता में यह सन्देह है कि उपस्कर और स्टेशनरी आदि को हुई कुछ हानि के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण फाइलें और अभिलेख भी इस आग से जल गये हैं। क्या इस जांच ने मामले के इस पहलू पर भी प्रकाश डाला हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : स्टेशनरी आदि को हुई हानि के अतिरिक्त, जिनका माननीय सदस्य उल्लेख किया, कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट नहीं हुई है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस घटना से कुछ समय पहले संसद् मार्ग पर जीवन बीमा निगम की इमारतों में एक और आग लगी थी जिसके ब्यौरे सरकार को मालूम हैं। क्या ये दोनों मामले अथवा जिन परिस्थितियों में दोनों आग लगीं किन्हीं बातों में मिलते जुलते हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं ऐसा नहीं समझता ।

श्रीमती सावित्री निगम : ऐसी घटनाएं फिर न हों इसके लिये क्या पूर्वोपाय किये गये हैं क्योंकि जीवन बीमा निगम में यह आग दूसरी बार लगी है ?

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय को धूम्रपान के विरुद्ध प्रचार करने का सुझाव दे सकती हैं ।

श्री बसुमतारी : क्या इस घटना में तोड़-फोड़ का भी पता लगा है ?

अध्यक्ष महोदय : उत्तर दे दिया गया है । तोड़ फोड़ का कोई प्रश्न नहीं है ।

Shri Gulshan : Do Government propose to prohibit smoking in offices as it leads to fire in such like big and strongly built office buildi

Shri L N. Mishra: This is very difficult.

Shri Gulshan: That means fire is a little thing.

श्री कपूर सिंह : मेरे माननीय मित्र ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है । उसका गम्भीर उ होना चाहिये ।

Mr. Speaker: He says that it is difficult for the Government to do s.

श्री कपूर सिंह : इसमें मुश्किल की क्या बात है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उनके साथ तर्क नहीं कर सकता । उत्तर दिया जा चुका है । मैं इर आगे नहीं बढ़ सकता । मैंने श्रीमती सावित्री निगम को भी सुझाव दिया कि वे धूम्रपान के विरु प्रचार कर सकते हैं ।

Shri Yashpal Singh : Is some anti national element involved in t case of fire ?

Shri L. N. Mishra: No, Sir.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Which of the two fires, this one or the earlier one resulted in greater loss ? Who according to your investigation has been held responsible ?

Shri L. N. Mishra: Enquiry has been held in both the cases and persons have been held responsible in both the cases, but I have not got the information regarding the damage sustained.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: How may persons were held responsible?

Shri L. N. Mishra: Regarding this fire there is a doubt on the watchman that he left the lighted bidi or cigarette. I have no information regarding the first fire.

Shri Onkar Lal Berwa: May I know whether enquiry has been held to know that the employee in this room has Pakistani relations also?

Shri L. N. Mishra: I do not think it is so.

Shri Onkar Lal Berwa : How can you presume when you have not held an enquiry ?

Mr. Speaker: Unless an hon. Member has some special proof, he should not utter such things.

श्री नम्बियार : क्या इस आग में कुछ ऐसी फाइलें भी जल गई हैं जिनमें कुछ उच्च अधिकारियों के आचार सम्बन्धी जांच थी ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं ऐसा नहीं समझता ।

श्री जयपाल सिंह : पहले उत्तर में मंत्री ने कहा कि आग सिग्रेट के कारण लगी । बाद में एक अनपूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि आग बीड़ी के कारण लगी थी । मेरा निवेदन है कि दोनों में बड़ा अन्तर है ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या मंत्री महोदय इससे अवगत हैं कि आग बिजली के शार्ट सर्किट के कारण लगी है ?

श्री ल० ना० मिश्र : जी, नहीं ।

श्री कपूर सिंह : सरकार के मस्तिष्क में ऐसी क्या कठिनाइयां हैं जब कि वह कहती है कि कीमती सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करने के लिये सार्वजनिक इमारतों में धूम्रपान को निषिद्ध करना कठिन अथवा असम्भव है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैंने यह नहीं कहा कि यह असम्भव है । मैंने तो कहा था कि यह कठिन है । यह कार्यवाही के लिए एक सुझाव है ।

श्री कपूर सिंह : कठिनाइयों का वास्तविक स्वरूप क्या है ? क्या वे मनोवैज्ञानिक हैं ? य आप स्वयं धूम्रपान करते हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं धूम्रपान नहीं करना ।

अध्यक्ष महोदय : इसका तो यह अर्थ है कि अध्यक्ष स्वयं धूम्रपान करता है।

श्री कपूर सिंह : जी, नहीं मैं मंत्री महोदय से प्रत्यक्ष रूप से कह रहा था।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही क्या बतायेगी ? कम से कम 3 वर्ष के बाद तो हमें ऐसा रवैया अपनाना चाहिये कि हम अध्यक्ष को मुखातिब हो कर बोलें। मंत्री महोदय को अन्य व्यक्ति की तरह सम्बोधित किया जाना चाहिये।

श्री कपूर सिंह : ऐसी हिदायतें दे दीजिये कि मैं मंत्री को सम्बोधित कर रहा था।

श्री ओझा : यदि एक बीड़ी या सिग्रेट से जीवन बीमा निगम की इमारत में आग लग सकती है तो इन 17 वर्षों में इस सचिवालय में कभी न कभी आग अवश्य लग गई होती। अतः क्या वह मामले में अग्रेतर जांच करने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि आग बीड़ी या सिग्रेट के टुकड़े से लगी थी ।

पूर्वी पाकिस्तान से आप्रवजन

+

*187. **श्री विभूति मिश्र** :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :
श्री यशपाल सिंह :
डा० रानेन सेन :
डा० सारादीश राय :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री उमानाथ :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री रामचन्द्र मलिक :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष जनवरी से अब तक पूर्वी पाकिस्तान से कुल कितने शरणार्थी भारत आए हैं ;

(ख) अब तक उनमें से कितनों को बसाया जा चुका है और उन्हें किन किन राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों में बसाया गया है ;

(ग) उनमें से कितने अभी शिविरों में रह रहे हैं और पुनर्वास की प्रतीक्षा में हैं और विभिन्न राज्यों में वे किस प्रकार कैम्पों में रखे गये हैं ; और

(घ) भारत में उनके अधिक संख्या में आने को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं अथवा करने का विचार है ?

पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास): (क) 21-11-1964 तक 7,94,312 व्यक्ति भारत आये हैं ।

(ख) जानकारी विभिन्न राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है, उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) 2,79,886 व्यक्ति । साधारणतया टैन्टों तथा/या बाशा प्रकार के अस्थायी मकानों में आवास का प्रबन्ध है ।

(घ) पाकिस्तान सरकार से दोनों देशों के गृह-मंत्रियों के आगामी सम्मेलन में शरणार्थियों के लगातार प्रवाह का प्रश्न उठाया जायेगा और इस बात की आवश्यकता पर भी बल दिया जायेगा कि वे अविलम्ब तथा सफल कदम उठायें ताकि ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जिससे शरणार्थियों के निरन्तर चले आने वाले प्रवाह को रोका जाये ।

Shri Bibhuti Mishra: The Minister is repeating time and again that people continue to pour in from East Pakistan. May I know whether apart from Home Ministers' Conference, Government have taken any concrete measures to check this influx of people from Pakistan ?

डा० म० मो० दास : हमने अन्य दिशाओं में भी कदम उठाये हैं । भारत सरकार ने अब यह फैसला किया है कि कोई भी प्रव्रजक जो इस देश में बिना प्रव्रजक प्रमाण पत्र के आता है उसे पुनर्वास सम्बन्धी लाभ पाने का अधिकार नहीं होगा । इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आसाम के मुख्य मंत्रियों को विवेक दिया गया है कि कठिन मामलों में वे पुनर्वास सम्बन्धी लाभ दे सकते हैं ।

Shri Bibhuti Mishra: At the time of partition it was decided that no person shall be turned out from either country on communal basis and that he will remain where he is. But inspite of this people continue to pour both from East and West Pakistan as our Minister has stated. I want to know what concrete steps Government have taken save the Home Ministers' Conference, to clear this influx.

डा० म० मो० दास : पहला कदम तो गृह मंत्रियों के सम्मेलन का था । दूसरे, जो कदम उठाये गये हैं उनका उल्लेख कर दिया गया है ।

Shri K. N. Tiwary: How many of the refugees coming to E. Bengal have been sent to Distt. Champaran Bihar and how many of them are fishermen, S.T.C. and agriculturists? How many of them are still in camp and how many rehabilitated?

Mr. Speaker: He must not be knowing all these details.

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया हैं कि पाकिस्तान से अतिरिक्त भूमि के लिए मुतालबा करना आवश्यक है तथा वांछनीय है जिससे कि इन शरणार्थियों को फिर से बसाया जा सके ?

डा० म० मो० दास : मेरा विचार है कि हमें दोनों देशों के गृह मंत्रियों के सम्मेलन की प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

Shri K. N. Tiwary: I had asked that.....

Mr. Speaker: How many persons have been sent to Champaran Distt. this and other details asked by hon. Member cannot be furnished as Minister might not be knowing all that.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि एक ओर तो पूर्व पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों और दूसरी ओर आसाम के बीच सम्पत्तियों की गैर सरकारी तौर पर स्वेच्छा से सफलतापूर्वक अदला बदली हो रही है ; यदि हां, तो क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव है कि दोनों देशों में अल्पसंख्यकों के फायदे के लिये पाकिस्तान सरकार को यह लिखा जाये कि वह इन अदला बदली की मंजूरी दे ?

डा० म० मो० दास : जी, हां ; हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti: I will speak vehemently on the next question.

Mr. Speaker: This does not mean that I have promised with him to allow him to speak vehemently on the next question.

Shri Jugdev Singh Siddhanti: I hope you will certainly allow me.

Mr. Speaker: Hon. Member may sit if he has no question to put.

श्री स० मो० बनर्जी : प्रव्रजन प्रमाण पत्रों के बिना भारत में पूर्व पाकिस्तान से जो विस्थापित व्यक्ति आये हैं उनकी कुल संख्या क्या है, और उनके लिये क्या किया जा रहा है ?

डा० म० मो० दास : श्रीमन्, 31 अक्तूबर, 1964 तक इस देश में 7,74,715 प्रव्रजक आये, उन में से प्रव्रजन प्रमाण पत्रों के साथ आने वालों की कुल संख्या 2,21,426 है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के पहले भाग का उत्तर उन्हें पहले उत्तरों में से मिल सकता है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि जो बिना आप्रव्रजन प्रमाणपत्र के आये हैं अर्थात् ऐसे व्यक्ति 4 लाख हैं, के भाग्य का निबटारा किस प्रकार होगा ।

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : जो शरणार्थी 31 अक्तूबर तक भारत आये थे उनमें से जितने जितने व्यक्तियों ने सहायता तथा पुनर्वास लाभ मांगे थे उनको यह लाभ दे दिए गए हैं । यह प्रतिबन्ध 1 नवम्बर से लगा है तथा इस अवधि में ऐसा कोई परिवार नहीं है, जो भारत में बिना आप्रव्रजन प्रमाणपत्र के आया हो तथा जिसने सहायता और पुनर्वास लाभ मांगे हों । इसलिये यह प्रश्न उठता ही नहीं है । तीनों राज्यों के मुख्य मंत्री उपयुक्त मामलों में अपने स्वविवेक से सहायता दे सकते हैं ।

Shri Onkar Lal Berwa: Shri Ayub Khan of Pakistan welcomed our Prime Minister on 12th Oct. may I know whether Government have any information that Hindus were converted to Islam in East Pakistan and if so, what action Government have taken in this regard?

Shri Tyagi : Government do not have any information.

Shri Gulshan: Are there some persons of Scheduled Castes and Backward classes in these refugees of East Pakistan ?

डा० म० मो० दास : हमारे पास अलग आंकड़े नहीं हैं परन्तु इनके कुछ व्यक्ति निश्चित रूप से इन शरणार्थियों में होंगे।

Shri Yashpal Singh: Are there any statistics with the Government that how many persons return back after creating trouble in our refugee camps ?

Shri Tyagi: All refugees who come to India, do not arrive in Government camps. About fifty percent out of them stay with their relatives and old friends therefore Government do not have any information about them. There are so many persons who are going to other places after leaving the camps.

श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या केन्द्रीय मंत्रालय ने राज्य सरकारों को पाकिस्तान से आने वाले इन शरणार्थियों को राज्यों की सिंचाई परियोजनाओं के क्षेत्रों में बसाने का परामर्श दिया है क्योंकि इससे सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों की जनसंख्या बढ़ जायेगी और उसका पूरा उपयोग हो सकेगा ?

डा० म० मो० दास : नये आप्रव्रजकों के शिविर विभिन्न राज्यों में हैं तथा उनकी संख्या 100 है। राज्य सरकारों के अधीन स्थापित होने वाले शिविरों के बारे में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच परामर्श हो रहे हैं।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : मैंने यह प्रश्न नहीं पूछा था।

अध्यक्ष महोदय : वह शरणार्थियों को सिंचाई वाले क्षेत्रों में बसाने के बारे में पूछ रहे थे।

डा० म० मो० दास : यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। उनके अपने अलग प्रस्ताव हैं।

Shri Bhagwat Jha Azad: According to the reply given by Minister out of the 7 Lakhs and some thousand migrated persons, 2 Lakhs and 79 thousands are still in the camps, may I know whether there is any scheme to rehabilitate these refugees and when this scheme will be implemented?

Shri Tyagi: It will take long time. In fact out of the persons who have migrated to India, not all have asked for rehabilitation and they are putting up according to their convenience. But half of them have come to camps and these are the liabilities of the Government. State Governments have intimated us the number they can rehabilitate in their states and these refugees will be rehabilitated there after reclamation of land there.

Shri Shiv Narain: What arrangements have been made by the Government to check the number of those who come and return back. May I know who is responsible for this, Central Government or State Government ?

Shri Tyagi: I want to make it clear that I welcome the practice adopted by persons of coming and returning back to Pakistan. We would like the arrangement if it can come into force according to which people can come and return back to Pakistan and can live there peacefully.

Shri Shiv Narain: I want to know about the arrangement made for the checking of those who come here for spying and return back.

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या सरकार ने इसका पूर्णतः पता लगा लिया है कि जो लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं वह इसलिये आ रहे हैं कि उनका वहां पर रहना सुरक्षित नहीं है ? यदि नहीं तो, इनको पुनर्वास लाभ क्यों नहीं दिए जा रहे हैं।

डा० म० मो० दास : हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते हैं कि जो लोग पूर्वी पाकिस्तान से आ रहे हैं वह वहां पर सुरक्षा न होने के कारण, उनकी स्त्रियों की बेइज्जती होने के कारण भारत आ रहे हैं।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : मेरे प्रश्न के अन्तिम भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। उनको पुनर्वास लाभ क्यों नहीं दिए गए हैं ?

श्री त्यागी : इसका पहले उत्तर दिया जा चुका है।

श्री हेम बरुआ : क्या यह तथ्य नहीं है कि पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों का निष्कासन लगातार इस कारण से हो रहा है कि वहां पर जान माल की सुरक्षा नहीं है। यदि हां, तो नेहरू-लियाकत करार के अनुसार उनकी सुरक्षा के लिये सरकार ने ऐसे कठोर कदम क्यों उठाये हैं कि जो शरणार्थी बिना आप्रव्रजन प्रमाणपत्र के भारत आते हैं उनको शरणार्थी नहीं माना जाता है ?

श्री त्यागी : जैसाकि मैंने कुछ दिन पहले स्पष्ट किया था कि आप्रव्रजन प्रमाणपत्र अब उदारता से दिए जा रहे हैं और अब आधे से ज्यादा लोगों को प्रमाणपत्र मिल रहे हैं। अतः हमने निर्णय किया है कि केवल उन्हीं लोगों को सहायता तथा पुनर्वास लाभ दिए जायेंगे जिनके पास आप्रव्रजन प्रमाणपत्र होंगे। अन्यथा बहुत से लोग शिविरों में अवैध रूप से घुस आयेंगे और गड़बड़ी पैदा करेंगे।

श्री बसुमतारी : क्या यह सच है कि जब हमारे माननीय मंत्री आसाम गये थे तो उन्होंने वायदा किया था कि शरणार्थियों को कुटीर उद्योगों का विकास करने के लिये भूमि तथा ओजार दिए जायेंगे, यदि हां, तो उन्होंने इस वायदे को किस सीमा तक कार्यान्वित कर दिया है ?

डा० म० मो० दास : आसाम सरकार इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार कर रही है। हाल में ही हमने इस काम के लिये 84 लाख रुपया स्वीकार किया है। जिससे उद्योगों की स्थापना भूमि के कृष्यकरण, गारो पहाड़ियों में 'कन्टूर बन्डिग' का काम होगा।

अवैध रूप से आये पाकिस्तानियों का देश निष्कासन

+

*188 श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेवसिंह सिद्धांती :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 सितम्बर, 1964 को अवैध रूप से आये पाकिस्तानियों का आसाम से निष्कासन स्थगित कर दिया गया है ;

(ख) ऐसा करने के क्या कारण थे ; और

(ग) इस समय निष्कासन के कितने मामले न्यायाधिकरणों के विचाराधीन थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) (क) और (ख). 29 सितम्बर, से 9 अक्टूबर, 1964 की अवधि में भारत छोड़ने के नोटिसों का जारी करना स्थगित करना पड़ा था। इसका यह कारण है कि तब 23 सितम्बर, 1964 को जारी किये गए विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 के अधीन कार्यविधियों को अन्तिम रूप दिया जा रहा था।

(ग) 616।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि भारत-पाकिस्तान गृह-मंत्री सम्मेलन की तिथि नजदीक होने के कारण सरकार ने आसाम सरकार से कहा है कि निष्कासन, का काम धीमी गति से करें जिससे पाकिस्तान के समाचारपत्र तथा सरकार ग़लत प्रचार न करें ; यदि नहीं तो निष्कासान की गति धीमी क्यों पड़ गई है ?

श्री हाथी : आसाम सरकार को ऐसे आदेश नहीं दिए गए हैं कि निष्कासन की गति धीमी कर दी जायें जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है। हमने निष्कासन नोटिस जारी करने की प्रक्रिया बदली है। मूलत: प्रक्रिया थी कि पुलिस सुपरिन्टेंडेंट अथवा पुलिस कमिश्नर उनको निष्कासन के नोटिस देते थे और वह लोग जेल भी जाते थे तथा नहीं भी जाते थे। परन्तु इस प्रक्रिया में न्यायिक जांच लाने के लिये और उनको न्यायाधिकरण के सामने अपनी बात कहने का अवसर देने के लिये प्रक्रिया में फेरबदल किया गया है। परन्तु निष्कासन धीमी गति से नहीं हुआ है, केवल निष्कासन नोटिसों का निलम्बन किया गया था।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि आसाम से निष्कासन धीमी गति से होने के कारण तथा वहां पर अवैध प्रवेश करने वालों की संख्या बढ़ जाने के कारण विधि तथा व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है ; यदि हां, तो निष्कासन का काम तीव्र गति से करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है।

श्री हाथी : हमें आसाम सरकार से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि निष्कासन का काम धीमी गति से हो रहा है और इस कारण से वहां पर विधि तथा व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान जनरल करियप्पा के, जिन्होंने हाल में ही पूर्व पाकिस्तान का दौरा किया था, इस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि जिन मुसलमानों का निष्कासन किया गया था उनको उनके कागजात देखे बिना ही नोटिस दे दिए गए थे और ऐसे मामले जनरल करियप्पा ने गृह-मंत्री को बताये थे ; यदि हां, तो वास्तविक स्थित क्या है ?

श्री हाथी : माननीय सदस्य ने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया है मैंने उसे नहीं पढ़ा है परन्तु गृह-मंत्रियों के सम्मेलन में पाकिस्तानी शिष्टमंडल ने सुझाव दिया था कि जिन मुसलमानों का निष्कासन किया गया है उनमें से कुछ भारतीय थे। हमने इन आरोपों से इन्कार कर दिया है और इसीलिये न्यायिक जांच की व्यवस्था की है।

Shri Prakashvir Shastri: May I know the number of cases of deportation of these infiltrated Pakistanis came to these special tribunals and the number of them decided by them, on the basis of which these muslims have been deported to pakistan and the progress made to get vacated that border area in which they were leaving ?

Shri Hathi: 31,756 cases went before the tribunal out of that 31,110 were held to be Pakistanis. The number of cases pending is 616.

Shri Prakashvir Shastri: The last part of my question was that what progress has been made to get vacated our border area ?

Shri Hathi: Assam Government have appointed a special officer for conducting survey in regard to the fact that how many families can be uprooted from there. Perhaps they are eight thousand families.

डा० सरोजिनी महिषी : क्या यह सच है कि भारत में अवैध प्रवेश करने वाले पूर्वी पाकिस्तानी सीमा पर बस रहे हैं और जहां पर वह रहे हैं उस कालोनी को उस गांव का नाम दे रहे हैं जिससे पूर्वी पाकिस्तान से वह आये हैं। यदि, हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है।

श्री हाथी : मुझे कोई जानकारी नहीं है।

Shri Jagdev Singh Siddhanti: These Pakistanis are entering with the connivance of Pakistan to increase the number of one community, so why Government are not taking firm action to deport them ?

Shri Hathi: Government is deporting them firmly and more than one Lakh of Persons have been deported.

श्री बसुमतारी : क्या यह सच है कि जब हमारे गृह मंत्री आसाम गये थे तथा उनको विश्वास हो गया था कि न्यायाधिकरण पर्याप्त संख्या में नहीं है तथा यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हाथी : हमने न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ा दी है।

श्री नाथपाई : क्या मंत्री महोदय का ध्यान पाकिस्तान के इस दूषित प्रचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय मुसलमानों को भारत से निकाला गया है क्योंकि वह मुसलमान हैं जबकि पाकिस्तान के हिन्दुओं का हिन्दू होने के नाते स्वागत किया जाता है। पाकिस्तानी

अपने इस प्रचार में सफल भी हो गये हैं क्योंकि प्रत्येक विदेशी समाचारपत्रों में इसकी चर्चा है। यदि सरकार को इस प्रकार की जानकारी है तो सरकार इसका विरोध करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री हाथी : यह बात कि भारतीय मुसलमानों को भारत से निकाला जा रहा है गृह-मंत्री सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने कही थी। हमने इससे इन्कार कर दिया था। हमने कहा था कि केवल पाकिस्तानी राष्ट्रजन भेजे जा रहे हैं...

श्री नाथपाई : न्यूयार्क टाइम्स जैसे विदेशी समाचारपत्र में ऐसा प्रचार हुआ है।

श्री हाथी : हमने घोषणा की है कि किसी भी भारतीय मुसलमान को निष्कासित नहीं किया जा रहा है और पाकिस्तान मुसलमानों को निष्कासित किया जा रहा है। हमने उन्हें यह बात अनेक बार बताई है तथा आम जनता को भी इससे सूचित कर दिया है। इसलिये इस प्रचार में कोई भी सचाई नहीं है कि भारतीय मुसलमानों को निकाला जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : वह जो बात पूछना चाहते थे वह यह है कि क्या उन्होंने केवल सम्मेलनों में ही इसकी भर्त्सना अथवा निराकरण किया है अथवा ये जो प्रचार किया जा रहा है उसका भी उन्होंने विरोध प्रचार किया है।

श्री नाथपाई : विशेषतः विदेशों में।

श्री हेम बरुआ : जनरल करिअप्पा जैसे एक भारतीय ने भी ऐसी बात कही है।

श्री हाथी : हमने इस सम्बन्ध में खुले वक्तव्य दिये हैं।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि पाकिस्तान से निर्वासित उन मुसलमानों का क्या हुआ जो कि पंजाब की सीमा पर ले जाये गये थे और जिन्हें पंजाब सरकार ने रखने से मना कर दिया था ? क्या अभी तक भी वे लोग सरकारी व्यय पर उन शिविरों में रखे जा रहे हैं अथवा इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार के साथ कुछ बात-चीत चल रही है ?

श्री हाथी : दरअसल यह बात आसाम की सीमा से सम्बन्धित नहीं है। उन मुसलमानों के बारे में जो कि निर्वासित किये गये थे और जिसका कि पाकिस्तान ने विरोध किया था, पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधि वहां पर आये थे और मेरा विचार है कि लगभग 30 परिवारों अथवा 150 व्यक्तियों के अतिरिक्त लगभग अन्य सभी को उन्होंने लेना स्वीकार कर लिया है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि जो मुसलमान निर्वासित किये गये थे उनमें से कुछ पुनः भारत में आ गये हैं।

श्री हाथी : हम भी यह मानते हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो लोग निकाले गये थे वे वापस आ सकते हैं। इस सम्बन्ध में हम या तो पहचान पत्र अथवा अगूंठे के निशान लेने की पद्धति को लागू करने का विचार कर रहे हैं जिससे कि वे यदि आयें तो उन्हें पहिचाना जा सके।

श्री कपूर सिंह : क्या यह निर्वासन कार्य हमने इस कारण बन्द कर दिया है कि हम पर कुछ बाहरी दबाव डाला गया है अथवा हमने अपनी कार्यपद्धति में कोई प्रशासकीय त्रुटि पाई है ?

श्री हाथी : वास्तविक निर्वासन कार्य हमने बन्द नहीं किया है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं हमने देश छोड़ो सूचनायें देना बन्द कर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह कार्य इसलिये बन्द कर दिया गया है कि हम पर कुछ बाहरी दबाव पड़ा है अथवा हमें यहां अपने कार्य में कुछ त्रुटि मिली है ?

श्री हाथी : निर्वासन कार्य तनिक भी बन्द नहीं किया गया है।

श्री कपूर सिंह : क्या निर्वासन कार्य किसी बाहरी दबाव के कारण बन्द किया गया है अथवा इसलिये कि हमारी प्रशासकीय कार्यपद्धति में कुछ त्रुटियां पाई गई थीं जिन्हें हम दूर करना चाहते थे ?

श्री हाथी : निर्वासन कार्य तनिक भी बन्द अथवा कम नहीं किया गया है अपितु भारत छोड़ो सूचनायें देना बन्द कर दिया गया है।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : यह निश्चित करने के हेतु कि वास्तविक अनाधिप्रवेष्ठा कौन कौन व्यक्ति हैं और कौन नहीं, अपनी कार्यपद्धति में परिवर्तन करने के लिये कब और कितनी बार यह निर्वासन कार्य बन्द किया जाता है ?

श्री हाथी : जैसा कि मैं बता चुका हूं, वास्तविक निर्वासन कार्य को बन्द करने का प्रश्न ही नहीं उठा है। केवल भारत छोड़ो सूचनाओं का देना बन्द किया गया था और वह भी केवल एक ही बार ; इससे पहिले गत समय में भी ऐसा कभी नहीं हुआ।

श्री कपूर सिंह : जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ---दोनों में भला क्या अन्तर है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री भागवत झा आजाद ।

श्री कपूर सिंह : आप माननीय मंत्री से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये कहें कि भला नागनाथ और सांपनाथ ---इन दोनों कार्यों---में क्या अन्तर है ?

अध्यक्ष महोदय : यह अनुपूरक प्रश्न यहां संगत नहीं है ।

Shri Bhagwat Jha Azad: Since all people were declared as Pakistani citizens in cent percent cases which were sent to the tribunal and since such people are still present in Assam in a great number, whether Government will increase the number of Tribunals or take some other such step sc that those people could be deported early from here ?

श्री हाथी : हमने न्यायाधिकरणों की संख्या में वृद्धि की मंजूरी दी है जिससे कि कार्य को शीघ्र निपटाया जा सके।

Trouble in Refugee Camps.

+

*189. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri D. D. Puri:
Shri Yashpal Singh:
Shri Surendra Pal Singh :
Shri Bagri:
Shri Vishram Prasad :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Gulshan:
Shri Omkar Singh :
Shri Kajrolkar :

Will the Minister of **Rehabilitation** be pleased to state:—

(a) whether some disturbances have lately occurred in various refugee camps of migrants from East Pakistan;

(b) if so, whether efforts have been made to find out the causes; and

(c) the steps proposed to be taken to check the recurrence of such incidents in future;

The Deputy Minister in the Ministry of Rehabilitation (Dr. M. M. Das): (a) Yes, Sir. It has been reported that some inmates of the camps at Mana, Hastinapur and Rudrapur had created disturbances lately. However, the authorities of the camps took suitable action and the camps are now peaceful.

(b) & (c), A statement is laid on the table of the Sabha.

(b) Investigations have revealed that the disturbances were instigated by old migrants who posed as new migrants with a view to availing of relief/rehabilitation assistance afresh. They exploited the new migrants by making false promises of securing for them agricultural land, enhancement of doles and other benefits. They were found in some cases to have been collecting money from displaced persons on such pretexts. As they were not in a position to fulfil their promises, they stirred up trouble with a view to diverting attention from themselves. In this connection, the existence of an organisation in West Bengal has come to light, whose aim was to induct old displaced persons with the new migrants near the border and send them to the transit centre, to raise money in camps and also to encourage desertions. The new migrants in camps fall an easy prey to such antisocial elements on occasions, but majority of them are law-abiding and peaceful.

(c) A careful scrutiny of the bonafides of migrants already admitted in the camps is being carried out. Instructions regarding the strict observance of camp discipline have been issued. Anyone violating camp discipline or creating trouble is first given a written warning ; if he again misbehaves, his dole is stopped ; if he violates the camp discipline a third time or invites others to do so, he and his family are liable to be discharged from the camp. Necessary instructins have also been issued to State Governments, to deal with the persons creating trouble in accordance with the law.

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether any political parties were behind these disturbances which have recently occurred in various refugee camps ?

डा० म० मो० दास : जी, नहीं ; हमारा विचार है कि ये पुराने अप्रव्रजक लोग थे जो कि किसी प्रकार से इन शिविरों में घुस आये और उन्होंने यह उपद्रव किये ।

श्री नाथ पाई : क्या मैं इस बात की ओर संकेत कर सकता हूं कि एक दिन श्री त्यागी ने, जो कि उपमन्त्री महोदय के वरिष्ठ सहयोगी हैं, इस सदन में यह बताया था कि बैठकें बुलाने की जो अनुमति नहीं दी गई थी उसका कारण यह था कि--मेरा विचार है कि डा० रानेन सेन उस समय बोल रहे थे---डा० रानेन सेन जैसे राजनैतिक विचार वाले. . .

एक माननीय सदस्य : जी, नहीं।

श्री नाथपाई : मैं केवल उनका उदाहरण दे रहा हूं. . .व्यक्तियों ने शरणार्थियों को गुमराह किया था ? हम इन दोनों कथनों में किस प्रकार से सामञ्जस्य स्थापित करें ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : मैं अपने माननीय मित्र का ध्यान सदन की कार्यवाही की ओर दिलाता हूं। मैंने यह नहीं कहा था कि इसके पीछे राजनीतिक दलों का हाथ था, परन्तु. . .

श्री नाथपाई : माननीय मंत्री मेरी स्मृति पर विश्वास करें।

श्री त्यागी : मैंने यह नहीं कहा कि इसके पीछे राजनैतिक दलों का हाथ था, अपितु यह कहा था कि ये लोग वहां पर राजनैतिक चालें चल रहे थे।

Shri Prakash Vir Shastri : It is possible that people working in India might not be having contacts with political parties, but are there some people among the refugee migrated from Pakistan who have come as refugees with some political aims and they are behind these disturbances ?

Shri Tyagi: Government is not aware of any such thing.

Shri A. S. Saigal : Is it a fact that there are certain Pakistanis also among the refugees migrated from Pakistan who are indulging in spying activities and are trying to create disturbances ? If so, whether Government are keeping any watch over it or has any enquiry been held into this matter;

डा० म० मो० दास : एक दो व्यक्तियों के मामले में कैम्प कमांडेंट ने यह संदेह किया है कि वे व्यक्ति अन्य किसी देश के एजेन्ट हो सकते हैं।

Shri Yashpal Singh: It has been admitted in the statement that old migrants have mingled with new migrants and are trying to create disturbances. Have no arrangements been made by the Government to check the entry of these miscreants in the camps so that they may not mislead the new migrants;

डा० म० मो० दास : हमने इन शरणार्थियों की छानबीन की व्यवस्था की है। एक दल इसके लिये माना शिविरों में कार्य कर रहा है और अगले महीने, अर्थात् दिसम्बर, के मध्य तक माना शिविर में, जो कि हमारे समस्त शिविरों में सबसे बड़ा है, यह कार्य पूरा हो जायेगा। अन्य शिविरों में कार्य उनके क्रम से प्रारम्भ किया जायेगा।

Shri Yashpal Singh: But how the old migrants mingled with new migrants, when the old ones might have reached here a year before and new ones have reached only recently ?

डा० म० मो० दास : ऐसा होता है कि पुराने आप्रव्रजक लोग सीमा पर चले जाते हैं और शिविरों में अपना नाम नये शरणार्थियों के रूप में दर्ज करा लेते हैं। अभी तक इसकी रोकथाम नहीं हो सकी है।

Shri Vishram Prasad: It has been stated in the statement that:—

"Investigations have revealed that the disturbances were instigated by old migrants who posed as new migrants with a view to availing of relief/rehabilitation assistance afresh. They exploited the new migrants by making false promises of securing for them agricultural land...

Mr. Speaker: Are you reading the whole statement ?

Shri Vishram Prasad : May I know as to how those old migrants have been able to pose themsleves as new migrants and inter-mingle with new ones? Has there been no scrutiny in this matter?

Mr. Speaker: This is what he has stated just now that old migrants go to the border and get themselves enlisted in the camps as new migrants.

Shri Onkar Lal Berwa: How many persons have been arrested in these distrurbances and what is the number of old and new migrants separately among those arrested ?

डा० म० मो० दास : माना शिविरों में 16 आप्रव्रजकों के ऊपर विभिन्न धाराओं के अधीन अभियोग चलाया गया है, रुद्रपुर शिविर में 24 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे और बाद में उन सबको जमानत पर छोड़ दिया गया था। हस्तिनापुर शिविर में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई ।

Mr. Speaker: How many amongst them were old migrants and how many new ones?

डा० म० मो० दास : उनमें से अधिकांश पुराने हैं।

Shri Gulshan: Has any refugee, amongst those creating disturbances, been arrested on charges of spying for Pakistan?

Shri Tyagi: No refugee has been arrested for spying for Pakistan but they have been arrested for other different types of crimes, as for example for manhandling a Sub-Inspector, for snatching his pistol or for creating some such disturbance.

श्री विद्या चरण शुक्ल : क्या यह सच है कि बेतूल स्थित शरणार्थी शिविर में कुछ भारी उपद्रव हुए थे ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है कि सरकार ने बेतूल शिविर के नाम का उल्लेख उन शिविरों में नहीं किया जिनमें उपद्रव हुए थे ?

डा० म० मो० दास : यह प्रश्न हाल ही में हुई उपद्रवों के सम्बन्ध में है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या उस शिविर में हाल ही में कुछ उपद्रव हुए हैं।

श्री विद्या चरण शुक्ल : वहां पर हाल ही में लगभग एक महीने पहिले भारी उपद्रव हुए थे।

डा० म० बो० दास : दुर्भाग्यवश, इसका इच्छानुसार निर्णय हमने किया था।

श्री हेम बरुआ : 'दुर्भाग्यवश क्यों ?

डा० म० मो० दास : हमारे निर्णयानुसार--हमारा निर्णय गलत भी हो सकता है--हमने इसको प्रश्न के उत्तर में सम्मिलित नहीं किया ।

अध्यक्ष महोदय : जानकारी दी जानी चाहिये क्योंकि 'हाल ही में' में प्रत्येक ऐसी घटना आ जानी चाहिये जो कि एक महीने के अन्दर हुई हो ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह सच है कि 7 अक्टूबर को रुद्रपुर में उपद्रव होने के तुरन्त पश्चात उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार को यह लिखा था कि उपद्रव का मुख्य कारण वह नियम थे जिनके अधीन विस्थापित व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार दिये बिना ही उनका अकर्माधिदेय (कैश डौल) कम अथवा बन्द किया जा सकता है और यह कि क्योंकि यह नियम त्रुटिपूर्ण है अतः इसमें उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिये ? यदि हां, तो उस सुझाव पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

डा० म० मो० दास : रुद्रपुर शिविर की घटना के तुरन्त बाद उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री श्रीमती सुचेता कृपालानी वहां पर गई थी तथा उन्होंने वहां पर रहने वाले शरणार्थियों का समाधान कर दिया था। उन्होंने केन्द्रीय सरकार को कुछ सिफारिशें भेजी थीं। हमने उन सिफारिशों पर विचार कर लिया है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या सरकार का, नक़द इनाम देने के बारे में जो ग़लत नियम था उसमें परिवर्तन करने का विचार है ?

डा० म० मो० दास : यदि माननीय सदस्य को ब्योरे चाहिए तो उसके लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए।

श्रीमती सावित्री निगम : यह कहां तक सच है कि माना शिविर में कुप्रबन्ध तथा वहां के अधिकारियों का बुरा व्यवहार वहां पर गड़बड़ी का कारण था ?

डा० म० मो० दास : इस प्रकार का आरोप लगाने का कोई आधार नहीं है ।

जम्मू तथा काश्मीर में बम विस्फोट की घटनाएं

†190 **श्री यशपाल सिंह** :
श्री गुलशन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक-सभा के गत सत्र की समाप्ति से अब तक जम्मू तथा काश्मीर में बम विस्फोट की घटनाओं में कोई वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) लोक-सभा के गत सत्र की समाप्ति से हमें जम्मू तथा काश्मीर राज्य में नौ विस्फोटों की सूचना मिली है।

(ख) ऐसी घटनाओं को पुनः होने से रोकने के लिये सब संभव पूर्वोपाय किये गये हैं।

(ग) कोई नहीं।

Shri Vashpal Singh : Do government know that a bomb was thrown the house of Pt. Premnath Dogra. If so, whether they also know that ho is responsible for it. Whether there was any hand of plebiscite front in hat.

Shri Hathi : It is one amongst those ten which I have told and State Government is investigating the matter.

Shri Yashpal Singh : May I know whether government have conducted any enquiry to know the manufacturing country of these bombs and from where these bombs are being obtained. If so, how government want to check this ?

Shri Hathi : We have not received the enquiry report yet.

Shri Gulshan : Is it not a fact that bombs are being exploded in Jammu and Kashmir at different places and whether some political parties are involved in these incidents ?

Shri Hathi : The information we have received from State Government says that Pakistani Agents are involved in this.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Hon. Minister has told that since the termination of the last session there were ten explosions. May I know whether group of Sheikh Abdullah is more active now. It means that all trouble are due to this group.

Shri Hathi : In this connection I want to draw the attention to the statement made by the Prime Minister of J and K on 20 Nov. which is as follow :

"पाकिस्तानी एजेन्ट यहां आ रहे हैं और राज्य में गड़बड़ी करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से बम विस्फोट कर रहे हैं।"

श्री रंगा : अभी तक दस विस्फोट हो जाने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई इसका क्या कारण है ? क्या ऐसा इस कारण से है कि वहां की सरकार को किसी बात का खतरा नहीं है इसलिये किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है अथवा सरकार को कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो पाकिस्तानी जासूसी के लिए जिम्मेदार हो और जिसको वह गिरफ्तार कर सकती।

श्री हाथी : इन दस विस्फोटों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है परन्तु कुछ लोगों से पूछताछ की गई है। दूसरे मामलों में कुछ लोग गिरफ्तार किए गये हैं।

श्री रंगा : परन्तु इन दस मामलों में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय : पूछताछ की जा रही है।

Shri Bibhuti Mishra : Hon. Minister told us that the report of the State Government is that some Pakistani Agents are involved in them. May I know what is report of the intelligence of State and Central and the action taken by central Government in this regard ?

Shri Hathi : Usually we do not say any thing in regard to the Central Intelligence. But we have some information.

श्री नाथ पाई : मंत्री महोदय ने बताया है कि गत सत्र के बाद से दस विस्फोट हुए हैं और उन्होंने यह भी कहा कि अब तक एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या इससे यह पता नहीं लगता कि वहां पर कितनी असुरक्षा है अथवा क्या यह इस कारण हुए हैं कि पाकिस्तानी अपने स्थानीय एजेन्टों के द्वारा यह काम करा रहे हैं? सरकार किन कारणों से अपराधियों को नहीं पकड़ सकी है?

श्री हाथी : संभव है सीमा पार करने वाले लोग ऐसा करते हों। अथवा किसी अन्दरूनी व्यक्ति ने ही ऐसा किया हो। इसका पता लगाया जाना चाहिए। मैं जांच के परिणाम मिलने पर ही कोई वक्तव्य दे सकता हूं।

Shri Bhagwat Jha Azad : Do Government know that Sheikh Abdullah, Plebiscite front and Pakistani Agents have combined themselves to explode these bombs and they started this with a view of creating trouble in the State.

Shri Hathi : It can be known after we receive the report.

श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्या सरकार को यह बताया गया है कि जम्मू तथा काश्मीर में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले पाकिस्तानियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि मूल निवासियों तथा अवैध प्रवेशकर्ताओं का अलग-अलग पता ही नहीं लगता है?

श्री हाथी : मैं प्रश्न के अन्तिम भाग को नहीं समझा।

अध्यक्ष महोदय : क्या उनकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि पुराने निवासियों तथा अवैध प्रवेश करने वालों का पता लगाना संभव नहीं है।

श्री हाथी : मैं नहीं समझता कि यह पता लगाना संभव नहीं है कि वे अवैध प्रवेशकर्ता हैं अथवा नहीं।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : क्या बम विस्फोटों की घटनाओं में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को इनकी छानबीन करने के लिये कोई वित्तीय सहायता दी है?

श्री हाथी : राज्य सरकार द्वारा ऐसी मांग किए जाने पर उन्हें अवश्य ही सहायता दी जाती है।

श्री नरेन्द्रसिंह महीडा : क्या पहले हुए दस विस्फोटों के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को चोटें आई थीं तथा सम्पत्ति को किस प्रकार की क्षति पहुंची थी?

श्री हाथी : पहले विस्फोट के कारण दीवार को मामूली चोट पहुंची; दूसरे में कोई क्षति नहीं हुई ; तीसरे में इमारत को मामली क्षति पहुंची ; चौथे में वन रक्षक के कार्यालय की छत का एक भाग उड़ गया ; पांचवें में कोई नुक्सान नहीं हुआ, और बाद की घटना में एक खिड़की तथा कुछ भागों को क्षति पहुंची। इन विस्फोटों में किसी व्यक्ति को चोटें नहीं आईं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : What about Shri Dogra ?

श्री हाथी : एक दीवाल, कुछ दरवाजे तथा खिड़कियों को क्षति पहुंची।

Shri Prakash Vir Shastri : According to the statement of the hon. Minister, no arrests have been made although ten bomb explosions have taken place there. Does it show that the Jammu and Kashmir Police is not serious about this matter and if so, whether Central Government propose to raise the strength of the Central Reserve Police there ?

Shri Hathi : As I have stated when the State Government asks for some assistance, our police helps them. But the investigations are still in progress and nobody has been apprehended as yet. It would be too premature to draw any inference from it now.

श्री अब्दुल गनी गोनी : क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से विशेष सहायता अथवा विशेष पुलिस सहायता मांगी है तथा केन्द्र से छानबीन कार्य में सहायता करने के लिए कहा है ?

श्री हाथी : इस मामले में राज्य सरकार से कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है परन्तु पहले उन्होंने सहायता मांगी थी और हमने अपने अधिकारी भेज दिये हैं।

Shri Bade : May I know whether from the exploded substance it has been possible to ascertain the origin of these bombs ?

Shri Hathi : It is a very pertinent qusetion. These substances have been sent to our military advisors for examination.

श्री तिरुमल राव : क्या समाचारपत्रों में छपने वाले इन समाचारों में कोई सत्यता है कि इन विस्फोटों के पीछे पाकिस्तानियों का हाथ है ?

श्री हाथी : मैं इसका पहले ही उत्तर दे चुका हूं।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् की जांच समिति का प्रतिवेदन

+

*191. श्री रा० गि० दुबे :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री हेम बरुआ :
श्री रा० बरुआ :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री वारियर :
श्री दाजी :
श्री ज० ब० सिं० बिष्ट :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री द्वारका दास मंत्री

क्या शिक्षा मंत्री 16 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 718 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् के कार्यकरण के बारे में मुदालियर समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) माननीय सदस्य रिपोर्ट का कृपया सोलहवां अध्याय देखने का कष्ट करें । रिपोर्ट की प्रति संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ग) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की शासी निकाय अपनी अगली बैठक में इन सिफारिशों पर विचार करेगी ।

श्री रा० गि० दुबे : क्या सरकार इस सिफारिश पर गम्भीरता से विचार कर रही है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को मुख्य रूप से व्यावहारिक अनुसंधान कार्य तक ही अपने को सीमित रखना चाहिए ?

श्री मु० क० चागला : हम सभी सिफारिशों पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं परन्तु इनको कार्यान्वित करने से पहले हम इन्हें शासी निकाय (गवर्निंग बॉडी) के समक्ष रखना चाहते हैं और उनकी राय जानने के बाद ही कोई कार्यवाही की जायेगी ।

श्री रा० गि० दुबे : क्या मैं जान सकता हूं कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की योजनाओं की जांच करने तथा उन्हें अन्तिम रूप देने में होने वाले अनावश्यक विलम्ब को समाप्त करने की दृष्टि से क्या विशेष कदम उठाये गये हैं ?

श्री मु० क० चागला : इसमें मुश्किल से एक-दो महीने लगे हैं। प्रतिवेदन के पेश किये जाने से पहले इसे शासी निकाय के सदस्यों में परिचालित किया गया था। इस पर विचार करने के लिये हम शासी निकाय की बैठक बुलाने वाले हैं। मेरी राय में हम ने तेजी से कार्य किया है।

Shri Yashpal Singh : Has the attention of the Government been drawn to fact that at the instance of the Chairman the name of Shri Jain was not sponsored and he was not nominated and consequently an officer had to lose his office ?

श्री मु० क० चागला : इसका पुनर्विलोकन समिति से कोई सम्बन्ध नहीं है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य डा० किचलू के त्यागपत्र की ओर निर्देश कर रहे हैं। इसका मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ; फिर भी मैं इसका उत्तर देने के लिए तैयार हूं।

Shri K.N. Tiwari : Whether it is a fact that due to delay in the implementation of the recommendations of the Mudaliar Committee a considerable number of Scientists have gone outside India for want of research opportunities here ; and if so, the number there of ?

श्री मु० क० चागला : समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। समिति की पिछली बैठक 21 सितम्बर को हुई थी और प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे दिया गया था। अभी मुश्किल से दो महीने ही हुए हैं। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसकी साइक्लोस्टाइल की हुई कापियां तैयार की जाती हैं और उन्हें राय जानने के लिये परिचालित किया जाता है। शासी निकाय की बैठक बुलानी होती है। इसलिये यह आपत्ति उचित नहीं है कि प्रतिवेदन पर विचार करने में देरी हुई है।

Mr. Speaker The hon. Member says that scientists have been forced to leave this country.

श्री मु० क० चागला : इसका पुनर्विलोकन समिति से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके विपरीत, हम विदेशों से वैज्ञानिक प्राप्त कर रहे हैं।

Mr. Speaker : Some scientists are going to Canada and England and that number is very large. The hon. Minister should pay some attention to it.

श्री मु० क० चागला : मैं अवश्य ही ऐसा करूंगा।

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether the Report of the conucil of Scientific and Industrial Research contains any formula for increasing the recovery from sugarcane in the sugar mills as is the ptractice in foreign countries ?

श्री मु० क० चागला : यदि माननीय सदस्य का सुझाव इस बारे में अनुसंधान करने से है तो उसे अवश्य ही ध्यान में रखा जायेगा।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि मुदालियर समिति के प्रतिवेदन के अनुसार वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अनुसंधान कर्त्ताओं को एक प्रश्नावली भेजी गई है और उनसे पूछे गये प्रश्नों में से एक प्रश्न यह भी है : "क्या आप अनुसंधान के काम में लगे हुए अपने अन्य साथियों के प्रति अपनेपन की भावना अनुभव करते हैं ?" यदि हां तो क्या सरकार उनसे राष्ट्रीय एकता के नारे के अतिरिक्त अन्य किसी उत्तर की आशा करती है ?

श्री मु० क० चागला : प्रश्नावली भेज कर हमारा उद्देश्य उनसे नारे प्राप्त करना नहीं है। हम उनकी कठिनाइयां जानना चाहते हैं। उन्हें अपनी अनुसंधानशाला के प्रति मोह होना चाहिये। आगामी मास में लखनऊ में एक निदेशक सम्मेलन होने वाला है जिस में इस प्रतिवेदन पर भी विचार किया जायेगा।

श्री के० दे० मालवीय : क्या सरकार आगामी बजट अधिवेशन के प्रारम्भ में इस प्रतिवेदन की अन्तिम रूप से जांच कर के संसद् में अपने निर्णय की घोषणा कर सकेगी ?

श्री मु० क० चागला : फरवरी अथवा मार्च में ऐसा किये जाने की संभावना है।

श्री रा० बरुआ : क्या सरकार शासी निकाय की सिफारिशों को स्वीकार करेगी या वह उसकी सिफारिशों में रूपभेद करना चाहेगी ?

श्री मु० क० चागला : मेरी राय में मंत्रालय का काम विशेषज्ञों की राय जानने के पश्चात् नीति निर्धारित करना है। पुनर्विलोकन समिति का प्रतिवेदन हमें मिल गया है। अब हम शासी निकाय तथा निदेशकों की राय प्राप्त करेंगे। इन सब पर विचार करने के पश्चात् ही कोई नीति निर्धारित की जायेगी।

डा० सरोजिनी महिषी : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान के क्षेत्र में उच्च अर्हता प्राप्त व्यक्तियों की सूची में उत्तरोत्तर वृद्धि के प्रति मुदालियर समिति की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार उस पर क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री मु० क० चागला : कुछ और अधिक विचार करने के पश्चात् ही पुनर्विलोकन समिति की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही की जायेगी।

डा० सरोजिनी महिषी : मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री मु० क० चागला : जहां तक वैज्ञानिक 'पूल' का सम्बन्ध है, मेरा अनुमान है कि समिति ने इस योजना का समर्थन किया है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या इस प्रतिवेदन पर केवल शासी निकाय द्वारा ही विचार किया जायेगा। इस प्रतिवेदन में संस्था के कार्यकरण पर भी टिप्पणी की गई है और संस्था के कार्यकरण के लिये शासी निकाय ही जिम्मेदार है। इसलिये क्या ऐसी स्थिति में शासी निकाय कोई उचित निर्णय कर सकेगा ?

श्री मु० क० चागला : मुझे परिषद् के कार्यकरण के बारे में की गई ऐसी किसी आलोचना की जानकारी नहीं है। समिति ने परिषद् तथा विभिन्न अन्य प्रयोगशालाओं के बारे में कुछ सुधार सम्बन्धी सिफारिशें की हैं तथा आलोचनाएं नहीं। उन पर शासी निकाय ही विचार कर सकता है क्योंकि वही इस परिषद् का पथप्रदर्शन करता है।

Capitation Fees

*192. **Shrimati Savitri Nigam :**
Shri M. L. Diwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri Warior :
Shri Daji :
Shri A. V. Raghavan :
Shri Pottekkatt :
Shri Sivamurthi Swamy :
Shri Siddheshwar Prasad :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to unstarred Question No. 697 on the 16 September, 1964 and state the various steps so far teken by Government to ensure that educational institutions in the country do not realise 'donation fees' and Capitation fees' from the students ?

The Minister of Education (Shri M.C. Chagla) : The statement is laid on the table of the House.

[Placed in Library. See No. LT-3444/64]

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री का ध्यान विवरण की मद 2 की ओर गया है जिस में कहा गया है कि शिक्षा संस्थाओं के समर्थकों को स्वीकृत प्रतिभूतियों के रूप में कम से कम 30 लाख रुपये की राशि जमा करनी चाहिये ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार की शर्त से ऐसी संस्थाएं खोलने में बाधा उत्पन्न नहीं होगी ?

श्री मु० क० चागला : जी, हां; इस प्रस्ताव की ओर मेरा ध्यान दिलाया गया था। माननीय सदस्या को विश्वास दिलाता हूं कि यह प्रस्ताव तकनीकी शिक्षा के रास्ते में बाधा उत्पन्न करने के लिये नहीं लाया गया है अपितु यह लाभदायक सिद्ध होगा।

श्रीमती सावित्री निगम : सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये क्या अन्य कदम उठाने जा रही है जिससे कि ये संस्थाएं दान शुल्क तथा प्रति व्यक्ति शुल्क वसूल न कर सकें और साथ साथ उनकी प्रगति में भी बाधा उत्पन्न न हो ?

श्री मु० क० चागला : यदि ये संस्थाएं सरकार द्वारा निर्धारित की गई शर्तों का पालन नहीं करेंगी तो इन को कोई सहायता नहीं दी जायेगी। उन में से एक शर्त यह भी है कि छात्रों से प्रति व्यक्ति शुल्क नहीं लिया जायेगा।

श्री दाजी : स्वयं माननीय मंत्री ने ऐसा कहा है कि प्रति व्यक्ति शुल्क का लिया जाना शिक्षा के क्षेत्र में चोरबाजारी करना है। यदि ऐसा है तो केवल भविष्य में ही नहीं बल्कि अब भी यदि ये संस्थाएं प्रति व्यक्ति फीस लेती रहेंगी तो क्या जो सहायता दी गयी है या दी जा रही है, वह तुरन्त बन्द कर दी जायेगी ?

श्री मु० क० चागला : हम इन संस्थाओं को कोई सहायता नहीं दे रहे हैं। कठिनाई यह है कि मैसूर राज्य में जहां ये संस्थाएं स्थापित की गयी हैं प्रति व्यक्ति शुल्क वसूल किया जा रहा है। दुर्भाग्य से, विश्वविद्यालय ने इन संस्थाओं को सम्बद्ध कर लिया है और राज्य ने इसका समर्थन किया

है। वह केवल यही कर सकते हैं कि यह देखा जाये कि इन संस्थाओं में कुछ स्तर हो। केन्द्रीय सरकार इन संस्थाओं को कोई सहायता नहीं दे रही है।

श्री दाजी : क्या आप राज्य सरकार को अपनी नीति वापस लेने का परामर्श नहीं दे सकते हैं ?

श्री मु० क० चागला : यदि राज्य हमारे परामर्श को मानते तो देश की स्थिति काफी अच्छी होती।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

व्हिटले परिषदों का बनाया जाना

*193. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या गृह-कार्य मंत्री 30 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 495 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्हिटले परिषदों के बनाये जाने के बारे में अन्तिम निर्णय करने के लिये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ कोई बैठक हुई थी ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था बनाने में सरकार की सफलता के विरुद्ध कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने देश-व्यापी आन्दोलन शुरू कर दिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) कर्मचारियों के अलग अलग संगठनों से आगे परामर्श किये जा रहे हैं।

(ग) सरकार को किसी ऐसे आन्दोलन का पता नहीं है।

भारतीय खनन स्कूल, धनबाद

*194. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ही० ना० मुखर्जी :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खनन स्कूल, धनबाद में पैट्रोलियम टैक्नोलोजी पाठ्यक्रम कब चालू किया गया था ;

(ख) उस स्कूल में इस विभाग के स्थापित किये जाने से अब तक कितने अध्यापकगण रहे थे ;

(ग) क्या अध्यापकों की संख्या बढ़ाने के बारे में छात्रों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी मांग को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) 1957–58 में ।

(ख) विवरण सूचना सहित सभा पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3445/64]

(ग) जी, हां ।

(घ) सभी सम्भव कदम उठाए गए हैं, जिनमें तकनीकी सहायता के यूनेस्को कार्यक्रम के अन्तर्गत एक विशेषज्ञ तथा देश और विदेश में, व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा, योग्य भारतीयों की सेवाएं प्राप्त करने के प्रयत्न भी शामिल हैं ।

भारत का प्राणकीय सर्वेक्षण

*195. **श्री रा० बरुआ :**
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1961 में भारत के प्राणकीय सर्वेक्षण के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने के लिये नियुक्त की गई पुनर्विलोकन समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं और उन पर क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) क्या भारत के प्राणकीय सर्वेक्षण द्वारा इन वर्षों में किये गये कार्य से इस विषय के वैज्ञानिक ज्ञान में कोई वृद्धि हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) जी हां ।

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3446(i)/64]

(ग) जी हां ।

(घ) वर्गीकरण विज्ञान, प्राणि भूगोल और भारत के जीव जन्तुओं के परिस्थिति-विज्ञान सम्बन्धी हमारी जानकारी में काफी वृद्धि हुई है । 1959–64 की अवधि में किए गये कुछ महत्वपूर्ण अनुसन्धानों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3446(ii)/64]

ईरान में तेल की खोज

*196. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान के समुद्रतट के क्षेत्रों में तेल की खोज में सहयोग के बारे में इटली की ई० एन० आई० के साथ होने वाले समझौते को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हूमायून् कबिर): (क) ईरान के जिला क्षेत्र 2 में तेल की खोज के सम्बन्ध में रियायत के लिए एक संयुक्त बोली-पत्र भेजने के लिए एक समझौता इटली की ई० एन० आई० के अनुषंगी ए० जी० आई० पी० और संयुक्त अमेरिका की फिल्लिप्स पैट्रोलियम कारपोरेशन के साथ हुआ है ।

(ख) ए० जी० आई० पी० और फिल्लिप्स के साथ किये गये समझौते की शर्तों को बताना सार्वजनिक हित में नहीं है क्योंकि ईरान के अधिकारियों को इस क्षेत्र की बोली-पत्र पर अभी फैसला करना है ।

National Solidarity Day

*197. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Gulshan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether National Solidarity Day was observed throughout the country this year ;

(b) if so, the expenditure incurred on it; and

(c) the nature of programme drawn up for the National Solidarity Day ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) It was on the initiative of the Citizens' Central Council, New Delhi, that the National Solidarity Day was observed on 20th October this year. All the Central Civil Government Offices, State Government Offices, Union Territories Administrations and the public sector undertakings under the control of Central and State Governments were expected to observe the Day in accordance with the instructions issued by Ministry of Home Affairs. Although full reports regarding the observance of the Day by non Government Organisations or bodies other than mentioned above have not yet been received by the Citizens' Central Council from the State Councils, reports appearing in the Press indicate that the Day was observed throughout the country.

(b) Information regarding expenditure incurred by the various Central Civil Government Offices in this connection is not readily available. However, no particular expenditure should have been necessary on the part of Government Offices.

(c) A copy of the programme drawn up by the Citizens' Central Council is laid on the table of the House. **[Placed in Library See No. LT 3447/64]**

उर्वरक निगम

*198 श्री उमानाथ :
श्री इम्बीचिबाबा :
श्री नम्बियार :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार एक नया उर्वरक निगम स्थापित करने का है ;

(ख) क्या इसके अंश विदेशी उद्योगपतियों को दिये जायेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो वे इस निगम में किस प्रतिशतता तक भाग ले सकेंगे ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (ग). विदेशी साझे से एक नए उर्वरक निगम की स्थापना के लिए इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सीमान्त क्षेत्रों का विकास

*199. श्री हेम राज :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी आक्रमण के पश्चात् सीमान्त क्षेत्रों के विकास के लिये उनके मन्त्रालय द्वारा कौन कौन सी योजनायें मंजर की गई हैं ; और

(ख) इनमें से प्रत्येक योजना के लिये सरकार ने क्या वित्तीय सहायता प्रदान की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 3448/64]

गोआ

*200. श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री यु० सि० चौधरी :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार ने यह निर्णय किया है कि गोआ दस वर्ष तक संघ राज्य क्षेत्र के रूप में ही रहे ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). इस मामले में सरकार की नीति को स्वर्गीय प्रधान मन्त्री ने लोक-सभा में 16 मार्च, 1964 को प्रश्न संख्या 603 के अनुपूरकों का उत्तर देते हुए निम्नलिखित शब्दों में बताई थी :—

"भारत सरकार अनुभव करती है कि ऐसा करने (गोआ का किसी राज्य में विलयन करने) के लिये वर्तमान समय उपयुक्त नहीं है। यह वांछनीय है या नहीं, एक दूसरा प्रश्न है। गोआ की मुक्ति के और वहां हुए चुनावों के तुरन्त पश्चात् ऐसा करने के लिये यह ठीक समय नहीं है। किसी भी सूरत में, वहां वातावरण शान्त होने के लिये और इसलिये कि वह भावनायें उत्तेजित न हों, कुछ समय की आवश्यकता है। वहां पर एक बहुत प्रबल दल है—हो सकता है कि यह बहुमत में नहीं है परन्तु उसे लगभग आधे मत ही प्राप्त हैं—जो विलयन के बहुत अधिक विरुद्ध हैं। इसलिये, इस प्रश्न को अब उठाने से कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, अशान्ति होती है और लोगों का ध्यान गोआ में एकीकरण की ओर से हटता है, और इसलिये यह ज्यादा अच्छा होगा कि हम कुछ वर्ष बीत जाने दें। तब इस मामले को उठाया जा सकता है और तब वे जैसा पसन्द करें निर्णय करें। भारत सरकार इस मामले में किसी जल्दी की आवश्यकता नहीं समझती है। यह महत्वहीन है कि यह पांच वर्ष या दस वर्ष के बाद किया जाये।"

सरकार ने तब से इस मामले पर दुबारा विचार नहीं किया है।

भक्तवत्सलम समिति का प्रतिवेदन

*201. श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :
श्री उटिया :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला शिक्षा सम्बन्धी भक्तवत्सलम समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) क्या उन सिफारिशों पर कोई निर्णय कर लिया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) सिफारिशों का सारांश सभा-पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3449/64]

(ग) सिफारिशें, आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों, महिला शिक्षा की राज्य परिषदों और स्वैच्छिक शिक्षा संस्थाओं को भेज दी गई हैं। केन्द्रीय सरकार ने भी उन सिफारिशों पर जिनका उनसे सम्बन्ध है, प्रारम्भिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

जम्मू तथा काश्मीर के भूतपूर्व प्रधान मंत्री

*202. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बागड़ी :
श्री हेम बरुआ :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री गुलशन :
श्री कजरोलकर :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री बख्शी गुलाम मुहम्मद के विरुद्ध कोई जांच शुरू की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो यह जांच कार्य किस को सौंपा गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) बख्शी गुलाम मुहम्मद जम्मू और काश्मीर सरकार के आदेशों के अधीन, जो उन्होंने अपने में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए किये हैं, नजरबन्द किये गए हैं। इसलिए उनके मामले में आगे कार्यवाही करना उस सरकार के लिए है।

केरल में उपद्रव

*203. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री बूटा सिंह :
श्री गुलशन :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अनाज की कमी के कारण हाल ही में उस राज्य में उपद्रव हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) केरल में खाद्य-स्थिति के कारण कुछ घटनायें अवश्य हुई जिनसे कानून और व्यवस्था बनाये रखने को खतरा था।

(ख) राज्य में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये सभी संभव पूर्वोपाय किये गये हैं; और वहां की स्थिति सब बातों को देखते हुए, अब शान्तिपूर्ण है ।

पूर्वी पाकिस्तान में शरणार्थियों की सम्पत्तियां

*204. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या पुनर्वास मन्त्री 9 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 210 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के आरम्भ से भारत में आए पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों ने कितनी निष्क्रान्त सम्पत्ति वहां पर छोड़ी ;

(ख) इन शरणार्थियों के पाकिस्तान से निष्कासन के कारण इनको सम्पत्ति की जो हानि हुई है, उसके लिये प्रतिकर भुगतान तथा आस्तियों के प्रत्यावर्तन के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) पूर्वी-पाकिस्तान में विस्थापितों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्तियों के प्रश्न के सम्बन्ध में भारत तथा पाकिस्तान के गृह मन्त्रियों के बीच होने वाले आगामी सम्मेलन में चर्चा होने की सम्भावना है ।

अमरीका संबंधी अध्ययन विभाग

450. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई, जादवपुर और उसमानिया विश्वविद्यालयों में अमरीका संबंधी अध्ययन विभाग स्थापित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस उद्देश्य के लिए पी० एल० 480 निधि से कितनी धन राशि उपलब्ध है ; और

(ग) इन विभागों में कितने अमरीकी प्राध्यापकों के नियुक्त होने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) अमरीका संबंधी अध्ययन विभागों की स्थापना बम्बई और जादवपुर विश्वविद्यालयों में हो चुकी है, परन्तु अभी तक ऐसा अध्ययन विभाग उसमानिया विश्वविद्यालय में स्थापित नहीं हुआ है ।

(ख) लगभग 8,34,437 रुपये की कुल राशि (1,75,671 डालर) पी० एल० निधि से उपलब्ध हुई है ।

(ग) तीन प्राध्यापक ; प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए एक ।

कृत्रिम अपमार्जक पदार्थों (सिन्थेटिक डिटरजेन्ट्स) का निर्माण

451. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार से कोई आवेदनपत्र प्राप्त हुआ है जिसमें औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत केरल सोप इंस्टिट्यूट, कालीकट में कृत्रिम अप-

मार्जक पदार्थों के निर्माण के लिए एक संयंत्र आयात करने के लाइसेंस के लिए प्रार्थना की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके निर्माणार्थ लाइसेंस जारी कर दिया है ; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए विदेशी मुद्रा की कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) नहीं । क्योंकि इस समय तो यह पदार्थ निषिद्ध पदार्थों की सूची में है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल आरक्षी बल के लिए क्वार्टर

452. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० व० राघवन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल आरक्षी बल के सभी पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए क्वार्टर देने की कोई योजना है ;

(ख) केरल के कितने आरक्षी पदाधिकारी तथा आरक्षक बिना क्वार्टर के हैं ;

(ग) अतिरिक्त क्वार्टर निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) प्रत्येक थाने के अनुसार तीसरी पंचवर्षीय योजना को शेष अवधि में कितने क्वार्टर निर्माण किए जाने हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) हां, श्रीमन् ।

(ख) 14,130 ।

(ग) आरक्षी क्वार्टरों के निर्माण के लिए राज्य के चालू वित्त वर्ष के आय-व्ययक में 33,51,000 रुपये की व्यवस्था की गई है । इसके अतिरिक्त, चालू वित्त वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार ने इस उद्देश्य के लिए 12,50,000 रुपये के ऋण की सहायता दी है ।

राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए 6 क्वार्टरों तथा गैर-राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए 1017 क्वार्टरों का निर्माण किया जा रहा है ।

(घ) मार्च, 1966 के अन्त तक विभिन्न थानों में लगे उप-निरीक्षकों के लिए 34 क्वार्टरों, मुख्य आरक्षकों के लिए 111 क्वार्टरों तथा आरक्षकों के लिए 807 क्वार्टरों के निर्माण करने का प्रस्ताव है । आरक्षी गृह निर्माण कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है ।

Candidates for I.A.S. Examinations

453. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of candidates who appeared in the Indian Administrative Service Examinations during the years from 1948 to 1963 and were declared successful (year-wise) ;

(b) the details thereof, State-wise, and

(c) the percentage of direct recruitment during these years, year-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) to (c). The information in being collected and will be placed on the table of the House as soon as possible.

केरल में आत्महत्या की घटनाएं

454. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में पिछले चार वर्षों में आत्महत्या की कितनी घटनाएं हुई हैं ; और

(ख) उनके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) 5178 ।

(ख) इसके सामान्य कारण हैं ; जीवन में आर्थिक दशा से उत्पन्न नैराश्य, परीक्षा तथा प्रणय में असफलता ; निर्धनता, पागलपन, दीर्घकालीन रुग्णता, अपस्मारी तथा मानसिक कष्ट ।

शरणार्थियों के लिए पदस्थानों का रक्षण

455. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न प्रतिरक्षा संस्थानों में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में रिक्त स्थानों का कुछ प्रतिशत पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए रक्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इस प्रकार नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए राज्य सरकारों से भी कहा गया है और यदि हां, तो क्या इस विषय में राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा उनका ब्योरा क्या है ; और

(घ) स्थानों को रक्षित करने के कार्य का कितने समय तक चलते रहने का अनुमान है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) तथा (घ). जी हां । यह निश्चय किया गया है कि पूर्वी प्रदेश में हुए रिक्त स्थानों का 50 प्रतिशत पूर्वी पाकिस्तान से आए नए प्रव्रजकों के लिए रक्षित किया जायगा ; दूसरे क्षेत्रों में प्राथमिकता प्राप्त वर्गों के लिए रक्षित 50 प्रतिशत रिक्त स्थानों का आधा (कुल रिक्त स्थानों का 25 प्रतिशत) भूतपूर्व सैनिकों के लिए रक्षित होना चाहिए और शेष रिक्त स्थान अर्थात् कुल रिक्त स्थानों का 25 प्रतिशत विस्थापितों के लिए रक्षित होने चाहिएं । नए प्रव्रजकों के लिए स्थानों को रक्षित करने का विशेष कार्य पहली बार तो 1 वर्ष चलेगा और वह तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए ही होगा ।

(ख) इस सम्बन्ध में अपनाए जाने वाली प्रक्रिया विचाराधीन है ।

(ग) इस विषय पर राज्य सरकारों को लिखने का विचार है । राजस्थान सरकार के कार्यालयों में नए प्रव्रजकों को नियुक्त करने के विषय में उस राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आए हैं ।

अध्यापकों का प्रशिक्षण

456. **श्री हेमराज** : क्या शिक्षा मंत्री 16 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 694 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए पत्र-व्यवहार द्वारा पाठचर्या को आरम्भ करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां, शुरू में अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए पत्र-व्यवहार द्वारा पाठचर्या आरम्भ करने का विचार है ।

(ख) इसका ब्योरा नीचे दिए गए विवरण में है :

विवरण

प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें नीचे दी जाती हैं :—

(एक) आरम्भिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए पत्र-व्यवहार द्वारा पाठचर्या उन चुने हुए राज्यों के शिक्षा विभागों द्वारा संगठित की जायगी जहां बाकी बचे अप्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या सब से अधिक है । माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए पत्र-व्यवहार द्वारा पाठचर्या एक या दो चुने हुए विश्वविद्यालयों में चलाई जानी है ।

(दो) आरम्भिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए पत्र-व्यवहार द्वारा पाठचर्या की अवधि नियमित पाठचर्या की अवधि से दो अतिरिक्त उपसत्रावधि अधिक होगी । नियमित विद्यार्थियों के लिए निर्धारित 9 मास की अवधि के एक सत्र के बजाये माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए इस पाठचर्या की अवधि 15 मास होगी ।

(तीन) शिक्षा तथा परीक्षा का माध्यम वही रहेगा जो नियमित विद्यार्थियों के लिए निर्धारित है । पाठ्य-विवरण, परीक्षाओं की योजना तथा उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए प्रदान किये जाने वाले प्रमाणपत्र या उपाधि उसी प्रकार रहेंगे जैसाकि नियमित विद्यार्थियों के लिए निर्धारित है ।

(चार) पत्र-व्यवहार द्वारा पाठचर्या के लिए नामांकित विद्यार्थी-अध्यापकों को निकटतम टीचर्स ट्रेनिंग संस्था के साथ लगा दिया जायगा जो उनको परामर्श केन्द्र का काम करेगा ।

(पांच) पत्र-व्यवहार द्वारा पाठचर्या के विभाग के पास एक पुस्तकालय भी होगा जिस में पाठ्य पुस्तकें, और अन्य संदर्भ तथा पठन सामग्री होगी जो डाक द्वारा विद्यार्थी-अध्यापकों को भेजी जायगी । इस प्रकार की पुस्तकालय की सुविधाएं परामर्श केन्द्र पर भी बढ़ाई जायेंगी ।

(छः) इस पाठचर्या के विद्यार्थियों से कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायगा । फिर भी पंजीयन, नामांकन, परीक्षा आदि दूसरे शुल्क जो समय समय पर विश्वविद्यालय निर्धारित करे उनको देने पड़ेंगे । पठन सामग्री जो उनको भेजी जाएगी के पैकिंग व्यय के लिए भी विद्यार्थियों को 'काशन' धन जमा कराना पड़ेगा ।

उड़ीसा के स्कूलों के अध्यापक

457. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़सा सरकार ने 1963–64 के दौरान राज्य में स्थानीय निकायों के प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन-मानों को संशोधित करने का प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए उड़ीसा सरकर को केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी धनराशि दी है ?

शिक्षा मंत्री (श्री म० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उप–कुलपति

458. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों की पदावधि तथा शिक्षाविदों में से उनके चुनाव पर प्रतिबन्ध लगाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस विषय पर कब तक निर्णय कर लेने की संभावना है ;

(ग) क्या राज्यों से भी यह कहा जायेगा कि इन पदों पर नियुक्तियां करते समय वे इन्हीं सिद्धान्तों पर चलें ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस विषय पर उनके विचार ज्ञात कर लिये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (घ) सरकार विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों के पूरे प्रश्न पर विचार कर रही है और इस सम्बन्ध में सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई विश्वविद्यालयों के लिए आदर्श अधिनियम समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रही है । इस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जिसके शीघ्र आने की आशा की जाती है, उचित कार्यवाही की जायेगी ।

अखिल भारतीय कृषि सेवा

459. श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बागड़ी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय कृषि सेवा को स्थापित करने का सरकार का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कब से आरम्भ होगी तथा उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख) अखिल भारतीय कृषि सेवा बनाने के प्रश्न पर राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

Hindi Teachers Abroad

460. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :—

(a) whether the demand of Hindi teachers in foreign countries is increasing;

(b) whether any particular method has been evolved in regard to the recruitment of Hindi teachers to be sent abroad; and

(c) the number of such teachers sent abroad during the last two years and the number of those whose cases are under consideration ?

The Minister for Education (Shri M.C. Chagla) : (a) Yes sir,

(b) The work relating to recuritment of Hindi teachers for service abroad has been entrusted to the Indian Council for Cultural Relations for making selections. The Council mainly depends on the advice and suggestions of different universities and experts on Hindi, as well as on the advice of its Advisory Committee for the propagation of Hindi. The final selection is, however, made by interviewing the candidates recommended by these experts. The concurrence of the Ministry of Education and the approval of the Ministry of External Affairs is also obtained.

(c) No teacher has been sent by Indian Council for Cultural Relations during the past two years but salary of five teachers for teaching Hindi—one in Italy and four in Ceylon—has been subsidised by the Council. In addition, three cultural lecturers sent by the Council to the Caribbean area are also teaching Hindi. The Council also has under consideration the demand for four teachers for teaching Hindi in foreign countries.

प्रव्रजकों के शिविरों में सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियां

461. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री राम चन्द्र मलिक :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वी पाकिस्तान से आये प्रव्रजकों के शिविरों में सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को चलाने के लिए सहायता दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सहायता को प्रयोग में लाने के लिए कोई नियम बनाये गये हैं ; और

(ग) अब तक कितनी धनराशि दी गई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी): (क) से (ग) पूर्वी पाकिस्तान से आये नये प्रव्रजकों के लिये शिविरों में मनोरंजन सम्बन्धी, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिये सुविधायें प्रदान करने की दृष्टि से भारत सरकार ने वर्ष 1964–65 के लिये कुल 64,239 रुपये की राशि की मंजूरी दी है। व्यय की अधिकतम सीमा एक रुपया प्रति परिवार प्रति वर्ष रखी जायेगी।

पुलिस के विरुद्ध शिकायतें

462. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई से सितम्बर, 1964 तक संयुक्त सदाचार समिति को प्राप्त शिकायतों में सब से अधिक पुलिस के विरुद्ध थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन शिकायतों का विश्लेषण किया गया है ;

(ग) क्या शिकायत करने वालों को पुलिस द्वारा परेशान किये जाने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन मामलों में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) समिति गैर-सरकारी निकाय है, अतः जानकारी प्राप्य नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस। वधि में समिति ने सरकार का ध्यान एक मामले की ओर दिलाया था जिस में आरोप लगाया गमा था कि पुलिस ने शिकायत करने वाले को परेशान किया था ! पूछताछ करने पर यह शिकायत निराधाप पाई गई थी !

जम्मू तथा काश्मीर में डाक खाने में बम्ब

463. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :
श्री हे० वी० कौजलगी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 अक्तूबर, 1964 को जम्मू तथा काश्मीर राज्य में घासमन्द के डाक खाने से एक ज़िन्दा बम्ब जोकि विश्वास किया जाता है कि पाकिस्तानी तोड़-फोड़ करने वालों ने लगाया था, मिला था ;

(ख) क्या इस मामले में कोई छानबीन की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) 9 अक्तूबर, 1964 की रात को जम्मू में अनाज मण्डी के डाक-खाने से एक विस्फोटक चार्ज मिला था ।

(ख) तथा (ग) विस्फोटक वस्तु अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया गया है और जम्मू तथा काश्मीर द्वारा इस मामले में छानबीन की जा रही है ।

Hindi Teachers Training Schools

464. Shri Jagdev Singh Siddhanti : will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether there is any scheme to start Hindi Teachers' Training Schools in the States where they do not exist at present ; and

(b) if so, when they would be started ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan : (a) & (b) The Ministry of Education has already a scheme for grant of financial assistance on 100 % basis to State Governments for establishing Hindi Teachers' Training colleges in all non-Hindi speaking areas. Under this scheme Teachers' Training Colleges have already been opened in Kerala, Mysore, Madras, Gujarat, Andhra Pradehs, Maharashtra and Tripura. The Governments of Assam and West Bengal have also agreed to open such colleges in their States in the near future. The remaining non-Hindi speaking States and Union Territories have since been requested to review their requirements in this behalf and forward their proposals to the Government of India. It is hoped that such Hindi Teachers, Training Colleges will be established shortly in all the non-Hindi speaking States.

विद्यार्थी गृह

465. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को विद्यार्थी गृह निर्माण करने के लिये आर्थिक सहायता देने की एक योजना का सूत्रपात किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य लक्षण क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) योजना के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं :—

(1) आर्थिक सहायता को एक लाख रुपये की राशि तक सीमित रखा जायगा ।

(2) प्रत्येक विद्यार्थी गृह में सामान्यतः एक समय में 100 विद्यार्थियों के लिये पठन सम्बन्धी सुविधाओं का प्रबन्ध होगा और इस में 5,000 पुस्तकें रखने के लिये कमरे की सुविधा के साथ एक सुसज्जित पुस्तकालय होगा ।

(3) प्रत्येक विद्यार्थी गृह में केफेटीरिया के प्रकार का एक भोजनालय होगा जिस में एक समय में 30 विद्यार्थी बैठ सकें और विद्यार्थियों को ऐसी और आवश्यक सुविधायें जो उन को अपने अध्ययन को शांतमय और अनुकूल वातावरण में करने में सहायक हों, दी जायेंगी ।

हेमाइसिन [1]

466. **श्री रा० गि० दुबे :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ रोगों के उपचार में हेमाइसिन नामक उत्पाद बहुत प्रभावी सिद्ध हुआ है और इस का वाणिज्यिक आधार पर निर्माण करना स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इस नई औषधि के वाणिज्यिक प्रयोग का स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने के लिये कुछ अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सार्थों ने हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स से अनुरोध किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां । हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की गवेषणा प्रयोगशालाओं में एक नई फफूंदनाशक प्रतिजीवाणु हेमाइसिन नामक दवा तैयार की गई है । यह कुछ फफूंद वाले रोगों के उपचार में प्रभावी सिद्ध हुई है और औषधि नियंत्रण अधिकारियों ने इस का गोलियों के रूप में बाह्य प्रयोग करने के लिये वाणिज्यिक आधार पर निर्माण करने की अनुमति दे दी है ।

(ख) सीमित प्रादेशिक आधार पर इस औषधि का वाणिज्यिक आधार पर निर्माण करने के लिये दो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सार्थों ने हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड से अनुरोध किया है और इस की शर्तों पर उन से बातचीत हो रही है ।

Prosecutions Against Ex-Rulers

467. **Shri M.L. Dwivedi :**
Shri S.C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of applications of Indian citizens pending for permission with his Ministry to start prosecutions against ex-rulers;

[1] Hamycin

(b) whether permission is granted in consulation with the Ministry of Law or otherwise and the reasons therefor;

(c) the number of applications pending consideration for more than six months and the reasons for not taking any decision on them;

(d) whether some of the applications for starting prosecution against ex-rulers and pending with the Ministry have been submitted by their family members; and

(e) the action taken or proposed to be taken to expedite disposal of pending cases ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) Five.

(b) Permission is granted in consultation with the Ministery of Law.

(c) One case has been pending for about 6 months. The comments of the State Governments are awaited.

(d) Yes. There are two such applications.

(e) The State Governments concerned are being reminded to furnish their comments.

केन्निग पत्तन पर छिद्रण-कार्य

468. **श्री नि० रं० लास्कर :**
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने-की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के निकट केन्निग पत्तन क्षेत्र के पास कुएं की वास्तविक खुदाई शुरू हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इस क्षेत्र में कुल कितने परीक्षणार्थ कुएं खोदे जायेंगे ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस समय कुओं की संख्या बताना सम्भव नहीं है ।

Hindi in Delhi Administration

Shri Naval Prabhakar : will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the progress in the use of Hindi in Delhi Administration is very slow; and

(b) If so, the steps taken or proposed to be taken in this matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L.N. Mishra) : (a) & (b): No Sir. A statement showing the progress made in the use of Hindi for official purposes in Delhi Administration is attached. The position has been reviewed in some detail and efforts are being made to accelerate the pace.

पंजाब उच्च न्यायालय में अनिर्णीत मुकद्दमें

470. **श्री बलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 अक्तूबर, 1964 को चण्डीगढ़ में पंजाब उच्च न्यायालय में अनिर्णीत मुकद्दमों की संख्या क्या थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

जलपोत एम० वी० 'येरेवा' का निर्माण

471. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जलपोत 'एम० वी० येरेवा', जिस का निर्माण अन्दमान प्रशासन के लिये मज़ागाओं डाक्स, बम्बई में हो रहा है, अन्तःद्वीपीय सेवा पर चलने के लिये, वहां कब पहुंचने की आशा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : दिसम्बर, 1964 में पोत मिलने की आशा है जबकि वह अन्तःद्वीप सेवा आरम्भ करने के लिये अन्दमान जायेगा ।

प्लास्टिक्स का उत्पादन

472. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्लास्टिक्स का उत्पादन, तीसरी योजना के तीसरे वर्ष की समाप्ति पर योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के 50 प्रतिशत तक भी नहीं पहुंचा था ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में वास्तविक सफलता क्या हुई है ; और

(ग) तीसरी योजना की बाकी अवधि में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये क्या विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां !

(ख) मुख्य प्लास्टिक पदार्थ जिन का देश में उत्पादन हो रहा है ये हैं : फीनोल फारम लडेहाइड मोलडिंग पाऊडर, और फानोलिक लेमिनेटस, यूरिया फारमलेडेहाइट मोलडिंग पाऊडर, पोलिस्ट्रीन, पोलीथिलीन और पी० वी० सी० । इन पदार्थों के बारे में तीसरी पंचवर्षीय योजना के तीसरे वर्ष की समाप्ति पर वास्तविक सफलता उत्पादन लक्ष्य के मुकाबले में 30 प्रतिशत के बराबर होने की आशा है ।

(ग) परिष्करण सामग्री को आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण उद्योग की प्रगति में बाधा आगयी है । परिष्करण उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पदार्थों से उत्पाद तैयार करने के लिये अपेक्षित मशीनरी का निर्माण करने के लिये दो एकक स्थापित किये

जा रहे हैं। ऐसे प्रयत्न भी किये जा रहे हैं कि विद्यमान संयंत्र पूरी क्षमता पर कार्य करें और अतिरिक्त लाइसेंस शुदा क्षमता को तीसरी योजना की अवधि में काम में लाया जाये।

जालन्धर बैंक के बारे में पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

473. **श्री श० न० चतुर्वेदी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान में छोड़ी हुई भारतीय सम्पत्ति पर, पंजाब सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा दायर किये गये मुकदमे का पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का क्या प्रभाव पड़ा है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : जैसा कि 1962 की असैनिक अपील ० 42 में 29 अप्रैल, 1964 को पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय की अप्रमाणित प्रतिलिपि से प्रतीत होता है, यह फैसला किया गया है कि 1957 के पाकिस्तान (निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन) अधिनियम 12 के अन्तर्गत निष्क्रान्त सम्पत्ति की परिभाषा में ऐसी ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी की सम्पत्ति को, जिसका पंजीकृत कार्यालय 15 अगस्त, 1947 से पहले भारतीय राज्यक्षेत्र में था और अब भी वहीं है, सम्मिलित नहीं किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे फैसला दिया है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत इन सम्पत्तियों के बारे में कार्यवाही नहीं की जा सकती। न ही इन को प्रतिकर संग्रह (कम्पेन्सेशन पूल) में लिया जा सकता है और न ही इन से होने वाली आय को शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये किराया संग्रह (रेन्ट पूल) में लिया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने तदनुसार बन्दोबस्त अधिकारियों को प्रतिषेध तथा उत्प्रेषण लेख यह आदेश देते हुए जारी किये हैं कि वह अपीलार्थी, पंजाब सहकारी बैंक लि० की सम्पत्तियों के बारे में कोई कदम न उठायें। उच्चतम न्यायालय ने इन सम्पत्तियों को प्रतिकर पूल में रखने अथवा किसी अन्य को हस्तान्तरित किये जाने के बारे में आदेशों को, यदि कोई हैं, रद्द कर दिया है। इसने यह भी कहा है कि निष्क्रांत सम्पत्ति अर्जित करने के लिये वर्ष 1958 के अधिनियम की धारा 3(2) के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना तथा अधिसूचनाएं अपीलार्थी की सम्पत्ति पर लागू नहीं होंगी।

उच्चतम न्यायालय से उक्त निर्णय के बावजूद भी प्रश्नाधीन संयुक्त स्कंध समवायों की सम्पत्ति पर, कस्टोडियन का नियंत्रण रहेगा, जब तक पाकिस्तान की केन्द्रीय सरकार वर्ष 1949 के पाकिस्तान (निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन) आदेश 15 की धारा 6(3) के अन्तर्गत यह अधिसूचना जारी न करे कि कस्टोडियन का इस सम्पत्ति पर नियंत्रण नहीं रहेगा और यह उस अवधि के बाद होगा जोकि अधिसूचना में दी गयी हो। उच्चतम न्यायालय ने 1957 के पाकिस्तान (निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन) अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना के होते हुए भी इस उपबन्ध के अन्तर्गत 59 बैंकों पर निष्क्रान्त विधि के लागू किये जाने की छूट सम्बन्धी अधिसूचना आवश्यक समझी। इस बारे में उच्चतम न्यायालय ने बताया कि इस छूट का कस्टोडियन के अधिकार वाली सम्पत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस निर्णय का अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि इस में संयुक्त स्कंध समवायों के अतिरिक्त वह विस्थापित व्यक्ति शामिल हैं जिनका पंजीकृत कार्यालय 15 अगस्त, 1947 से पूर्व उस क्षेत्र में किसी भी स्थान पर था और है जो भारत का भाग है।

अखिल भारतीय सेवा अधिकारी

474. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय सेवा के किन पदाधिकारियों के विरुद्ध जांच हो रही है और इस जांच का स्वरूप और स्थिति क्या है;

(ख) ऐसे मामले कितने हैं जिनकी जांच छः महीनों से अधिक से अनिश्चित है; तथा

(ग) उन पदाधिकारियों के क्या नाम हैं जो मुअत्तल हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

[दिल्ली में भूमि का मूल्य

475. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा भूमि के मूल्य सम्बन्धी नीति पर पुनर्विचार करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है;

(ख) प्राधिकार द्वारा विकसित कई उपनगरों में बिक्रय के लिये निवास योग्य भूमि खंडों में प्रति वर्ग गज़ मूल्य क्या है, तथा

(ग) क्या भूमि सम्बन्धी नीलाम की वर्तमान प्रक्रिया के संशोधन का प्रश्न विचाराधीन है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा अपनाई गई भूमि दर नीति पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख)	क्षेत्र	प्रति वर्ग गज़ दर (पूर्व निर्धारित)
1.	नजफ़गढ़ रोड	25 रु० से 35 रु० तक
2.	सफदरजंग	35.20 रु० से 39 रु० तक
3.	नारायण नरेना	32 रु०

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकार दिल्ली में भूमि अर्जन, विकास तथा निष्पत्ति दीर्घकालीन सम्बन्धी योजना के अनुसरण में प्लाटों को नीलाम कर रहा है । जैसा कि नियम 197 के अधीन दिये गये दिल्ली में भूमि के आवंटन सम्बन्धी नोटिस के उत्तर में 23 3-1961 को सभा पटल पर रखे गये विवरण की कंडिका 2 में दर्शाया गया है । दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा सफदरजंग तथा नरेना क्षेत्रों में सफदरजंग तथा नजफ़गढ़ सड़क पर अक्तूबर, 1963 में नीलाम किये गये प्लाटों का औसतन मूल्य क्रमशः रु० 73.38 और रु० 42.48 था । अक्तूबर-नवम्बर, 1964 में यह मूल्य गिर कर क्रमशः रु० 54.88 और रु० 37.52 हो गया । नरेना क्षेत्र में कुछ प्लाटों के मूल्य (रु० 33.50) निर्धारित रक्षित दर (रु० 32) तक पहुंच गये । भूमि नीलाम करने की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

त्रिवेंद्रम में घोर वर्षा

476. श्री यशपाल सिंह :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 17 अक्टूबर, 1964 को त्रिवेंद्रम में अभूतपूर्व वर्षा हुई:

(ख) यदि हां, तो कितनी क्षति का अनुमान है; तथा

(ग) सहायतार्थ क्या किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) कोई 16 इंच वर्षा हुई थी ।

(ख) आठ व्यक्ति मरे । पांच को मकान गिरने से चोटें आईं, 2000 से अधिक भवनों को पूर्णतः या अंशतः क्षति पहुंची; इस विपत्ति से सम्पत्ति को क्षति अनुमानतः 7 लाख रु० के लगभग है ।

(ग) बचाव कार्य के लिये समस्त पुलिस बल संचालित किया गया । मोटर गाड़ियों में नावें बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिये ले जाई गईं । लगभग 5,664 व्यक्ति बचा लिये गये जिनको शहर में खोले गये 18 सहायता शिविरों में स्थान दिया गया । सहायता शिविर निवासियों को दलिया मुफ्त दिया गया । पीड़ितों को भी मुफ्त राशन दिया गया । कुल मिला कर चावल की 104 बोरियां बांटी गई । विपत्तिग्रस्त पीड़ितों को उनके मकानों की मरम्मत व पुर्ननिर्माण के लिये वित्तीय सहायता दी गई । अब तक 1,694 पीड़ित परिवारों को 50,314 रु० पहिले ही वितरित किये जा चुके हैं ।

अल्प व मध्यम आय वाले दलों को (जिन के मकान अंशतः या पूर्णतः नष्ट हो गये हैं) मिलने वाली ऋण सहायता का प्रश्न भी राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

मास्को में पीपल्स फ्रेंड युनिवर्सिटी में भारतीय छात्र

477. श्री वारियर :
श्री दाजी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सूचना मिली थी कि फ्रेंडशिप युनिवर्सिटी, मास्को भारतीय छात्रों को चिकित्सा विभाग में प्रवेश दे सकती है; और

(ख) यदि हां तो इस पर सरकारी निर्णय क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी हां । ऐसा विशेषतः 1961–62 के लिये बताया गया था, 1962–63, 1963–64 व 1964–65 के लिये नहीं ।

(ख) जब भी सरकार को विशेष प्रस्ताव मिले, चिकित्सा विभाग के लिये विद्यार्थी चुन लिये गये ।

सरकारी संस्थानों में पाकिस्तानी नागरिक

478. **श्री जेना :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 16-10-64 के "हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड" के इस समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि भारत में अब भी कुछ पाकिस्तानी नागरिक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रहे हैं; तथा

(ख) यदि हां, तो ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या क्या है जो क्रमश: केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के आधीन संस्थापनों में कार्य कर रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) हां ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कन्नड़ साहित्य

479. **श्री शिवमूर्त्ति स्वामी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करनाटक विश्वविद्यालय ने श्री हरदेकर मंजप्पा के राष्ट्रीय साहित्य तथा कन्नड़ के अन्य वचन साहित्य को हिन्दी में प्रकाशित करने की प्रार्थना की है;

(ख) यह प्रार्थना मंत्रालय में कब से अनिश्चित पड़ी है ; तथा

(ग) क्या इस हेतु कोई अनुदान स्वीकृत किया गया है, यदि हां, तो कितना ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन : (क) से (ग). करनाटक विश्वविद्यालय ने कोई ऐसी प्रार्थना नहीं की है । परन्तु मैसूर राज्य में धारवार की हरदेकर मंजप्पा ग्रंथ माला के अध्यक्ष ने मैसूर राज्य की मार्फत इस मंत्रालय से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया था जिससे श्री हरदेकर मंजप्पा की चुनी हुई कृतियां कन्नड़ में प्रकाशित हो सकें तथा राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से उनका चुना हुआ साहित्य हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित हो सके । भारत सरकार की आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास की नीति के आधीन सरकार ने 21,500 रु० के अनुदान की मंजूरी दी है जो श्री मंजप्पा की चुनी हुई कृतियों के प्रकाशन तथा उनके अंग्रेजी अनुवाद का 50 प्रतिशत खर्च पूरा करेगा । संगठन द्वारा श्री मंजप्पा की चुनी हुई कृतियों के हिन्दी अनुवाद के अनुरोध पर इन दो योजनाओं की संतोषजनक पूर्ति के उपरांत विचार किया जायेगा । इस संस्था को वित्तीव सहायता योजना के अर्न्तगत अनुदान के लिये राज्य सरकारों द्वारा स्वैच्छयक हिन्दी संस्थाओं के अनुरोध करने के लिये कहा गया है ।

प्रादेशिक भाषाओं का विकास

480. **श्री गुलशन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो पंजाबी भाषा के विकास के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। संख्या नं० एल० टी० 3451/64**]

दिल्ली में बोर्ड का पराक्षाये

481. { **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री बाल्मीकी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पांचवीं और आठवीं कक्षा की परीक्षायें सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा होंगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच इसके लिए क्या सब प्रबन्ध कर लिया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) इन परीक्षाओं के संचालन के लिए सरकार द्वारा कोई बोर्ड नियुक्त नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

संस्कृत गुरुकुलों को सहायता

482. **श्री रामेश्वरानन्द** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1963–64 में सरकार ने संस्कृत गुरुकुलों को कितनी सहायता दी ; और

(ख) प्रत्येक को कितना धन दिया गया ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) इस मंत्रालय की संस्कृत के प्रसार के लिए "संस्कृत गुरुकुलों को वित्तीय सहायता" की योजना के अन्तर्गत 1963–64 के दौरान निम्नलिखित गुरुकुलों को अनुदान दिये गये :—

क्रम संख्या	गुरुकुलों के नाम	अनुदान की राशि
		रुपये
1	गुरुकुलों विश्वविद्यालय, बृन्दावन . .	30,840.00
2	आर्य कन्या महाविद्यालय, करेली बाग, बड़ोदा	6,000.00
3	गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर, हरिद्वार .	52,491.00
4	कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, देहरादून	1,950.00
5	श्री ऋषि कुल ब्रह्मचर्याश्रम, हरिद्वार . . .	33,390.00
6	गुरुकुल विद्यापीठ, भैंसवाल कलां (रोहतक) . .	21,660.00

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित अनुदान भी दिये गये :—

(एक) 1,11,200.00 रुपये अनुरक्षण के लिए

(दो) 30,000.00 रुपये विश्वविद्यालय हाल के निर्माण के लिए

(तीन) 4,000.00 रुपये "गुरुकुल पत्रिका" नामक पत्रिका का स्तर सुधारने के लिए ।

2. कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, देहरादून 25,000.00 रुपय अनुरक्षण के लिए ।

कुल रु० 3,16,531

पुरानी बन्दूकों का प्रयोग

483. **श्री हेम राज :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरानी प्रकार की बंदूकें जिन पर निर्माता का नाम, संख्या तथा दूसरे पहचान चिह्न आदि नहीं होते, बेची नहीं जा सकतीं ।

(ख) क्या ऐसी बंदूकों पर पहचान चिह्न लगाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ; तथा

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में ग्रामीण लोगों के हित के लिये कोई अधिसूचना जारी की गई है ;

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां । शस्त्रास्त्र अधिनियम के खण्ड 8(2) के अनुसार किसी ऐसे अग्निअस्त्र का विक्रय या हस्तांतरण निषिद्ध है जिस पर ठीक ठीक मुद्रा अंकित न हो । शस्त्रास्त्र नियम 1962 के नियम 25 में ऐसे अग्नि अस्त्र पर, जिस पर निर्माता का नाम, संख्या व दूसरे पहचान चिह्न ठीक ठीक अंकित न हों, पहचान चिह्न अंकित करने की रीति निर्धारित की गई है ।

(ख) शस्त्रास्त्र अधिनियम के खण्ड 8 के उपखण्ड (3) के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति ऐसा कोई भी अग्निअस्त्र जिस पर ठीक पहचान चिह्न अंकित न हो, अपने पास रखेगा तो जब तक बिपरीत सिद्ध न हो यह माना जाएग कि उसी ने अंक मिटाए हैं । परन्तु इसी के उपबंध के अनुसार ऐसी धारणा 1-10-62 अर्थात् शस्त्र अधिनियम लागू होने की तिथि के एक वर्ष तक लागू नहीं समझी जाएगी ।

(ग) शस्त्रास्त्र अधिनियम तथा नियम दोनों राज्यपत्र में विधिवत प्रकाशित किये गये थे ।

भारत प्रतिरक्षा नियम तथा निवारक निरोध अधिनियम

484. **श्री उमानाथ :**
श्री इम्बीचिबाबा :
श्री नम्बियार :
श्री शिवमूर्त्ति स्वामी :
श्री किशन पटनायक :
श्री रामसेवक यादव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्टूबर, 1964 को विभिन्न राज्यों में भारत प्रतिरक्षा नियमों तथा निवारक निरोध अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत नज़रबन्द व्यक्तियों की संख्या क्या थी और वे किन किन राजनतिक दलों से संबंधित थे ;

(ख) वर्ष 1964 में 31 अक्टबर, 1964 तक औद्योगिक विवाद के संबंध में कितने व्यक्ति नजरबन्द किये गये थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। दखिये संख्या एल० टी०–3452।64**]।

संयुक्त राज्य अमरीका से शिक्षा सम्बन्धी अनुदान

485. **श्री उमानाथ :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री इम्बीचिबावा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विभिन्न शिक्षा संस्थाओं को 1960–61, 1961–62, 1962–63 और 1963-64 के दौरान संयुक्त राज्य की सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेन्सियों से अनुदान के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई ;

(ख) क्या इन अनुदानों को पेश करने से पूर्व सरकार से परामर्श किया गया था; और

(ग) क्या सरकार के पास, यह सुनिश्चित करने के लिये कि अनुदानों का उपयोग उचित रूप से किया जा रहा है, कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

भर्ती

486. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये पदों के निर्माण पर रोक लगाने के पश्चात्, जून, 1963 से जुलाई, 1964 के दौरान भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा योजना तथा रक्षा के अलावा कार्यों के लिये भर्ती किये गये कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है ; और

(ख) क्या विभिन्न मंत्रालयों में कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पुनः निर्धारित करने के लिये प्रशासकीय सुधार विभाग ने कोई नमूना सर्वेक्षण किया था ?

गृह-काय मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-टल पर रख दी जायगी।

(ख) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या की स्थिति के पुनरावलोकन का कार्य (कार्य परिमाण सम्बन्धी अध्ययन) वित्त-मंत्रालय (व्यय विभाग) के कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा किया जाता है न कि गृह-मंत्रालय के प्रशासकीय सुधार विभाग द्वारा। कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा अप्रैल से सितम्बर, 1964 के दौरान 17 विभागों/कार्यालयों के कार्य परिमाण सम्बन्धी अध्ययन कार्य को पूर्ण किया गया था।

पाकिस्तान द्वारा अधिकृत काश्मीर से आये शरणार्थी

487. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और काश्मीर राज्य के पाकिस्तान द्वारा अधिकृत क्षेत्रों से आये शरणार्थियों के कितने मामले 3,500 रुपये के अनुग्रहात अनुदान के लिये पंजीकृत किये गये हैं और कितनों को अनुदान दिये जा चुके हैं ; और

(ख) कितने शरणार्थी अभी भी अनुदान के लिये पंजीकृत हैं, और उनको अनुदान देने में कितना समय लगेगा ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) अनुग्रहात अनुदान के लिये प्राप्त 31,790 आवेदन पत्रों में से 16894 मामलों का अन्तिम निर्णय हो गया है ।

(ख) 14,896 मामलों की अभी छानबीन बाकी है । इन मामलों के अन्तिम निर्णय में विलम्ब का कारण जम्मू तथा काश्मीर राज्य से सत्यापन प्रतिवेदनों का न मिलना है। तथापि आशा की जाती है कि आगामी वित्तीय वर्ष के समाप्त होने तक इन मामलों को अंतिम रूप दे दिया जायगा ।

प्रयोगात्मक औषधि फार्म, श्रीनगर

488. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीनगर में परीक्षणात्मक औषधि फार्म में गवेषणा आदि के लिये जिस भवन का निर्माण गत दो वर्षों से हो रहा है वह अभी तक तैयार नहीं हुआ है ; और

(ख) क्या सरकार गवेषणा कार्य की गति को तेज करने के लिये मुख्य भवन तथा इससे सम्बन्धित दूसरे क्वार्टरों के निर्माण कार्य को शीघ्रता से पूरा करेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) भवन को 1965 के मध्य तक पूरा करने के लिये कदम उठाये गये हैं।

सूर्य-शक्ति

491. **श्री मा० ल० जाधव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोजन पकाने के कार्यों में सूर्य-शक्ति का उपयोग करने के लिये कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं ;

(ख) अभी तक इस कार्य में क्या सफलता मिली है ;

(ग) यह शक्ति लोगों को कब तक प्राप्त हो जाने की सम्भावना है ; और

(घ) यह कहां तक कम खर्चीला है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) एक 'सोलर कुकर' तैयार किया गया था और उसका पेटेन्ट राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम द्वारा दो सार्थों को दिया गया था । राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम को उपलब्ध जानकारी के अनुसार जून, 1960 तक निर्माताओं ने 315 कुकर और 50 रिफ्लेक्टर बेचे थे। उसके पश्चात् पेटेन्ट का पुनर्नवन नहीं किया गया ।

(घ) यद्यपि सोलर कुकर अन्ततोगत्वा कम खर्चीला है फिर भी यह लोकप्रिय सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि इसका उपयोग केवल सूर्य की तेज रोशनी के घण्टों में ही किया जा सकता है; लागत बहुत (80 रुपये प्रति कुकर) लगती है और लोग भोजन पकाने की परम्परागत आदतें छोड़ना नहीं चाहते हैं।

माध्यमिक अध्यापकों के लिये वेतन आयोग

492 **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री हुक्म चन्द कछवाय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय माध्यमिक अध्यापक संघ ने देश भर में समान वेतन क्रम बनाने के लिए वेतन आयोग अथवा मजूरी बोर्ड की नियुक्ति करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सल्फ्यूरिक एसिड

493. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के सहयोग से गुजरात में एक सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो सहयोग की शर्तें क्या हैं; और

(ग) संयंत्र की लागत तथा क्षमता क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : जी, नहीं। परन्तु यह जांच की जा रही है कि क्या जापान का कोई सार्थ सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र के लिये मशीनरी का संभरण कर सकेगा।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

चेकोस्लोवाकिया की छात्रवृत्तियां

494. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या चेकोस्लोवाकिया ने 1964–65 के दौरान उस देश में कुछ विशिष्ट विषयों का अध्ययन करने के लिए कोई छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ अभ्यर्थी चयनार्थ साक्षात्कार के लिये बुलाये गये थे; और

(ग) क्या कोई अभ्यर्थी शिक्षा योजना के लिए चुना गया है और यदि हां, तो किस राज्य से तथा उसकी विदेश में अध्ययन की अवधि कितनी होगी ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। इसके बाद के प्रश्न उठते ही नहीं।

बस्तर जिले में तेल की सम्भावनायें

495. श्री रामसहाय पाण्डेय : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्तर जिले में इन्डावती बेसिन में तेल के भंडार मिलने की कुछ सम्भावनायें हैं; और

(ख) क्या उस प्रदेश में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का कोई सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर): (क) इस क्षेत्र में चट्टानें केम्ब्रियन-पूर्व से केम्ब्रियन प्रकार की हैं और प्रत्यक्षतः तेल मिलने की सम्भावनायें नहीं हैं।

(ख) इस समय नहीं।

संयुक्त राष्ट्र सम्बन्धी शिक्षण

496. श्रीमती रेणुका बड़कटकी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1964 में दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सम्बन्धी शिक्षण के बारे में जो एशियाई प्रदेश गोष्ठी हुई थी उसने स्कूलों के पाठ्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र सम्बन्धी पाठों के सम्मिलित करने की सिफारिश की थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिये भारत सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) ऐसी कोई सिफारिश सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(एक) सिन्दरी उर्वरक कारखाने में हुआ विस्फोट

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालौर) : श्रीमन्, मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह निवेदन करता हूं वह उस पर एक वक्तव्य दें :—

"सिन्दरी उर्वरक कारखाने में हाल ही में हुआ विस्फोट जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन बन्द हो गया।"

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : 10 नवम्बर, 1964, मंगलवार, को लगभग 10 बजकर 15 मिनट पर सिन्दरी के खाद कारखाने के अमोनिया प्लांट में विस्फोट आ ; जिसके परिणामस्वरूप प्लांटों का चलना बिल्कुल बन्द हो गया।

पानी स्क्वर पम्प संख्या--2 के टरबाइन की पानी प्रवेशिका पाइप (inlet pipe) संधान (weld) पर टूट गई ; जिसके परिणामस्वरूप स्क्वर से अधिक दबाव के कारण पानी का एक दम निकास शुरू हो गया। जब एक बार पानी बह गया तो इसके बीच से गैस बाहर निकलने लगी और गैस में आग लगने से एक विस्फोट हुआ। पाइप खण्ड की स्थापना 1961 में हुई थी और इस का निर्माण कलकत्ता फर्म द्वारा हुआ था।

आग जल्दी से बुझाई ही जा रही थी कि गैस के विस्फोट के से पैदा हुए धमाके ने प्लांट की छत वाली चदरों को अत्याधिक हानि पहुंचाई। दुर्घटना-स्थल के निकटवर्ती बिजली उप-केन्द्र की दीवारों को भी बुरी तरह नुक्सान पहुचा। इस दुर्घटना में कुल 10 व्यक्ति घायल हुए; जिन में से 7 को मामूली चोटें आई और उसी दिन उन को हस्पताल से छुट्टी हो गई। अन्य तीन व्यक्तियों को भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है।

चालू महीने के दौरान में कारखाने में यह योजना थी कि 12-11-1964 को अमोनिया प्लांट को 16 घण्टे के लिए बन्द रखा जाये; किन्तु इस दुर्भाग्यमय दुर्घटना के कारण यह फैसला किया गया कि प्लांट को 11 नवम्बर से बन्द किया जाये ताकि उत्पादन की कुल हानि को कम किया जा सके। सारे मलबे को हटाने और यान्त्रिक एवं विद्युत्-संस्थापन के जांच के बाद विस्तार अनुभाग (expansion section) को 11 नवम्बर की अपराह्न को चालू किया गया और 12 नवम्बर तक भार (load) को सामान्य उत्पादन तक लाया गया।

पुराने अमोनिया प्लांट में 11 नवम्बर को कोई उत्पादन नहीं हुआ। 12 नवम्बर, 1964 को $4\frac{1}{2}$ बजे सबेरे इस प्लांट का पहला संपीडक (compressor) चालू हुआ और 12 नवम्बर की आधी रात तक भार उत्तरोत्तर 3 संपीडकों तक बढ़ाया गया। 14-11-1964 को पुराना प्लांट 4 संपीडक-भार तक चलता रहा और 15 नवम्बर को भार 6.4 संपीडक तक बढ़ा; जो कि व्यावहारिक रूप से सामान्य है।

16 नवम्बर, को अमोनिया सल्फेट का उत्पादन 1003 मीटरी टन और यरिया का उत्पादन 40 मीटरी टन हुआ। 20 नवम्बर, को अमोनिया सल्फेट और यूरिया का उत्पादन क्रमश: 1165 मिटरी टन तथा 78 मीटरी टन हुआ। द्वि-गुण लवण प्लांट (double salt plant) 18 नवम्बर, 1964 को चालू हुआ।

उत्पादन में हानि : अमोनिया के उत्पादन में 830 मीटरी टन की कुल हानि होने का अनुमान है :—

तदनुसार खाद-उत्पादन की हानि का अनुमान निम्न प्रकार है :—

अमोनिया सल्फेट	1860 मीटरी टन
डब्ल साल्ट	450 मीटरी टन
यूरिया	130 मीटरी टन।

इमारत का नुक्सान : अधिकतर नुकसान केवल इमारतों का हुआ है। वाटर स्क्रबर बे (Water Scrubber Bay) इमारत की सारी चदरें और कम्प्रैस्सर बे (Compressor Bay) की चदरों के तिहाई भाग का भी नुक्सान हुआ। पानी स्क्रबर के समीपतम स्थान पर डीगैस्सी-फाइंग टावर (Degassifying Tower) का लकड़ी ढ़कना भी गिर पड़ा था।

प्लांट एवं मशीन की हानि कुछ मामूली सी हुई है। स्क्रवर बे के कुछ इलक्ट्रिकल पैनलज़ (electrical panels) को, जो गिर पड़े थे, फिर लगाया गया है। तारों के कुछ खण्डों को भी बदला गया है। ऐसा अनुमान है कि खराब चदरों और विद्युत् एवं यान्त्रिक सामग्री की मरम्मत और बदलने का मूल्य 1,35,000 रुपये होगा।

जांच समिति : इस दुर्घटना के कारणों की जांच करने एवं भविष्य में उठाये जाने वाले एहतियाती कदमों की सिफारिश करने के सम्बन्ध में एक समिति की स्थापना की गई है। इस समिति के प्रधान पावर हाऊस, सिन्दरी कारखाना के अधीक्षक हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इस कारखाने में बहुत समय से गड़बड़ियां होती रही हैं। माननीय मंत्री द्वारा दी गई जानकारी क्या केवल महाप्रबन्धक का प्रतिवेदन मात्र है अथवा उन्होंने इसकी किसी स्वतंत्र निकाय द्वारा जांच भी करवा ली है और यदि हां, तो किससे ?

श्री अलगेशन : महाप्रबन्धक (जनरल मैनेजर) ने एक प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिया था परन्तु अब उन्होंने एक समिति नियुक्त कर दी है जिसमें प्रविधिक व्यक्ति सम्मिलित है और हमें आशा है कि उनका प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रेतर जानकारी मिलेगी।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Devas) : May I know the name of the employee who is responsible for all this and who was on duty when the explosion accured in Sindri Factory after the water inlet pipe gave its way ? What was the estimated loss of production ?

The Minister of Petroleum and Chemical (Shri Algeson) : I am not in a position to give the name of the employee who was responsible for this. As stated in the earlier report, such accidents some times occur as a result of leakage in the gas plant and escaping the gas from the pipe, However,we should be cautious in future. The loss suffered in shortfall in the production of amonia by 830 tons. It is estimated in terms of fertilizer production the loss amounts to about 8 or 8½ lakhs of rupees.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अनिवार्य जमा योजना अधिनियम के अधीन अधिसूचना

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं अनिवार्य जमा योजना अधिनियम, 1963 की धारा 16 के अन्तर्गत दिनांक 8 अक्टूबर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1486 में प्रकाशित अनिवार्य जमा (आयकर दाता) चतुर्थ संशोधन योजना, 1964 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3442/64]**

पायराइट्स एण्ड कैमिकल्स डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षित लेखे

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : मैं निम्न लिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 619–क की उपधारा (1) के अन्तर्गत पायराइट्स एण्ड कैमिकल्स डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली

की वर्ष 1963–64 की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3443/64 ।]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

इक्यावनवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णामूर्ति राव (शिमोगा) : मैं एक गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का इक्यावनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION *RE* INTERNATIONAL SITUATION—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब हम अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर पुनः चर्चा आरम्भ करेंगे। वैदेशिक कार्य मंत्री यहां पर उपस्थित नहीं है। श्री विभूति मिश्र ।

श्री मी० ए० मसानी (राजकोट) श्रीमन्, क्या आप हमें यह बता सकेंगे कि मंत्री महोदय इस पर कब बोलेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने उनसे प्रश्न-काल के तुरन्त पश्चात् बोलने के लिये कहा था। क्योंकि वह यहां पर उपस्थित नहीं हैं अतः मैं एक माननीय सदस्य से बोलने के लिये कहा है। जैसे ही वह आवेंगे हम उनसे उत्तर देने के लिये कहेंगे ।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : श्रीमन्, यह एक गलत बात है। ऐसा कहने के लिये मुझे क्षमा करें। यदि कोई मंत्री वाद-विवाद को जारी रखने के लिये उपस्थित नहीं है तो यह बात इसकी भावना के प्रतिकूल है .... (अन्तर्बाधा)

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) : वह इस बात को जानते थे।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें यह जानना भी चाहिये थी ; मैं ने कल ही यह स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि हम आज मंत्री महोदय का उत्तर सुनेंगे। अब जब वह यहां पर नहीं है तो क्या हम अपना कार्य बन्द रखें ? उनके आने पर हम देखेंगे ?

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : From the statement given by the Prime Minister yesterday, it appears that he is considering the question of manufacture of atom bomb and developing its technique. I may point out to him in this connection that the Congress Party has never adopted non-violence as an article of faith but as a matter of policy only. Gandhiji never believed in our not keeping pace with the changing world.

After Independence and prior to Chinese aggression we were not manufacturing weapons which resulted in our defeat in Chinese aggression.

After this we have started manufacturing conventional weapons only. Now when Chinese have exploded their atom bomb we are thinking as to whether we also should manufacture it or not, But I think that if we do not manufacture it we will be at a great disadvantage and at the time ofChinese attack we will have to request America or Russia for help and accept it on the terms and conditions that they may offer. Yesterday Shri Lal Bahadur Shastri stated the estimated expenditure in manufacture of an atom bomb in millions of rupees. But I find that every material is comparatively cheaper in our country then in America and therefore I think that manufacture of an atom bomb here will not cost so much.

If the trouble with China breaks out again and they attack us and drop an atom bomb over a city like Calcutta we will stand self condemned. We should not forget that Japan had to surrender after only two small atom bombs were dropped over it. Policy of peace never means that should weaken our defence. (*Interruptions*).

When Moscow treaty was signed only America and Russia had manufactured atom bomb. Now when China and France have also manufactured it, we must not lag behind in the matter.

The hon. Member, Shri Krishna Menon, has stated that the manufacture of an atom bomb would result in the spread of various diseases. But was there no danger of diseases when America, Russia, China, France and England manufactured these bombs ? What knowledge he has as a doctor ? Inspite of his world-wide tours he did not even know that China had manufactured automatic guns.

We must change with the moving world, otherwise we will lose our independence. Our late Prime Minister Shri Nehru was never against the manufacture of atom bomb and had his views about it. He probably could have adjusted the budget for its manufacture. Moreover Dr. Bhabha also says that the production of an atom bomb here would be cheaper. Reverses suffered by us against the Chinese and explosion of an atom bomb by the Chinese have resulted in loss of our prestige neighbouring countries. A weak country is never respected in the world. In order to restore confidence of our allies in our country and for the defence of our country we must manufacture the atom bomb.

For meeting the expenditure in manufacture of an atom bomb the income tax rates may be doubled or an additional tax at the rate of one, two or three rupees per acre may be imposed on 335 million acres of land under cultivation in India which, I may say on behalf of the cultivators, would be acceptable to them.

I have also read some books on Gandhism and worked under him since 1920. Gandhiji was politician with broad vision and was not so conservative as we are. Country has not produced a politician of the calibre of Chanakya.

We are being told these days that we have secured our independence and now the need is to stabilise it. But what we have done in this regard. We became beggars and asked for help from outside at the time of Chinese aggression. We have no arms to fight with the invaders. I know that our countrymen want to be in possession of Atom Bomb. But our Prime Minister does not want to manufacture it . That is the state of affairs. We support the present policy on Kashmir. We will be recognised as a respectable and strong nation only if we are sufficiently strong.

Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : I have no objection to what has Shri Bibhuti Mishra has stated in his speech as his personal views. The observations he has attributed to me are not correct.

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): अध्यक्ष महोदय, यह विवाद दो दिन तक चला है और सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किए हैं वे बड़े ही महत्वपूर्ण तथा मार्गदर्शन करने वाले हैं। मेरा काम प्रधान मंत्री जी ने सरल बना दिया है क्योंकि उन्होंने चीन द्वारा किए गए विस्फोट के बारे में विवाद का उत्तर स्वयं दे दिया है।

अपने भाषण में श्री कृष्ण मेनन ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र में अपना अंश न देने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बड़ी कठिनाई अनुभव की जा रही है। मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं और सभा को ठीक स्थिति बताना चाहता हूं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने निःशस्त्रीकरण, वर्णभेद तथा आर्थिक विकास आदि की समस्याओं के अतिरिक्त एक सब से महत्वपूर्ण समस्या शांति कार्यों के लिए धन जुटाने की है। नवम्बर, 1950 में शांति संकल्प के पारित होने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सिफारिश की थी कि अन्तर्राष्ट्रीय शांति बनाये रखने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि सैनिक दल बनाया जाये। परन्तु इस बारे में अमरीका तथा रूस में बड़ा मतभेद था और इसीलिये जबकि कुछ सदस्य राष्ट्रों ने सैनिक दल बनाने के लिए धन दे दिया था, कुछ राष्ट्रों ने धन देने से इन्कार कर दिया था। इनमें से रूस ने स्पष्टतया घोषित कर दिया था कि वह इस कार्य के लिए धन नहीं देगा। अमरीका ने यह कहा कि सभी सदस्य राष्ट्रों को यह धन देना चाहिए और जो राष्ट्र अपने हिस्से का धन नहीं देता है तो उसका मतदान करने का अधिकार छीन लिया जाना चाहिए। इस प्रकार एक बड़ी ही कठिन समस्या पैदा हो गई जो संयुक्त राष्ट्र के हित में नहीं थी। हम समझते हैं कि यह मामला ऐसा नहीं है जिसको सुलझाया न जा सके। हम आशा करते हैं कि पारस्परिक सहयोग तथा सद्भावना से यह मामला हल हो जायेगा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की अखंडता बनी रहेगी।

आपको याद होगा कि हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरु ने यह अपील की थी कि एक अन्तर्राष्ट्रीय सहकार वर्ष मनाया जाये और उसी आधार पर 1965 में अन्तर्राष्ट्रीय सहकार वर्ष मनाया जा रहा है। इसलिये भी आवश्यक हो जाता है कि सभी देश मिल जुल कर सभी समस्याओं का सन्तोषजनक हल ढूंढ़ निकालें।

श्री हेम बरूआ (गोहाटी) : संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय स्थायी प्रतिनिधि ने बताया है कि शांति स्थापना के लिए धन को सभी राष्ट्रों को अनिवार्यतः देना चाहिए ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमारे स्थायी प्रतिनिधि ने एक समिति में कहा है कि इस धन का भुगतान किया जाना चाहिए। परन्तु जहां तक मतदान करने के अधिकार को वापस लेने का प्रश्न है उस पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है तथा हमें ऐसा हल निकालने का प्रयत्न करना है जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो।

माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में भारत लंका करार का उल्लेख किया है। मैं सभा को उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं जिससे देश की जनता को मालूम हो सके कि यह करार किन परिस्थितियों में हुआ था।

यह कहा गया है कि भारतीय उद्भव के जो लोग लंका में पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं वह तो लंका के नागरिक वहां पर इतने समय से रहने के कारण स्वयमेव ही हो गये हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारा भी ऐसा ही विचार था कि उनको लंका का नागरिक ही समझा जाना चाहिए । परन्तु श्रीमती बन्डारनायके ने हमारी इस बात को नहीं माना है और यही कहा है कि उनको भारतीय ही माना जाना चाहिए और इसीलिए भारत सरकार को उन्हें भारत में वापस ले लेना चाहिए।

बातचीत के बाद यह तय पाया गया कि यह एक दीर्घकालीन समस्या है और हमें इसका हल ढूंढना चाहिए और अपनी अपनी बातों पर अड़े रहना ठीक नहीं है । तभी 30 अक्तूबर, 1964 को यह समझौता किया गया। इस समझौते के अनुसार 5,25,000 लोगों को भारत आना है। पहले हमने कहा था कि हम 9,75,000 लोगों में से 3,00,000 लोगों को भारत में लेने को तैयार हैं परन्तु बाद में स्वीकार कर लिया कि 15 वर्ष की अवधि में हम 5,25,000 भारतीयों को भारत में उनकी आस्तियों समेत वापस ले लेंगे। इनमें से बहुत से व्यक्ति स्वयं भारत आना चाहते हैं । हम आशा करते हैं कि सभी इस समझौते को सफलतापूर्वक लागू करने में हमारी सहायता करेंगे।

श्री हेम बरुआ : क्या 15 वर्षों में आने वाले ये 5,25,000 व्यक्ति उन बच्चों को भी लेकर आयेंगे जो उनके इन 15 वर्षों में पैदा होंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : अभी मामले पर अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। लंका सरकार ने हाल में ही यह घोषणा की है कि लंका में भारतीय उद्भव के लोगों को अलग मतदाता सूची में रखा जा रहा है । हमारे प्रधान मंत्री ने इस बारे में लंका के प्रधान मंत्री को लिखा है। हम आशा करते हैं कि लंका सरकार हमारी बात समझेगी और ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे समझौते पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि कुछ सदस्यों ने यह कहा कि हमें इस समझौते को करने से पहले उन व्यक्तियों से पूछना चाहिये था जो इस समझौते से प्रभावित होते थे। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि हम लगातार उन लोगों की संस्थाओं से सम्पर्क बनाये हुए हैं और हाल में ही जब मैं लंका गया था उस समय मैं ने उन के नेताओं से बातचीत की थी। उन्होंने मुझ से यही कहा था कि दोनों सरकारों को सोच विचार कर इस प्रश्न का हल ढूंढना चाहिए। दोनों सरकारों ने बड़े विचार विमर्श के बाद ही यह समझौता किया और चाहे जो भी बात हो कुछ लोगों को तो भारत वापस आना ही था । और हम ने सोच विचार कर ही भारत में आने वाले लोगों की संख्या को स्वीकार किया ।

श्री रंगा (चित्तूर): क्या यह सच नहीं है कि वहां के संसद सदस्य श्री नटेशन ने जो भारतीय उद्भव लोगों के नेता हैं, कहा है कि भारत सरकार को उनके बारे में कोई समझौता नहीं करना चाहिये।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं आशा करता हूं कि दक्षिण भारत के लोग जानते हैं कि भारतीय उद्भव के दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक तमिल भाषा भाषी लंकावासी तथा दूसरे "जाफना" के लंकावासी । "जाफना" वालों के नेता श्री थोंडामान हैं। इन दोनों प्रकार के भारतीय उद्भव के लोगों के आपस के विवाद है और दोनों ही इस प्रश्न को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं।

श्री जे० भ० कृपालानी : बातचीत में उनके प्रतिनिधियों को बुलाना चाहिए था ।

श्री स्वर्ण सिंह : समझौता दो सरकारों के बीच हुआ था । अतः गैर-सरकारी व्यक्तियों को इसमें शामिल नहीं किया गया था । परन्तु इन दोनों नेताओं ने जो दोनों ही वहां की संसद् के सदस्य हैं, के विचार मालूम कर लिये थे । सभा हमारी इस कठिनाई को समझेगी कि जब दूसरी सरकार किसी व्यक्ति को वार्ता में शामिल करना नहीं चाहे तो हम उसको कैसे शामिल कर सकते हैं । हमने अपनी ओर से उन के बिचार मालूम कर लिये थे ।

श्री हेम बरुआ : जब उन्होंने लंका की नागरिकता प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र दिये थे । तब उन से उन के जन्म के परिमाण पत्र तथा रजिस्टर जिस में उन के जन्म के बारे में लिखा है, मांगे गये थे । मैं समझता हूं कि यदि लंका की सरकार के मंत्रियों से प्रमाण पत्र आदि मांगे जायें तो वह भी उनको नहीं बता सकते हैं ।

श्री स्वर्ण सिंह : कठिनाइयां तो बहुत हैं और दूर करने का प्रयत्न भी किया गया है । हम उनको यही सुझाव दे रहे हैं कि जिन लोगों का जन्म लंका में हुआ है उनको वह लंका की नागरिकता के अधिकार दे दें । उन्होंने लगभग हमारी बात मान ली है क्योंकि 1,30,000 लोगों को तो लंका का नागरिक बना लिया गया है और शेष जो तीन लाख ऐसे हैं जिनका जन्म वहां हुआ है उनको वहां का नागरिक बनाया जा रहा है । हम ने यही कहा है कि जो लोग अपने आवेदन पत्रों में यह बतायें कि उनका जन्म लंका में हुआ है लंका सरकार को उनकी बात स्वीकार कर लेनी चाहिए । अभी तक लंका में भी ऐसा कोई विधान नहीं है जिस के अधीन लंका सरकार उनको नागरिक बना सकें । इसलिए लंका सरकार को ऐसा करने के लिये एक विधान बनाना पड़ेगा और हम यही प्रयत्न करेंगे कि उस विधान में ऐसा उपबन्ध हो जिस से ऐसी कठिनाई सामने न आये ।

श्री जे० भ० कृपालानी : आपने उनको भारत में वापिस लेना स्वीकार कर लिया है परन्तु यदि कुछ लोग वापस न आना चाहें तो आप क्या करेंगे ।

श्री स्वर्ण सिंह : लगभग तीन लाख लोग ऐसे हैं जो सीधे यहां आना चाहते हैं । उनको 10 वर्षों के भीतर भारत लाया जायेगा । इतने समय में वे कार्य करते रहेंगे । और तब तक यह पता लग जायेगा कि इस बारे में अन्य लोगों का क्या रवैया है । मुझे आशा है कि लंका सरकार कोई अनुचित कार्य नहीं करेगी ।

हिन्द चीन में स्थिति संकट पूर्ण बनी हुई है । हम जनेवा सम्मेलन के अन्य सदस्यों से राजनीतिक सम्पर्क बनाये हुए हैं और इस बात पर बल दे रहे हैं कि समस्या का हल सैनिक कार्यवाही की अपेक्षा राजनीतिक स्तर पर ही किया जाये ।

दुर्भाग्य से लाओस के बारे में तीनों राजनीतिक पक्षों की पेरिस में हुई बातचीत का कोई फल नहीं निकला है । हम ने लाओस के बारे में 14 राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव का समर्थन किया है । वियतनाम में स्थिति पहले की तरह ही संकटपूर्ण और असंतोषजनक है ।

हम कम्बोडिया के इस सुझाव का समर्थन करते हैं कि कम्बोडिया की निष्पक्षता और प्रादेशिक अखंडता की गारंटी के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाये। यह संतोष की बात है कि कम्बोडिया और अमरीका शीघ्र ही नई दिल्ली में वार्ता करने के लिये सहमत हो गये हैं जिस से उन के सम्बन्धों में सुधार होने की आशा है ।

जहां तक काहिरा सम्मेलन का सम्बन्ध है, यह कहा गया है कि इस में कुछ सिद्धान्त ही माने गये हैं और इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला । अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में सिद्धान्तों का बड़ा महत्व होता है । काहिरा सम्मेलन में जो सराहनीय सिद्धान्त माने गये हैं—शांतिपूर्ण, सह अस्तित्व उपनिवेश उन्मूलन, संसार से सभी प्रकार से उपनिवेशवाद को समाप्त करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी कार्यवाही । हमारे प्रधान मंत्री ने सम्मेलन में यह सुझाव दिया था कि एक शिष्टमंडल चीन जाये जो चीन को आक्रामक कार्यवाहियों के लिये आणविक अस्त्र न बनाने के लिए कहे । वहां पर एकमत से यह घोषणा की कि हम में से कोई भी देश कोई आणविक परीक्षण नहीं करेगा और घातक कार्यों या अशांतिपूर्ण कार्यों के लिये आणविक अस्त्र नहीं बनायेगा । जिन देशों ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था वहां से समाचार मिले हैं कि इन बातों का उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा है और उन के लिए यह विचार का विषय बन गया है ।

मलयेशिया और इन्डोनेशिया के सम्बन्ध अभ भी कटु हैं । काहिरा में हम ने उनके सम्बन्धों में सुधार के लिए कुछ प्रयत्न किये थे । और अब भी कूटनीतिक स्तर पर हम इस बारे में प्रयत्न कर रहे हैं । हमारा दृढ़ विश्वास है कि इनका विवाद युद्ध द्वारा हल नहीं किया जा सकता है और दोनों देशों को विवाद हल करने के लिये आपस में बातचीत करनी चाहिये । कुछ अन्य मित्र देशों ने भी इस बारे में प्रयत्न किये हैं लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है, मुझे भी इन्डोनेशिया और मलयेशिया से निमंत्रण मिला है और राष्ट्र संघ का काम पूरा होने पर लगभग एक महीने बाद मैं वहां जाऊंगा ।

र्मा से आने वाले भारतीयों की समस्या का हमें पता है और हम ने इस बारे में बर्मा की सरकार को लिखा ह और कई बातों पर चिन्ता व्यक्त की है । बर्मा के विदेश मंत्री भारत आने पर सहमत हो गये हैं और हम यहां अपनी वार्ता, जो रंगून में आरम्भ हुई थी, जारी रखेंगे । वहां से लोगों के वापिस आने की सुविधाओं से भी अधिक महत्व का बुनियादी प्रश्न बर्मा में बड़ी संख्या में रहने वाले भारतीय लोगों के भविष्य का है । बर्मा की सरकार ने मुझे आश्वासन दिया है कि जो लोग परिवर्तित स्थिति में वहां ठहरेंगे, उन के जीवन तथा मान की रक्षा की जाएगी। बर्मा में जो राष्ट्रीयकरण हुआ है उसका केवल भारतीयों पर ही नहीं बल्कि एक विशेष ब्यापार में लगे सभी लोगों पर प्रभाव पड़ा है। चाहे ये भारतीय हों या पाकिस्तानी, योरोपीय अथवा बर्मी।

Shri Rameshwaranand (Karnal) : I am happy that our hon. Foreign Minister is trying to improve the strained relations of other countries but I am sorry to say that when our own relations with our neighbouring countries like China, Pakistan and Burma are not happy, we will not be able to impress others.

श्री नम्बियार : बर्मा से आने वाले कुछ लोगों से मैं ने बातचीत की और उन्होंने मुझे बताया कि यदि सरकार ने बर्मा सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों के बारे में सही रूप से बात-चीत की जाये तो भारतीयों के साथ उचित व्यवहार किया जा सकता है । इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री हेम बरुआ : क्या हमारे प्रतिनिधियों ने काहिरा में पृथक रूप से या संयुक्त रूप से कोलम्बो राष्ट्रों से चीन द्वारा हाल में कोलम्बो प्रस्ताव अस्वीकार किये जाने के बारे में बातचीत की ?

Shri Gulshan (Bhatinda) : May I know, whether the Government have taken any steps to stop this migration of Indians from all parts of the world ?

श्री विद्याचरण शुक्ल (महासमन्द) : क्या सरकार आणविक हथियारों के निर्माण करने पर या निर्माण न करने पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : कल प्रधान मंत्री इस बारे में बता चुके हैं।

श्री मुहम्मद इस्माइल (मंजेरी) : क्या सरकार चीन द्वारा अणु बम के विस्फोट से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिए आणविक परीक्षण संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों का एक सम्मेलन बुलाएगी ?

श्री रंगा : बर्मा में राष्ट्रीयकरण से भारत आने के इच्छुक भारतीयों की सब सम्पति छिन गई है और उन को अपर्याप्त नौवहन सुविधा के कारण भारत आने में बड़ा कष्ट हो रहा है। वर्तमान स्थिति पर तो इन लोगों को दो वर्ष में भी भारत नहीं लाया जा सकता है। क्या सरकार समुद्री यातायात सम्बन्धी सुविधा बढ़ाने पर विचार कर रही है।

Shri Bade (Khargone) : May I know the views of the Government regarding property and assets of the repatriates from Ceylon and Burma ? Would Government give them some help or they would have to sell themselves ?

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : क्या सरकार बर्मा से आने वाले भारतीयों को अपनी आस्तियां लाने के लिये कोई सुविधाएं देगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं तो यह चाहता हूं कि अपने पड़ौसी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध सुधरें। लेकिन भरसक प्रयत्नों के बावजूद भी हमें दो देशों के साथ सम्बन्ध सुधारने में सफलता नहीं मिल रही है। लंका, बर्मा और नेपाल के साथ हमारे सम्बन्ध सुधर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हमारा प्रयत्न यह ही रहा है कि जो भी विवाद हों वे शांति से और मैत्री पूर्ण ढंग से हल किये जायें।

रंगून से आने से पूर्व मैंने एक वक्तव्य दिया था जिसको बर्मा के सभी समाचारपत्रों में व्यापक रूप से प्रकाशित किया था। उस में मैंने कहा था कि बर्मा के सर्वोच्च स्तर से मुझे आश्वासन मिला है कि जो लोग परिवर्तित समाजिक व्यवस्था में बर्मा में रहना चाहते हैं, उन के जीवन और उनकी पूरी रक्षा की जायेगी।

कोलम्बो राष्ट्रों के साथ संयुक्त रूप से कोई बातचीत नहीं की गयी। हमारे प्रधान मंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी थी और इस में अधिक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम देशों को इस बारे में प्रभावित नहीं कर सकते कि वे कोलम्बो प्रस्ताव मानने के लिये चीन पर दबाव डालें।

मैं मानता हूं कि हमारा प्रमुख उद्देश्य उन देशों में रहने वाले लोगों के लिये मैत्रीपूर्ण वातावरण स्थापित करना है।

मास्को की अणु परीक्षण रोक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों का सम्मेलन बुलाने का हमारा कोई इरादा नहीं है और ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

बर्मा से आने वाले भारतीयों को नौवहन सुविधायें देने के लिये हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी भी कुछ सीमा है। इस पर हम और विचार करेंगे। उनको अपनी सम्पत्ति लाने देने के प्रश्न पर हम बर्मा सरकार से बातचीत करेंगे।

लंका से आने वाले भारतीयों को अपनी सभी आस्तियां लाने दी जायेंगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री यशपाल सिंह का स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 प्रस्तुत किया गया और अस्वीकृत हुआ।

Substitute motion No. 1 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री का स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मैं इस पर मत विभाजन चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 3 मतदान के लिये रखा गया ।

Substitute motion No. 3 was put to vote.

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 11, विपक्ष में 119

Ayes 11, Noes 119.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बड़े का स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 4 मतदान के लिये रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 4 मतदान के लिये रखा गया ।

Substitute No. 4 was put to vote

लोक सभा में विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में 12; विपक्ष में 118

Ayes 12; Noes 118

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री शिंकरे का स्थानापन्न प्रस्ताव मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 6 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

Substitute motion No. 6 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री किशन पटनायक के स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 8 को मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 8 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ

Substitute motion No. 8 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री ब० बा० गांधी के स्थानापन्न प्रस्ताव को मतदान के लिये रखूंगा। श्री विद्या चरण शुक्ल का स्थानापन्न प्रस्ताव भी वैसा ही है परन्तु उसे प्रस्तुत नहीं किया गया है।

श्री रंगा : हालांकि हमारी पार्टी भारत-श्रीलंका करार का समर्थन नहीं करती है क्योंकि वह देश के सम्मान के विरुद्ध है, परन्तु फिर भी हम इस समय इस विषय पर सभा में मत विभाजन के लिये आग्रह नहीं करेंगे। किसी अन्य अवसर पर हम इस करार के प्रति अपनी अस्वीकृति प्रकट करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये, अर्थात :—

"कि यह सभा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्संबंधी नीति पर विचार करने के पश्चात् भारत सरकार की नीति का अनुमोदन करती है।" (5)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खाद्य निगम विधेयक—जारी

FOOD CORPORATIONS BILL—*contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा इस विधेयक पर अग्रेतर खण्डवार विचार जारी रखेगी। खंड 13 पर पहले विचार किया जा चुका है, इसलिये मैं सभी संशोधनों को एक साथ मतदान के लिये रखूंगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 26, 28, 32, 35 और 37 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendments Nos. 26, 28, 32,35 and 37 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 13 was added to the Bill.

खण्ड 14 से 18 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 14 to 18 were added to the Bill.

खण्ड 19———(राज्य खाद्य निगमों का प्रबन्ध)

संशोधन किया गया—

Amendment made

पृष्ठ 9, पंक्ति 24—

"public interest" ["लोक हित"] के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"The interests of the producer and consumer" ["उत्पादक तथा उपभोक्ता के हित"] (55) **[श्री चि० सुब्रह्मण्यम]** :

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 19, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 19, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 19, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 20 से 26 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 20 to 26 were added to the Bill.

खण्ड 27

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : मैं अपना संशोधन संख्या 44 प्रस्तुत करता हूं ।

I want all these functions should be entrusted to the Reserve Bank of India because it functions in the interests of the farmers. The Reserve Bank can authorise other banking institutions to perform these functions on its behalf. This is the intention of my amendment.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : खण्ड 27 में सरकार द्वारा मान्यता दिये गये किसी बैंक से पैसा उधार लेने का उपबन्ध है । इसलिये इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है ।

संशोधन संख्या 44 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 44 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 27 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 27 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 27 was added to the Bill.

Clause 28

श्री विभूति मिश्र : मैं अपना संशोधन संख्या 45 प्रस्तुत करता हूं ।

The purpose of my amendment is that Government should advance money free of interest to the farmers for purchase of foodgrains. The Government should have no objection in accepting this amendment.

Shri Tulshidas Jadhav (Nanded) : I support the amendment moved by Shri Bibhuti Mishra. Because of too many intermediataries the farmers get loans at a heavy rate of interest. They have to depend on loans for their various agricultural requirements, and because of heavy rate of interest they cannot pay off their debts. The food Corporations should, therefore, advance loans to farmers at a low rate of interest, if not free. I would even say that these corporations should directly advance loans to the farmers and the intermediaries may be abolished. This would encourage them to raise their production.

Shri Sheo Narain (Bansi) : I wholeheartedly support the amendment moved by Shri Bibhuti Mishra. We have to spend much of our valuable foreign exchange on the import of foodgrains from outside. Instead, if Government give loans free of interest and also in time to the farmers, the farmers would work with greater devotion and enthusiasm, and the food problem would fade away in the wake of increased production.

श्री बड़े (खारगोन) : मैं श्री विभूति मिश्र के संशोधन का समर्थन करता हूं । कभी कभी अधिक ब्याज न दे सकने के कारण किसानों की जमीनें तक नीलाम कर दी जाती हैं । सरकार को 'साहूकार' बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए । उत्पादन तभी बढ़ सकता है जब किसानों को बिना ब्याज ऋण दिये जायें ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : खाद्य निगम एक व्यापारिक संस्था होगी । इसलिये ऐसी संस्था से बिना ब्याज धन की आशा करना उचित नहीं होगा । हां, इस बात को अवश्य ही ध्यान में रखा जायेगा कि ब्याज की दर कहां तक कम की जा सकती है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 45 मतदान के लिये रखा गया ।

Amendment No. 45 was put to vote.

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha Divided

पक्ष में 16, विपक्ष में 75

Ayes 16 ; Noes 75.

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 28 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 28 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 28 was added to the Bill.

खण्ड 29 से 32 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 29 to 32 were added to the Bill.

खण्ड 33

श्री विभूति मिश्र : मैं अपना संशोधन संख्या 50 प्रस्तुत करता हूं ।

The purpose of my amendment is that since this corporation is to be run on commercial lines, 75 per cent of its profits should be utlised for the development of agriculture.

श्री पु० र० पटेल (पाटन) : मैं श्री विभूति मिश्र के संशोधन का समर्थन करता हूं । व्यापारिक संस्थाएं जो खेती से संबंधित हैं अपने लाभ का कुछ हिस्सा खेती की उन्नति के लिये खर्च करती हैं । ऐसा करने से उन्हें भी लाभ होता है । चूंकि यह निगम भी एक व्यापारिक संस्था होगी अतः इसके लाभ को भी खेती के विकास कार्यों में लगाया जाना चाहिये । खाद्य निगम को भी इस व्यापारिक प्रथा का अनुसरण करना चाहिए ।

श्री रंगा (चित्तूर) : यदि सरकार किसानों को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि यह निगम उनके हित में कार्य करेगी तो उसे यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिए । खाद्य निगम द्वारा अनाज व्यापार के माध्यम से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कमाए जाने वाले भारी लाभ को किसानों की भलाई के लिये काम में लाया जाना चाहिये । तभी हम देश में सही अर्थों में कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का दावा कर सकते हैं । ऐसा नहीं किया गया तो, हमारी पुरानी आशंकाएं और अधिक पक्की हो जायेंगी कि सरकार का उद्देश्य केवल भारी लाभ कमाना ही है ।

श्री क० न० तिवारी : चीनी मिलों में भी यह प्रथा है कि उनके लाभ का कुछ भाग गन्ना उद्योग के विकास के कार्यों में लगाया जाता है । अतः खाद्य निगम को भी इस व्यापारिक प्रथा का अनुसरण करना चाहिए ।

Shri Sheo Narain : The cess realised on sugarcane is not utilised for betterment of kisans or their means of communications. The block development machinery has proved a failure. The food Corporation may make as much profits as it may like but at least 50 per cent of it should be allocated to the farmers for development of their agriculture.

With these words, I support the amendment moved by Shri Bibhuti Mishra.

Shri Kamalnayan Bajaj (Wardha) : I have no objection to this amendment in principle. This Corporation should also follow the commercial practices. But, in my opinion, it would be better if the Corporation takes upon itself to supply better seeds, fertilisers, tractors and other technical facilities

to farmers, instead of allocating a portion of the profits to them. By making the improved techniques available to the peasantry we will be serving both the country and the farmers in a much better ways.

Shri Tulshidas Jadhav : In sugar, textiles and other industries some portion of the profit is set apart for the welfare of the workers employed in those industries. They have been required by law to provide for the amenitis of their workers. So far as foodgrains are concerned, now the business community makes huges profits by haording and selling the foodgrains at a much higher price. Since the food Corporation is being created for trading in foodgrains, some provision should be made in this Bill itself that some portion of the profits would be earmarked for furthering the interests of the farmers. Nothing short of some kind of such provision in this law is acceptable to me.

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur) : I also support the amendment moved by Shri Bibhuti Mishra. The wording of clause 33 needs to be changed to bring it in harmony with clause 13.

Shri Bade : The share of the Central Government, State Governments and the farmers should be specifically provided in this Bill. This is a matter of policy and must be incorporated in the Bill. We cannot be satisfied with mere assurances on this issue.

Srhi J.P. Jyotshi : We should give top priority to the interest of the farmers. This Corporation is being set up with that very purpose in view. It is to see that the farmers are given reasonable prices of their produce and the prices of foodgrains are maintained at a reasonable level. It would thus safeguard the interests of farmers as well as consumers. Whatever its profits may be, they are going to be utilised for the promotion of agriculture. In my opinion, a mere assurance to this effect would be enough.

श्री चो० सुब्रह्मण्यम : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान खण्ड 13 (2) (क) की ओर दिलाऊंगा। मैं इस पर पहले भी जोर डाल चुका हूं। यह निगम केवल खरीद ही नहीं करेगा अपितु खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से भी विभिन्न उपाय करेगा। यह किसानों के लिये बहुत लाभदायक सिद्ध होगा और जहां तक भी संभव होगा अनेक विकास कार्य हाथ में लेगा।

श्री विभूति मिश्र के संशोधन द्वारा विकास कार्यों का क्षेत्र सीमित हो जायेगा। चूंकि एक व्यापक खण्ड जोड़ दिया गया है और मैंने यहां पर भी आश्वासन दे दिया है। इसलिये श्री विभूति मिश्र को अपना संशोधन वापिस ले लेना चाहिए। निगम स्वयं यह देखेगा कि खण्ड 13(2) के अन्तर्गत पर्याप्त कार्यवाही की जाये।

Shri Bibhuti Mishra : Since the hon. Minister has been pleased to give an assurance in the House, I beg leave of the House to withdraw my amendment.

संशोधन संख्या 50 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

Amendment No. 50 was, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 33 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 33 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

clause 33 was added to the Bill.

खण्ड 34 से 43

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : मैं खंड 39 के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं । समझ में नहीं आता कि खंड को इतना व्यापक रूप क्यों दिया गया है । उपखंड (1) में उपबन्ध किया गया है कि बोर्ड का प्रत्येक सदस्य हानि के लिये उत्तरदायी होगा किन्तु इसका कोई उल्लेख नहीं है कि अपना कर्त्तव्य पालन करते समय वह किस प्रकार की हानि के लिये उत्तरदायी होगा । आगे उपखंड (2) में कहा गया है कि किसी हानि के लिये दूसरे व्यक्ति के लिये उत्तरदायी नहीं समझा जायेगा । खंड को इतना व्यापक बनाया गया है कि इस की आड़ में किसी भी प्रकार के कृत्य के लिये बचा जा सकता है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहां तक खंड 39 के उपखंड (2) का संबंध है, सदभावना के साथ की जाने वाली प्रत्येक कार्यवाही को संरक्षण दिया जायेगा । निगम को होने वाली प्रत्येक हानि के लिये पदाधिकारियों को उत्तरदायी ठहराने से यह हानि होगी कि वे कोई भी निर्णय लेने में संकोच करेंगे । चंकि निगम वाणिज्यिक आधर पर कार्य करेगा अत: इसके द्वारा शीघ्र निर्णय किये जाने की आवश्यकता है । जहां तक लाभ की सीमा निर्धारित करने का संबंध है, निगम सरकार द्वारा बनाई गई मूल्य नीति के अनुसार ही कार्य करेगा । सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि निगम अनुचित लाभ न उठाये ।

Shri Tulshidas Jadhav (Nanded) : Sir, clause 40 of the Bill says that a member of the Board of Directors of Food Corporation, or a Board of Management or any other member of employee of the Corporation shall not be responsible for any loss or damage caused by anything which is done in good faith. It is very strange that no provision has been made in this Bill for holding any person responsible for the loss accruing to the Food Corporation wheras the *Sarpanch* of a village can be sentenced with imprisonment for a loss of only rupees five.

श्री सिंहसान सिंह (गोरखपुर) : विधेयक के खंड 39 और 40 में निदेशकों तथा प्रबन्धकों को दोहरा संरक्षण दिया गया है । यदि निगम को घाटा होता है तो विधेयक के वर्तमान उपबन्धों के अनुसार न तो निदेशक ही व्यक्तिगत तौर से उत्तरदायी होंगे और न ही प्रबन्धक । उस स्थिति में सारी हानि राष्ट्र को उठानी पड़ेगी । अत: मैं समझता हूं कि किसी व्यक्ति को उत्तरदायी अवश्य ठहराया जाये अन्यथा कोई भी व्यक्ति उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से कार्य नहीं करेगा ।

Shri Bibhuti Mishara (Motihari) : Government employees should consider Government proprty as their own. Government should have the right to realise from them the damage caused to Government property because we have to improve the working of the public Sector so that the private sector maynot be able to find fault with it.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : विधेयक का खंड 39 निगम के निदेशकों तथा प्रबन्धकों के बीच संबंधों से संबंधित हैं। अपना कर्त्तव्य निभाने के लिये सदभावना से किये जाने वाले कार्य में निगम के होने वाली किसी प्रकार की हानि के लिये निगम के किसी निदेशक अथवा अन्य पदाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 34 से 43 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adpoted.

खण्ड 34 से 43 तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 34 to 43 were added to the Bill.

खण्ड 44—नियम बनाने की शक्तियां

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 44 पर विचार करेंगे ।

श्री च० का० भट्टाचार्य : मैं अपना संशोधन संख्या 51 प्रस्तुत करता हूं ।

महोदय, यह सामान्य संशोधन है। मैं इस संशोधन द्वारा खंड 44 में अस्पष्टता को दूर करना चाहता हूं। केन्द्र के तथा राज्यों के खाद्यनिगमों के लिये नियुक्तियों, निर्देश पदों आदि के संबंध में एक समान नियम नहीं हैं। नियमों में एकरूपता लाने के लिये मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस खंड की ओर दिलाना चाहता हूं ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह एक समर्थकारी खंड है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि इस खंड में किये गये उपबन्धों के अतिरिक्त और कुछ किया ही नहीं जा सकता। खंड में विशेष रूप से कहा गया है कि निदेशकों को नियुक्त करते समय उनके निर्देश पद आदि निर्दिष्ट किये जायेंगे। अतः माननीय सदस्य को इस खंड के बारे में किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय क्या संशोधन को मतदान के लिये सभा के सामने रखा जाये ?

श्री च० का० भट्टाचार्य : जी, नहीं। मैं संशोधन को वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सदस्य महोदय को संशोधन वापस लेने की अनुमति है ?

संशोधन संख्या 51, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।

Amendment No. 51 was, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 44 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 44 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 44 was added to the Bill.

खण्ड 45—(खाद्य निगम की विनियम बनाने की शक्ति)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा खंड 45 पर विचार करेगी ।

श्री काशीराम गुप्त (अलवर) : मैं अपना संशोधन संख्या 54 प्रस्तुत करता हूं ।

पिछले अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि यद्यपि सरकार द्वारा प्रारम्भ में सभी प्रकार के वचन दिये जाते हैं किन्तु वास्तविक परिणाम उनके विपरीत होते हैं । विधेयक के खंड 45 में लाभों की सीमा निर्धारित करने, उपरि व्यय तथा अन्य प्रकार के व्यय निर्धारित करने के सम्बंध में उपबन्ध जोड़ दिया जाना चाहिए । अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि यह संशोधन स्वीकार किया जाये ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं तृतीय पाठन के समय विधेयक पर बोलना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोनय : अभी खंडवार विचार ही समाप्त नहीं हुआ ।

Shri Bade (Khargone) : I support the amendment moved by the hon. Member Shri Kashi Ram Gupta. The hon. Minister should give some clarification about this clause so that we may know his intention cleraly.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : निगम द्वारा कमाये जाने वाले लाभ के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि निगम अनुचित लाभ न कमाये । निगम सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य नीति के अनुसार ही कार्य करेगा । निगम को सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ही विनियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं । अतः माननीय सदस्यों की किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : क्या संशोधन को मतदान के लिये सभा के सामने रखा जाये ।

श्री काशीराम गुप्त : जी, नहीं । मैं संशोधन को वापस लेता हूं ।

संशोधन संख्या 54, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।

Amendment No. 54 was, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 45 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 45 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 45 was added to the Bil.

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

The Schedule was added to the Bill.

खण्ड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1 was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम सभा के सामने रखता हूं । क्या इन पर कोई संशोधन है ?

श्री विभूति मिश्र : प्रस्तावित निगम केवल खाद्यान्नों के लिये बनाया जा रहा है, मैं माननीय मंत्री को बताना चाहता हूं कि पटसन रूई आदि भी कृषि-जन्य पदार्थ है। सरकार को इन के मूल्यों के निर्धारण की ओर भी उचित ध्यान देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार के संशोधन पहले भी अस्वीकार किये जा चुके हैं।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adoped

अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

The Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

श्री रंगा : गत 35 वर्षों से कृषक आन्दोलन सरकार से यह मांग कर रहा है कि उन्हें लाभकारी मूल्य देने के लिये सरकार संरक्षणात्मक कदम उठाये।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया। सरकार किसानों की मांग को पूरी करने के स्थान पर यह विधेयक सभा के सामने ला रही है। वर्तमान विधेयक द्वारा खाद्य निगम को वाणिज्यिक आधार पर व्यापार करने की शक्तियां प्रदान करना दुर्भाग्य की बात है क्योंकि पहले जब कभी भी सरकार ने खाद्यान्नों का व्यापार अपने हाथ में लिया उस का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं रहा। किसानों को बताया जाना चाहिये कि सरकार द्वारा समय समय पर घोषित किये जाने वाले "न्यूनतम मूल्यों" का अर्थ क्या है। खाद्य निगम को यदि किसी प्रकार का लाभ हो तो उसे किसानों को लाभकारी मूल्य देने चाहियें।

यदि प्रस्तावित खाद्य निगम लाभ कमाना ही चाहता है तो उसे गैर-सरकारी व्यापार के साथ प्रतियोगिता करनी चाहिये ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सकें। अन्त में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि निगम को एकाधिपत्य नहीं दिया जाना चाहिये जो कि किसानों के हितों के प्रतिकूल होगा।

श्री मा० श्री० अणे (नागपुर): व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में सरकार को अनाज के अच्छे दाम देने होंगे अन्यथा सरकार इस प्रतिस्पर्धा में असफल रहेगी।

श्री रंगा : सरकार को व्यापारियों की तुलना में कहीं अधिक अच्छे दाम देने पड़ेंगे। इस खाद्य निगम विधेयक के लिये एक संशोधन लाया गया है जिसके अनुसार यह मांग की गई है कि हमारे किसानों को जो ऋण दिया जाये उस पर कोई भी ब्याज न लिया जाये। मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस संशोधन में की गई यह मांग कोई व्यापारिक नियमों के विरुद्ध नहीं है। आजकल भी अनाज के कई व्यापारी किसानों को बिना ब्याज के ऋण देते हैं। और इस के बदले में किसान उन्हें अपनी फसल बेचते हैं? मैं चाहता हूं कि खाद्य निगम भी किसानों को बिना ब्याज के ही ऋण दे। निगम को इस से कोई विशेष हानि नहीं होगी। आजकल भी भारत के रिज़र्व बैंक द्वारा सहकारी उधार संस्थाओं को $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत के दर पर उधार दिया जाता है। हम चाहते हैं कि खाद्य निगम किसानों को बिना ब्याज के उधार दे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम व्यापारियों और इस निगम में प्रतिस्पर्धा के पक्ष में हैं। हम कभी भी यह नहीं चाहेंगे कि गैर-सरकारी व्यापारियों अथवा खाद्य निगम के पास खाद्य व्यापार का एकाधिकार रहे जिस से कि उत्पादकों और उपभोक्ताओं को हानि हो।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर चर्चा के लिये पांच घंटे नियत किये गये थे परन्तु हम इस पर $7\frac{1}{2}$ घंटे चर्चा कर चुके हैं।

श्री स०मो० बनर्जी : अध्यक्ष महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि हमें काफी समय मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पांच मिनट से अधिक न लें ताकि हम 3.30 म० प० तक इस विधेयक पर चर्चा समाप्त कर दें।

कई माननीय सदस्य : जी हां, श्रीमान्।

Shri D. S. Patil (Yeotmal) : This Bill is going to be enacted and consequent to this Food Corporations are going to be set-up in the Centre as well as in the States. The main function of this Corporation would be to purchase foodgrains in the open market on the producer-prices announced by the Government of India from time to time. After the enactment of this measure the Central Government's task of fixing the price becomes very important. In this connection my suggestion is that the declared producer-price should be raised. The future purchases by the Corporation should be made with a view to encourage the farmers to increase the production and to achieve this end remunerative prices should be given to the cultivators as has been accepted by this House.

Many Speakers have expressed their fears yesterday that if more price is offered to the farmers what will be the plight of the consumers. My suggestion is that the Government will have to give subsidy to the consumers. The farmers will have to be given remunerative price, and the consumders will be sold the foodgrains at subsidised rates. Until this policy is adopted the production will not increase and the food problem will not be solved.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जो खाद्य निगम स्थापित करने जा रही है उस का हम समर्थन करते हैं। हम यह समझते हैं कि गैर-सरकारी व्यापारियों के हाथ से खाद्य का व्यापार अपने हाथ में ले कर सरकार उचित कार्य कर रही है परन्तु हमें यह सन्देह है कि सरकार इस में सफल रहेगी अथवा नहीं। किसी दबाव के कारण सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। मुझे डर है कि सरकार इस पर पूरा पूरा कार्य कर सकेगी या नहीं। इस सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान पश्चिम में खाद्य के संकट की ओर दिलाना चाहता हूं। मद्रास में जहां फालतू अनाज होता था आज चावल की न्यूनतम आवश्यकता भी पूरी नहीं हो रही है। इसलिये यदि आज सरकार खाद्य निगम के कार्य को

असावधानी से चलाती है तो परिणाम यह होगा कि हमारे पास लोगों की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये पर्याप्त अनाज नहीं होगा। केरल में स्थिति और भी गम्भीर है। वहां तीन औंस का राशन भी लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा है और जो लोग इसके विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं उनको बुरी तरह दबाया जा रहा है। आज केरल में राष्ट्रपति का नहीं बल्कि पुलिस का राज है। ऐसा कह कर मैं यह व्यक्त करना चाहता हूं कि खाद्य निगम का कार्य सरकार ने उत्साहहीन हो कर किया तो इसका परिणाम उचित नहीं होगा। इस लिये सरकार इस काम को दृढ़ता से करे। हम आपको सहयोग देंगे। समाहार ठीक प्रकार होना चाहियें और नियमित राशन व्यवस्था आरम्भ की जानी चाहिये ताकि हर परिवार को न्यूनतम अनाज उपलब्ध हो सके।

Shri K. N. Tiwary : I want to put forth some suggestions. In this Bill there is no indication of integrated price. As the farmers have to buy so many other articles and are charged exhorbitant prices, the integrated price should not be lost sight of while fixing the price for their produce. The price which has been fixed is not minimum but it is maximum. If Government wants to give support price then they should fix minimum price and not the maximum one.

When normal trade channels are done away with, zonal sytem introduced and free movement of foodgrains stopped and no alternative arrangements for feeding the market are made then difficult problem creeps up until the Government make arrangements for sufficient buffer stock, the normal supply channels should not be closed. The Government has removed control from the movement of the other necessaries of life of the farmers such as cement and steel etc. This has made these commodities readily available and the prices have also not increased much. The plight of Kerala and some other States is pitiable because of controls and zonal system. I would like to suggest that normal channels of supply should be allowed.

In this Bill you have not made anybody responsible for the loss and decay of foodgrains. Suppose huge quantity of foodgrains get spoiiled in the warehouses, who will be responsible for that ? Foodgrains should not be eaten by worms and somebody should be made responsible for the safeguard against any decay or loss.

This Bill has been brought in haste. Government should reconsider it and bring a comprehensive Bill with all these amendments which are necessary so that the Corporation can work satisfactorily.

Shri Bade : After this Bill has been passed the Government is going to shoulder a big responsibility. In fact the Government is there to govern the country and not to enter into any trade. But when the Government noticed that the private traders mere exploiting the consumers, they deemed it fit to set up a Food Corporation. The Government is not going to stop the private trade but is acting as a balancing power so that the private traders may not charge high prices.

I was surprised to listen the hon. Minister referring to monopoly procurement. It is not possible with rupees one hundred crores which the Government is going to invest. Monopoly procurement requires a minimum investment of rupees 26 to 27 crores. Then the Government have to be much cautious regarding mismanagement in this Corporation. All the nationalised undertakings suffer loss. The Government shpould appoint experienced managers who are fully conversant with the trade. The Corporation should

work side by side with the private traders as a balancing power and should not enter into monopoly procurement. Otherwise nearly twenty lakh people will be thrown out of employment.

I have also to say something regarding rules and regulations. Rules are framed in such a way that they have no connection with the main Act and are against the spirit of the Act. The basis of the rules have sometimes been questioned even in the courts. My submission is that such rules should not be framed for which there is no provision in the main Act.

श्री शं० शा० मोरे (पूना): इस विधेयक की सफलता के बारे में मुझे कुछ संदेह है। यह विधेयक तब ही सफलता प्राप्त कर सकता है जब कि खाद्यान्न का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हो और उसे पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किया जा सके। और ऐसा तब ही हो सकता है जब किसानों को उन की उपज के लिये लाभप्रद मूल्य दिये जायें। इन सब बातों की जांच करने के लिये खाद्यान्न जांच समिति नियुक्त की गई थी और उस ने सिफारिश की है कि सरकार को उत्पादन के आंकड़े तथा किसानों के जीवन-निर्वाह के खर्च के संबंध में आंकड़े इकट्ठे करने चाहियें और फिर किसानों के लिये लाभप्रद कीमतें निर्धारित की जानी चाहियें। परन्तु हमें डर है कि इस निगम में नौरकरशाही का बोलबाला होगा क्योंकि इस में शहरी लोग आ रहे हैं और वे किसानों के हितों का ख्याल नहीं रखेंगे। वे तो केवल उपभोक्ताओं के हितों की ओर ही अधिक ध्यान देते हैं।

इसलिये मेरा निवेदन है कि किसानों की संतुष्टि के लिये माननीय मंत्री मेरे संशोधन संख्या 32 को स्वीकार करें जो लाभप्रद कीमतें निर्धारित करने के बारे में है। इस से किसानों को पैदावार बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलेगा और जब तक उत्पादन नहीं बढ़ता उस के वितरण आदि का प्रश्न नहीं उठ सकता।

Shri Shivamurthy Swami (Koppal): Sir, an action Committee should be appointed to look into the affairs of the Corporation. If we are to achieve any measure of success this Committee should include experts of the trade. However lofty ideals you might be having but unless persons of initiative are there you cannot succeed. The opposition leader in the Mysore State has put forth several allegations. Have you ever enquired about them ? When the Chairman of the Co-operative Society Bank went to take the quota of the whole District, he was told that unless 100 lorries are brought at a time quota will not be given. It is very difficult to procure 100 lorries at a time. This is the reason why prices are soaring in that area. What I mean is this that 10 percent management should be given in the hands of the administrative and rest in the hands of the Corporation and after that we should chalk out plans for the working of this Corporation.

The Corporation should charge the least interest from the people. For six months or at least till the arrival of the produce no interest should be charged. After that you can charge interest for a certain period. The rate of interest should not be more than 1 or 2 percent and the margin of profit should not exceed beyond 1 percent.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): I approve of the amendments made in the second reading of the Bill. My only request is that the farmer should be given integrated remunerative prices.

There should be good and adequate storage facilities for the foodgrains. it should be saved from waste. Proper accounting should be maintained. The profit thus earned should be spent on the welfare of the farmers. The money advanced to them should be free of interest otherwise he will go to the Mahajan and it will not avail.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : First of all, at any time in the year the price of foodgrains should not increased by more than Rs. 2 than the price fixed for the procurement of foodgrains from the farmer.

Secondly, this bill should also be enforced in the State of Jammu and Kashmir.

Thirdly, either the Warehousing Corporation should be shifted to Madras or the Food Corporation should be shifted to Delhi from Madras, otherwise it will entail huge expenditure in the form of telephone calls and travelling allowances.

Fourthly the word bankrupt should be obliterated. It has no meaning in a Socialistic pattern of Society. The loan should be advanced after asserting the need of the farmer as the Mahajan does. This Corporation should also include a representative of the farmers.

Lastly we should not talk of war-footing. We have already failed on the war front.

Shri Shiv Narain (Bansi) : Sir, I am in favour of free movement of foodgrains. Our able Food Minister Shri Rafi Ahmed Kidwai followed this policy. When there was shortage in any part of the country he would give a telegram that 100 wagons were being sent and the next the wheat was freely available in the market. That policy worked well. Today, the quality of wheat being sold at Rs. 22.00 per maund in Delhi is fetching Rs. 40 per maund in Ghaziabad. If movement restrictions are removed, this cannot happen.

The range of price should be fixed for every year within which the price cannot fluctuate beyond the prescribed limit. Today, our sugar is sold at the rate of 10 annas per kilo in foreign countries while we have to pay at the rate of Rs. 1.50 per kilo. Government should realise its. responsibilities to the people. The farmers are ready to cooperate with the Government in this matter.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। यद्यपि सरकार ने खाद्यान्नों में सम्पूर्ण राज्य व्यापार की नीति को नहीं अपनाया है, क्योंकि कुछ लोग एसे भी हैं जो देश में स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में हैं। यह एक दोनों के बीच का रास्ता हो जो सरकार ने इस विधेयक द्वारा अपनाया है। फिर राज्य व्यापार की दिशा में यह एक कदम है। मुझे प्रसन्नता है कि गैर सरकारी क्षेत्र तथा इस निगम के बीच प्रतिस्पर्धा से जनता को फायदा पहुंचेगा।

मुझे इस बात की भी खुशी है कि अपराधी मिल मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। परन्तु मुझे यह जान कर आश्चर्य हुआ है कि लक्ष्मी फ्लोर मिल्स के एक श्री आर० पी० अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर क्या आरोप हैं ? 13 सितम्बर, को उनके घर की तलाशी ली गई थी.....

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि हम विधेयक का तीसरा पठन कर रहे हैं, इसलिये वह केवल सामान्य मदों का उल्लेख कर सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं चाहता हूं कि अपराधी व्यक्तियों को दंड मिले । माननीय मंत्री को बंगाल सरकार को कह देना चाहिये कि यदि वह गेहूं से बनी वस्तुओं का निर्यात करेगी तो उसका कोटा बन्द कर दिया जायेगा । यदि पश्चिमी बंगाल सरकार गलती पर है तो इसको भी जमाखोरों के साथ साथ दण्ड दिया जाना चाहिये ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : This year we have a bumper crop. Such legislative measures are not going to bring the prices down. They tend to make rather artifiicial scarcity. Government should allow the price level come down naturally. Due to these controls of the Government even the coarse grains have disappeared from the market. At the same time it should be ensured that the farmer gets adequate remuneration for his labour.

Recently it was stated in answer to a question that Madras, Mysore and Andhra Pradesh were supplied with foodgrains in excess of their allotted quota. They were given advance quota. On the other hand U.P., W. Bengal and Maharashtra were not supplied even the allotted quantity. Being a Minister he should discriminate like this .

The head office of this Corporation should not be set up Madras. Madras is not the central place of India. The Government should reconsider its decision and locate it at some Central place.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : लाभप्रद मूल्य निर्धारित करने का कार्य खाद्यान्न निगम के हाथ में नहीं छोड़ा गया है । यह काम सरकार कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश पर करेगी । निम्नतम मूल्य से हमारा अर्थ ऐसे मूल्य से नहीं है जिससे किसान का शोषण हो, अपितु लाभप्रद मूल्य से है ।

हमने अब यह व्यवस्था की है कि चाहे उत्पादन अधिक भी हो फिर भी मूल्य को गिरने नहीं दिया जायगा । इससे किसान को प्रोत्साहन मिलेगा और उत्पादन बढ़ेगा और साथ साथ उसको अधिक लाभ भी होगा । किसान को यह आश्वसन दिया जाता है कि किसी भी हालत में मूल्यों को निश्चित स्तर से गिरने नहीं दिया जायेगा ।

आज सरकार की बुनियादी नीति यह है कि किसान को लाभप्रद मूल्य दिये जायें । इस प्रयोजन के लिये सभी सम्भव प्रयत्न किय जायेंगे । साथ ही उपभोक्ताओं के प्रति भी हमारा कर्त्तव्य है । इसके साथ साथ उपभोक्ताओं के लिये भी हम उच्चतम मूल्य निर्धारित करना चाहते हैं । इन दोनों मूल्यों के बीच निगम को अपना काम करना है । क्रय और विक्रय करके निगम को उपभोक्ता तथा उत्पादकों दोनों के हितों की रक्षा करनी है ।

इन सब बातों के साथ साथ निगम को कृषि के विकास में भी सहायता करनी है और किसानों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करनी है । इस प्रयोजन के लिये योजनायें तैयार की जायेंगी । निगम किसानों को बीज सप्लाई करने, उर्वरक देने, ऋण आदि देने के प्रश्न पर विचार करेगा ।

यह निगम किसानों के लिये एक सच्चे मित्र और उनके हितों के संरक्षक के रूप में कार्य करेगा ।

मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने किसानों के हितों पर जोर दिया । मैं आश्वासन देता हूं कि जब तक मैं इस पद पर हूं कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिये बराबर प्रोत्साहन दिया जाता रहेगा । यह मेरी नीति है ।

दूसरी बात यह कही गई कि 100 करोड़ रुपये की पूंजी तो बहुत कम है। इसके अतिरिक्त इस बात की व्यवस्था की गई है कि निगम माल रख कर तथा सरकार की प्रत्याभूति पर रुपया ले सकती है। श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने यह आरोप लगाया कि मैं ने दक्षिणी राज्यों का पक्ष लिया है। मैंने प्रयत्न किया कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में अनाज पहुंचे। उत्तर के राज्यों की आवश्यकता मुख्यत: गेहूं की होती है। जब जहाज़ समय पर नहीं पहुंच पाते या अन्य कोई कठिनाई होती है तो स्वभावत: हम निश्चित मात्रा में उन राज्यों को गेहूं नहीं दे सकते। दक्षिण के राज्यों में मुख्यत: चावल का उपभोग किया जाता है। जब वहां खाद्य का संकट आ गया और चावल उपलब्ध नहीं था तो हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में गेहूं और चावल देना पड़ा।

इसलिये यदि माननीय सदस्य समझते हैं कि मैंने पदापात किया है तो उन्हें मेरे बारे में अपनी राय बदलनी चाहिये। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि मैं समस्त भारत के खाद्य मंत्री के रूप में काम करता हूं न कि किसी विशेष राज्य के मंत्री के रूप में। वास्तव में यही समस्या है और इस विषय में मैं यही आश्वासन दे सकता हूं।

खाद्य निगम विधेयक के पारित किये जाने के पश्चात् इस निगम के सफलतापूर्वक कार्य करने का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर होगा और जहां तक संभव होगा यथाशक्ति मेरा भी यही प्रयत्न रहेगा कि यह निगम केवल नाममात्र को ही न बने वरन् यह सफलतापूर्वक कार्य भी करे और जिन उद्देश्यों के लिये यह बनाया जा रहा हैं उनको भी पूरा करे।

Shri Rameshwaranand (Karnal): Hon. Minister's intentions are good is clear from his statement. During the process of storage of foodgrains, if the stock get spoiled the trader has to suffer the loss. But when the foodgrains stored by this Corporation also decay and perish as it happens usually in the Government warehouses, on whom will the responsibility for the loss or decay be fixed. Will the states or the officers concerned be held responsible for it ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Motion was adopted.

खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) विधेयक

PREVENTION OF FOOD ADULTERATION (AMENDMENT) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) विधेयक पर विचार आरम्भ होगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० श० नास्कर) : श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव है :—

"कि खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, 1954 में, अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

इस वर्ष के आरम्भ में सभा के समक्ष यह विधेयक विचारार्थ रखा गया था उसके पश्चात् यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया गया जिसने कुछ संशोधनों की सिफारिश की। विधेयक मूल रूप में जून, 1955 से प्रवर्तन में आया परन्तु उसमें कुछ कमियां रह गईं। यही कारण हैं कि उसमें संशोधन करने के लिये इस विधेयक को सभा के समझ रखा गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्रीमती रेणुका राय (मालदा) : संशोधनों के विषय में क्या होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक पर विचार करने के इस प्रस्ताव के पश्चात्, संशोधनों को लिया जायेगा।

[**श्री सोनावने** पीठासीन हुये
Shri Sonavane in the chair]

श्री चन्द्रभान सिंह (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य पदार्थों की किस्म के निश्चय करने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि विभिन्न देशों में मनुष्यों के औसत भार की तुलना की जाये। 70 किलोग्राम भार वाले एक औसत अमरीकी के शरीर में दूसरी चीज़ों के साथ 30 किलोग्राम मांस पेशियां, 10 किलोग्राम चर्बी, 10 किलोग्राम अस्थियां तथा 5·4 किलोग्राम रक्त होता है। जबकि ये चीजें एक औसत भारतीय अधेड़ व्यक्ति के शरीर में उसकी दो तिहाई या आधी होती हैं। खेद की बात है कि अभी तक हम इस औसत के विषय में ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाये हैं। इस संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये ट्रामवे संस्थान के स्वास्थ्य भौतिकी विभाग में प्रत्यन किये जा रहे हैं।

मेरे विचार से इस देश में व्यक्तियों के औसत भार में इतने निम्नस्तर के कारण खाद्य पदार्थों का अभाव तथा उनकी किस्म हैं। जब हम खाद्य पदार्थों की किस्म के विषय में विचार करते हैं तो मुख्य रूप से हमारा ध्यान उनमें मिलावट की ओर जाता है।

खाद्य पदार्थ मुख, नाक या त्वचा के रास्ते से हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें शक्ति देते हैं तथा शरीर को भली प्रकार कार्य करने योग्य बनाते हैं। खाद्य पदार्थ गैस, द्रव अथवा ठोस किसी भी रूप में हो सकते हैं और मिलावट या दूषित करने से ये बिगड़ जाते हैं। तीन प्रकार से इस बहुमुखी समस्या पर विचार करना वांछनीय है--(1) आर्थिक सामाजिक ढंग से; (2) चिकित्सा-विद्यानुसार; (3) नैतिक-आध्यात्मिक ढंग से।

अर्थ शास्त्र के अनुसार, मांग और पूर्ति तथा मूल्य का निर्धारण एक स्वाभाविक तथा सर्व स्वीकृत घटना है। नियंत्रण, प्रोत्साहन, संरक्षण, कर इत्यादि का कुछ प्रभाव होता है, परन्तु इनसे हमेशा नई समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं जोकि रोग से भी अधिक बुरी हैं। अतएव इनको बहुत सोच समझ कर लागू करना चाहिये।

खाद्य पदार्थों की कमी अन्तर्राष्ट्रीय है तथा संसार की कुल जनसंख्या का तिहाई भाग अर्थात् लगभग 100 करोड़ व्यक्ति ही कठिनाई से प्रतिदिन एक बार भरपेट भोजन कर पाते हैं। हमारे देश में भी जो सबसे गरीब देशों में से है, स्थिति चिन्ताजनक है। चाहे थोक या खुदरा व्यापारी हो, चाहे उत्पादक हो, खाद्य पदार्थों का घोर अभाव उनमें इन समाज विरोधी तत्वों को प्रोत्साहन देता हैं और वे खाद्य पदार्थों में मिलावट का दुष्टतापूर्ण कार्य करते हैं।

सामाजिक दृष्टि से जनसंख्या में वृद्धि भी इस सदी की महत्वपूर्ण समस्या है जिसने पिछले 2,000 वर्षों का रिकार्ड तोड़ दिया है। वे व्यक्ति भी जो आजकल चन्द्रमा या दूसरे ग्रहों पर लोगों को बसाने का अथवा समुद्र के ऊपर रहने का प्रस्ताव कर रहे हैं, इस समस्या को सुलझाने के लिये क्रांतिकारी उपायों की आवश्यकता बतलाते हैं। अपने आयोजित लक्ष्यों को प्राप्त करने में जनसंख्या की वृद्धि सबसे बड़ी रुकावट है।

चिकित्सा की दृष्टि से नगरों, कस्बों, गांवों तथा इस संसद् में भी जहां भी देखें ऐसे ही व्यक्ति मिलते हैं जो पूर्णतः स्वस्थ नहीं हैं और जो उपभोग किये गये खाद्य पदार्थों की मात्रा तथा किस्म को महत्व नहीं देते। अपने निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में ही मैंने पाया कि वहां 70 प्रतिशत स्त्री पुरुष तथा बच्चे कुपोषण, विटामिनों तथा प्रोटीन की कमी वाले रोगों, आंत्रशोध आदि से पीड़ित हैं और उनमें कमजोरी, सुस्ती दिखाई देती है।

में सैन्ट्रल हाल में स्थित संसद् की डिस्पेंसरी में एक दिन अकस्मात् गया तो देखा कि 4 या 5 संसद् सदस्य हाथ खोले इन्जेक्शन लगवाने के लिये खड़े हुये हैं। मैंने इन इन्जेक्शनों की निरर्थकता पर उनसे बातचीत की। मैं कह सकता हूं कि उनकी यह दशा इसी बुरी आदत के कारण है कि वे असन्तुलित भोजन करते हैं। पूर्णतः स्वस्थ रहने के लिये उन्हें सन्तुलित भोजन की तथा उचित व्यायाम की ही आवश्यकता है।

गैस तथा वायु रूप के खाद्य पदार्थों में कार्बन के कण, पैट्रोलियम-रासायनिक उपोत्पाद, आणविक धूल, धात्विक धूल तथा दूसरे विषैले तत्व मौजूद रहते हैं। द्रव रूप के खाद्य पदार्थों जैसे दूध, पानी, इत्यादि में दूषित जल, अपमिश्रित दूध, विषैले खनिज तथा अन्य हानिकारक तत्व रहते हैं। ठोस रूप के खाद्य पदार्थों जैसे गेहूं, चावल, दालों आदि में पत्थर, मिट्टी, भूसा छिलके आदि मिले रहते हैं।

जीव-रसायनशास्त्र के अनुसार, खाद्य पदार्थों का हम पांच भागों में वर्गीकरण करते हैं—(1) कार्बोहाइड्रेट (चावल आदि)' (2) प्रोटीन (गेहूं, दालें, मांस, मछली आदि) (3) चर्बी (मक्खन, घी, खाद्य तेल); (4) खनिज (लोह कोबाल्ट, तांबा, केल्शियम, फोस्फोरस आदि) और (5) विटामिन तथा हार्मोन्स ('ए' से 'ऐम' तक)।

अंतिम रूप में विश्लेषण करने पर यही निष्कर्ष है कि आक्सीजन मुख्यतः शक्ति प्रदान करती है। शरीर रूपी अनोखी प्रयोगशाला में सभी चीजों का उपयोग, पुनर्नवीकरण, संग्रह तथा विभिन्न अंगों द्वारा उत्सर्जन होता है, जिससे इन चीजों का उपापचयन हो जाता है और वे दूसरे रूप में बदल जाती हैं।

आक्सीजन के जलने पर शरीर में शक्ति तथा गर्मी उत्पन्न होती है और इसी को कैलोरी कहते हैं। साधारण काम करने वाले एक औसत व्यक्ति के लिए 3,000 कैलोरियों की आवश्यकता होती है जब कि हमारे देश में औसत व्यक्ति लगभग 1,200 से 1,500 कैलोरियों को भोजन से प्राप्त करता है। इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात यह है कि खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण से मनुष्य को कम कैलोरियां मिलती हैं तथा खाद्य पदार्थों में विषैले तत्व आ जाते हैं।

समाज विरोधी अपराधियों ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए बड़ी चतुराई से विभिन्न चीजें खोज निकाली हैं जिनसे करोड़ों स्त्री, पुरुष तथा बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और कभी कभी घातक भी सिद्ध होती हैं। खाद्य पदार्थों में विषैली चीजों का मिलाना तो सबसे बुरा है। इनके विषय में मैं संक्षेप में बताऊंगा।

अमरीका, रूस, ब्रिटेन तथा हाल ही में चीन द्वारा परमाणु अस्त्रों के परीक्षणों से हमारे देश में वायुमंडल का विद्युतीकरण हो गया है । इनसे समतापमंडल में रेडियमधर्मी धूल चाहे प्लूटोनियम, यूरेनियम, स्ट्रोन्टियम, आयोडीन, या कोबाल्ट हो, उत्पन्न हो गई है। इनके नीचे पृथ्वी तक आने में वर्षों लग जाते हैं परन्तु नीचे पृथ्वी पर आकर खाद्य पदार्थों जैसे सब्जी आदि में मिल जाती हैं जिनके खाने से ये शरीर में हड्डियों में अन्दर तक प्रवेश कर जाती हैं और फिर ये शरीर से किसी प्रकार भी नहीं निकलतीं। इनके शरीर में इकट्ठा होने पर भयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं ।

इस सम्बन्ध में मुझे एक स्विस लड़की के साथ हुई घटना की याद आती है। यह लड़की 16 वर्ष की आयु में घड़ियों के डायल पर रेडियमधर्मी चमकीला रोगन करने के लिए द्वितीय महायुद्ध के दौरान नौकरी पर लगी थी। काम करते समय कभी कभी ब्रुश की नोक को दांतों के बीच दबाने की इसकी आदत थी। 16 वर्ष पश्चात् उसका सामने का दांत ढीला होकर गिर पड़ा और इसके 6 वर्ष पश्चात् उसकी टांग में कैन्सर रोग हो गया । उसके शरीर की परीक्षा करने पर उसमें रेडियमधर्मी रेडियम ही निकला।

रोएन्टेजन किरणों की खोज से पूर्व रेडियोलोजिस्ट इनके विकिरण होने से उत्पन्न संकट से अनभिज्ञ थे जिसके कारण या तो उन्हें अपने शरीर के अंग से हाथ धोना पड़ा, अथवा वे कैन्सर रोगों से ग्रस्त हो गये और उनकी मृत्यु हो गई।

इस सम्बन्ध में 20 वर्ष पूर्व हिरोशिमा और नागासाकी में हुए अणुबमों के विस्फोटों के दुष्परिणामों का स्मरण हो आता है। यद्यपि इनसे समस्त मानव जाति का समूल विनाश नहीं होता परन्तु धीरे धीरे विष शरीर में फैलता है और दूषित वायु के हो जाने से मृत्यु हो जाती है ।

सभा में पिछले दो दिनों से अणु शक्ति के शांतिप्रिय और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए उपयोग की बजाय अणु बम बनाने के लिए उपयोग करने के पक्ष में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। उन माननीय सदस्यों ने विश्व के महान् वैज्ञानिकों की अणु विस्फोट न करने की अपील को पूर्णतया भुला दिया है। प्रधान मंत्री के अणु बम न बनाने के तर्कपूर्ण भाषण से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है और मुझे आशा है कि इस बारे में जिन सदस्यों के मन में सन्देह हैं वे अब दूर हो जायेंगे।

बहुत से खाने के काम में आने वाले पदार्थों में नशीले पदार्थ मिला दिये जाते हैं जिनसे कई प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं। पानी के दूषित हो जाने के कारण भी कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। पानी में फ्लोराइड के होने से हड्डी का रोग हो जाता है। सोडा, लेमन आदि की बोतलों में भी बेनीजीन तथा पेट्रो-कैमिकल उत्पाद मिलाये जाते हैं जिनको अधिक मात्रा में लिये जाने से भी रोग फैल जाता है।

अपमिश्रण करने वाले व्यक्तियों को पकड़ना तथा उन्हें दण्डनीय सिद्ध करना आसान काम नहीं है। ये लोग सरकार कर्मचारियों की अपेक्षा बहुत अधिक चालाक हैं और हमें यह भी ध्यान में रखना है कि नमूना लेने तथा उसके अन्तिम विश्लेषण तक प्रत्येक स्तर पर सांठगांठ, भ्रष्टाचार तथा घूस का बाजार गरम रहता है। बहुत चतुर वकील इन सामाजिक

अपराधियों की पैरवी करते हैं और वे तथ्यों को बदलने में बड़े ही माहिर होते हैं। न्यायिक कार्यवाही में भी बहुत अधिक देरी की जाती है और यदि दोष सिद्ध भी हो जाता है तो उनको थोड़ा बहुत जुर्माना किया जाता है। इसीलिये यहां पर कड़े दण्ड की बात कही गई है ताकि उन्हें भविष्य में ऐसा काम करने की हिम्मत ही न हो सके।

यहि बुराई केवल कानून द्वारा दूर नहीं की जा सवती। इसे समाज में नैतिक सिद्धान्तों के प्रति जागृति उत्पन्न करके हल किया जा सकता है। हमें एक आचरण संहिता तयार करनी चाहिये और उसका अपने दैनिक जीवन में पालन करके दूसरों के लिए उदाहरण पेश करना चाहिये। हमें अपनी योजनाओं को प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने तथा लोगों को अन्य सुविधाएं उपलब्ध करने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिये अपितु नैतिक शिक्षा की ओर भी पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये। नैतिक आदर्शों के लिये भारत को पहले बहुत ख्याति प्राप्त थी और उन्हीं आदर्शों को फिर से जीवन में उतारने की बहुत अधिक आवश्यकता है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : अपमिश्रण की बुराई केवल खाद्य पदार्थों तक ही सीमित नहीं है अपितु यह हमारी विचारधारा तथा राजनीति में भी प्रवेश कर गई है। मैं कड़े दण्ड की व्यवस्था किये जाने के पक्ष में हूं परन्तु सथि ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि छोटे व्यापारियों जो मुख्यतया दूध तथा दूध से बने उत्पादों से सम्बन्धित हैं तथा छोटे कुटीर उद्योग चलाने वालों को तंग नहीं किया जाना चाहिये।

मेरी राय में दण्ड सम्बन्धी वर्तमान उपबन्ध पर्याप्त है परन्तु उन्हें ठीक तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया है। आजकल ऐसा कोई सरकारी अथवा गैर-सरकारी स्टोर नहीं है जहां से हम बिना मिलावट की हुई चीजें खरीद सकें। खाद्य निगम की तरह का कोई निगम स्थापित किया जाना चाहिये जहां से हम बिना मिलावट किये हुए खाद्य पदार्थ प्राप्त कर सकें।

वर्तमान अधिनियम की धारा 16 का प्रस्तावित संशोधन बहुत आपत्तिजनक है। इसके द्वारा हम न्यायालय के तथ्यों के आधार पर सजा कम करने के अधिकार को छीन रहे हैं। छोटे छोटे अपराधों के लिए भी उन्हें छै महीने के कारावास का दण्ड देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि मामूली अपराधों के लिए छोटे व्यापारियों को तंग नहीं किया जाना चाहिये। प्रवर समिति में डा० सुशीला नायर ने आश्वासन दिया था कि मामूली अपराधों के लिये केवल 5 अथवा 10 रु० जुर्माना किया जायेगा, परन्तु प्रवर समिति द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में ऐसा कोई संशोधन दिखाई नहीं देता।

अपमिश्रण तभी दण्डनीय होना चाहिये जब ऐसा करने से कोई पदार्थ स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक हो जाता है। हमारे दूध निगम टोंड दूध बनाने के लिए दूध में पानी मिलाते हैं। इसे अपमिश्रण नहीं समझा जाता क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिये कुछ मामलों में हम अपमिश्रण की अनुमति देते हैं तथा कुछ में नहीं। कानून में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे उसका दुरुपयोग न किया जा सके।

वर्तमान अधिनियम की धारा 23 के अन्तगत जो नियम बनाए गये हैं वे मनमाने ढंग से बनाये गये हैं। उदाहरण के लिए जो घी गुजरात में शुद्ध समझा जाता है वह बम्बई में जा कर अशुद्ध हो जायेगा। देशी मवखन को सरकारी प्रयोगशालाओं द्वारा मिलावटी ठहराया जायेगा

क्योंकि इसमें अधिक नमी होती है इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि मानक ठीक प्रकार से निर्धारित किये जायें और नियम ऐसे होने चाहियें जिससे मामूली अपराधों के लिए लोगों को दण्ड न दिया जा सके :

सरकारी प्रयोगशालाएं पुराने ढंग की हैं और उन में आधुनिक उपकरण भी नहीं हैं । इनके अभाव में सरकार अपमिश्रण की मात्रा के बारे में सही निर्णय पर नहीं पहुंच सकती । इसलिये इस ओर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ।

प्रस्तावित विधान तब तक लागू नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि खाद्य अपमिश्रण रोक नियम, 1955 सरकार द्वारा नियुक्त की जाने वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा संशोधित नहीं किये जाते हैं । नियमों के बिना अधिनियम का कोई महत्व नहीं है । हम वर्तमान विधेयक द्वारा कारावास तथा अर्थदण्ड दोनों की व्यवस्था करने जा रहे हैं । मेरा सुझाव है कि दण्ड संबंधी खण्ड में "कारावास तथा अर्थदण्ड" के स्थान पर "कारावास अथवा अर्थदण्ड" शब्द रख दिये जायें । इससे मेरा अभिप्राय यह है कि मामली अपराधों के लिये केवल अर्थदण्ड की व्यवस्था ही पर्याप्त है । सब राज्यों में एक ही प्रकार के नियम लागू किये जायें । वे भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नहीं होने चाहियें जैसा कि इस समय है । विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा निर्धारित किये गये मानकों में अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए, से भी अर्थात् किसी विशेष दूध के लिये भिन्न भिन्न मानक निर्धारित नहीं किए जाने चाहिएं ।

श्री शं० शा० मोरे : भ्रष्टाचार की तरह अपमिश्रण भी हमारे देश में खूब किया जा रहा है । कठोर दण्ड की व्यवस्था द्वारा ही इस बुराई को समाप्त किया जा सकता है और इसी उद्देश्य से यह संशोधन विधेयक लाया गया है । परन्तु मेरी राय में प्रस्तावित खंड 9 द्वारा इसे समाप्त नहीं कर सकते । जिन व्यापारियों ने अपमिश्रण के काम में निपुणता प्राप्त कर रखी है वे इस खंड के उपबन्धों बच निकलेंगे । अपमिश्रण को वस्तुओं के निर्माण के समय ही रोका जाना चाहिये ।

प्रस्तावित विधेयक में यह उपबन्ध है कि यदि खुदरा व्यापारी बड़े व्यापारियों से वारंटी पर माल खरीदते हैं तो वे दण्ड के भागी नहीं होंगे । परन्तु भारत में शिक्षा के निम्नस्तर के कारण सभी खुदरा व्यापारियों का ऐसी वारंटी प्राप्त करके स्वयं को दण्ड से बचाने की ओर ध्यान नहीं जायेगा । इसलिये मेरा अनुरोध है कि ऐसे मामलों में उन्हें कड़ी सजा नहीं दी जानी चाहिए । प्रवर समिति में भी इस प्रकार का आश्वासन दिया गया था ।

जब हम इतने कड़े दण्ड की व्यवस्था करने जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि इस कानून का पालन कराने वाले कर्मचारियों को घूस आदि का प्रलोभन दिया जा सकता है । इसलिये गम्भीर अपराधों तथा तकनीकी अपराधों के बीच भेद किया जाना चाहिये ताकि छोटे व्यापारियों को तंग न किया जा सके । एक ही पदार्थ के नमूने की जांच का परिणाम भिन्न-भिन्न प्रयोगशालाओं में भिन्न भिन्न होता है क्योंकि यह बहुत सी अन्य बातों पर निर्भर करता है । इसलिये विभिन्न प्रदेशों में इस प्रकार के अन्तर को ध्यान में रखना होगा । यदि प्रत्येक राज्य में समान मानक निर्धारित करने की कोशिश की गई तो निर्दोष व्यक्ति भी इसका शिकार हो जायेंगे ।

प्रस्तावित विधान को तब तक लागू नहीं किया जाना चाहिये जब तक नए नियम नहीं बनाए जाते हैं । मानक समिति में व्यापारियों के प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया जाना चाहिए । मुझे उनके साथ कोई विशेष सहानुभूति नहीं है, परन्तु बिना किसी अपराध के किसी पर अभियोग चलाने से अपमिश्रण की समस्या हल नहीं हो सकती ।

ज़िला स्तर पर प्रयोगशालाएं खोली जानी चाहिएं जिससे कि लोग अपने माल की परीक्षा करा सकें और इस प्रकार कानून से अपनी रक्षा कर सकें। खुदरा व्यापारियों तथा बड़े व्यापारियों के बीच भेद किया जाना चाहिए। बड़े व्यापारी ही सबसे अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। इसलिये उनके अपराधों के लिये छोटे व्यापारियों को दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए। इसके लिए मंत्रालय में एक पृथक विभाग खोला जाना चाहिये जो बड़े व्यापारियों पर नज़र रखे। अपमिश्रण की बुराई को धीरे-धीरे समाप्त करने की कोशिश की जानी चाहिए। हालांकि कड़े दण्ड की व्यवस्था करना ज़रूरी है फिर भी किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मुझे डर है कि घी वालों तथा मक्खन वालों का रोजगार छिन जायेगा क्योंकि वे इस विधेयक के कड़े उपबन्धों से अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं। इसके विपरीत, मंझे हुए अपमिश्रण-कर्ताओं के प्रोत्साहन से बड़े व्यापारी चतुर वकील करके इसके उपबन्धों से शीघ्र साफ बच निकलेंगे। सरकार को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए

मैंने अपना सुझाव दे दिया है। वह यह है कि छोटे-छोटे लोगों को छोड़ देना चाहिए और बड़े लोगों को पकड़ना चाहिए। अफसरों का भी काफी हाथ रहता है, उन्हें भी माफ नहीं करना चाहिए। संयुक्त समितियों के बारे में मेरा यह अनुभव है कि उन पर मंत्री छाये रहते हैं।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : मेरा निवेदन यह है कि जो कुछ श्री मोरे ने कहा है वह ठीक नहीं है। हमने कई बार सरकारी सुझावों का विरोध किया है और मंत्री महोदय ने हमारी बात स्वीकार की है।

श्री शं० शा० मोरे : यह मैं मानता हूं कि संयुक्त समिति स्वतंत्ररूप से निर्णय करती है। मेरा उद्देश्य संयुक्त समति के सदस्यों के प्रति किसी भी प्रकार का अनादर भाव व्यक्त करने का नहीं था। मेरे दिल में उन माननीय सदस्यों के लिए बहुत ही गहरा आदरभाव है और उन में कुछ तो मेरे परम मित्र हैं।

डा० सरोजिनी महिषी (धारवाड़-उत्तर) : संयुक्त समिति की सभापति होने के नाते मैं श्री मोरे की बात का प्रतिवाद करती हूं। जो भी गवाहियां अथवा अन्य कार्यवाही होती है, जैसा कि श्री चटर्जी ने कहा, उसकी ओर मंत्री महोदय पूर्ण ध्यान देते हैं।

श्रीमती रेणुका राय (माल्दा) : गत दिसम्बर में भी इस तरह का संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, क्योंकि यह अनिवार्य था। जून में संयुक्त समिति का प्रतिवेदन आया और गत सत्र में सदन के समक्ष प्रतिवेदन भी रख दिया गया। गत सत्र में हमें इस पर विचार करने का अवसर नहीं मिला। न केवल संयुक्त समिति के सदस्य, प्रत्युत आज तो सारे देश में यह महसूस किया जा रहा है कि खाद्य वस्तुओं में बड़े व्यापक पैमाने पर मिलावट हो रही है। वर्तमान कानून के कारण राज्य सरकार उसका प्रभावशाली ढंग से मुकाबला नहीं कर सकी। यही कारण है कि हम संयुक्त समिति द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर इस में संशोधन करने पर विचार कर रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि विधेयक में कठोर दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहती हूं कि अधि-नियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करना अत्यन्त आवश्यक है। संयुक्त समिति ने विधेयक में जो परिवर्तन किये हैं, वे उपयोगी ही है।

मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहती हूं कि जो लोग खाद्य पदार्थों में विषैले पदार्थों का मिश्रण करते हैं वे बहुत बड़ा भंयकर अपराध करते हैं। उससे लोगों की मृत्यु तक हो जाती हैं। यदि मृत्यु नहीं होती तो कम से कम खाने वाले का स्वास्थ्य तो स्थायी रूप से खराब हो ही जाता है। इस प्रकार के

भयंकर अपराध करने वालों को मृत्यु दण्ड तो दिया ही जाना चाहिए। यदि यह दण्ड न दिया जाय तो कम से कम उनकी सम्पत्ति तो जब्त हो ही जानी चाहिए। मेरा विचार तो इस मामले में यह है कि विधेयक दंड सम्बंधी खंड में संयुक्त समिति ने जो व्यवस्था करने का सुझाव दिया है, उससे कही कड़ी सज़ा, इस अपराध के लिए दी जानी चाहिए और इसका उपबन्ध खंड में किया जाना चाहिए।

मुझे इस व्यवस्था से भी हर्ष है जो कि संयुक्त प्रवर समिति ने की है कि दोबारा अपराध करने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा। इससे ईमानदार व्यक्ति बच जायेंगे और जो लोग अपराधी मनोवृति के हैं उन्हें पकड़ा जा सकेगा। अतः इस उपबन्ध को मैं बहुत ही उपयोगी और स्वस्थ उपबन्ध समझती हूं। इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन है कि हमें आपत्तियों की चिन्ता न करके वे सभी उपाय करने चाहिएं जिससे मिलावट को रोका जा सके। साथ ही मैं यह भी आशा करती हूं कि नियम बनाये जाने पर, लोगों को पर्याप्त संरक्षण दिया जायेगा और तकनीकी अपराध करने वालों के विरुद्ध वैसी कड़ी कार्यवाही नहीं की जायेगी, जैस कि मिलावट करने वालों के विरुद्ध वास्तविक अपराध करने पर की जाय। यह भी आशा करनी चाहिए कि यह विधेयक शीघ्र ही सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा, क्योंकि इसके बिना राज्य सरकारों को इस मामले में निपटने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन शब्दों से मैं इस विधान का समर्थन करती हूं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

Shri Rameshwaranand (Karnal) : Every where in the country there is food adulteration. The evil is so wide spread, that you cannot get any thing pure today. Nothing is free from adulteration. I urge upon the Government that it should try to find out the causes of adulteration in order to deal with the problem.

I am of the opinion that our policy of secularism is also responsible for this adulteration. People are becoming irreligious and immoral under the pressure of this secularism. People don't feel the sense of righteousness and morality. The result of all these is that people don't hesitate to commit crimes. I want to urge that Government should give serious consideration to this matter.

Another reason, which I feel is the cause of this adulteration is the prevailing high prices. Government have done nothing in this direction. I feel that until and unless food stuffs are made available to every person at cheaper rate this problem will remain unsolved. At the same time the only way to bring down the prices is to increase production.

I shall urge that the severe punishments should be given to those who are found indulging in this nefarious crime of adulteration. In the cases of serious crimes, the offenders should be shot dead. It is really sad that the inspectors and the enforcement staff were so corrupt that they don't bring culprits to book. Some reward should be given to the honest officers, so that they may have sufficient incentive to do their duty honestly.

I am also of the opinion that Government should not depend solely on the official machinery. They must adopt other methods also to check this evil. Sometimes the Ministers should also go privately to see for themselves what is actually happening in this connection.

श्री हिम्मतसिंहका (गोंडा) : इस विधेयक द्वारा वर्तमान अधिनियम में कुछ परिवर्तन किये गये हैं, और कुछ कड़ी सजाओं के उपबन्ध किये गये हैं। यदि इस अधिनियम को ठीक ढंग से कार्यान्वित किया जाय तो बहुत सी बुराइयां ठीक हो सकती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रख सकेंगे।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

महात्मा गांधी की हत्या के बारे में पूना में श्री जे० बी० केतकर का कथित भाषण

डा० सरोजिनी महिषी (धारवाड़---उत्तर) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान निम्न-लिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करवाती हूं और निवेदन करती हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :---

"महात्मा गांधी की हत्या करने की योजना के बारे में पूना में श्री जे० बी० केतकर का कथित भाषण।"

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : महोदय, हाल ही में महात्मा गांधी हत्या काण्ड के तीन अपराधियों के रिहा होने पर समाचार पत्रों में कुछ विवरण देखने में आये हैं, जिनसे बहुत अधिक दुःख और रोष उत्पन्न हुआ है। इन विवरणों के अनुसार जिनकी पुष्टि बाद में राज्य सरकार द्वारा की गई है, उन अपराधियों में से दो---गोपाल गोडसे और विष्णु करकरे---की रिहाई पर उनका अभिनंदन करने के लिए 12 नवम्बर, 1964 को पूना में एक सभा का आयोजन किया गया। उस सभा का सभापतित्व करते हुए श्री केतकर, तरुण भारत के संपादक ने दावा किया कि उसे नाथूराम गोडसे के महात्मा गांधी की हत्या करने के इरादे की जानकारी थी और उसने यह सूचना बाबू काका कानेटकर द्वारा स्वर्गीय श्री बी० जी० खेर को जो उस समय बम्बई के मुख्य मंत्री थे, पहुंचा दी थी। उसने आगे चल कर कहा बतलाते हैं कि उसने नाथूराम गोडसे को अपने इरादे पर अमल करने से हटाने का प्रयत्न किया था। 15 नवम्बर, 1964 को पूना में एक दूसरी सभा में जो महात्मा गांधी के हत्यारे का निधन दिवस मनाने के लिए की गई थी, श्री केतकर ने उस वक्तव्य को सारतः दोहराया। चूंकि अब बाबू काका कानेटकर और श्री खेर दोनों ही नहीं रहे, श्री केतकर के इस दावे का कि उसने नाथूराम गोडसे के महात्मा गांधी की हत्या करने के इरादे की जानकारी को श्री खेर को पहुंचा दी थी, तुरन्त सत्यापन करना सम्भव नहीं है। पुराने अभिलेखों की सहायता से और महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से, सरकार इस मामले में पूरी पूछ-ताछ कर रही है। इस बीच में, मुझे पता लगा है कि पूना के ज़िला दंडाधिकारी ने गोपाल गोडसे, एन० जी० अभ्यंकर, पी० वी० डावरे और जी० वी० केतकर को सार्वजनिक व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा के किसी भी ढंग से प्रतिकूल कोई कार्य करने से रोकने के लिये, उनके विरुद्ध, भारत रक्षा नियमों के नियम, 30 के अधीन नज़रबन्दी के आदेश दे दिये हैं। इनमें से गोडसे, अभ्यंकर और डावरे को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि केतकर पूना में नहीं मिल रहा है, उसका पता लगाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं, ताकि उसे

नज़रबन्द किया जाये । अहमदनगर के ज़िला दंडाधिकारी ने इसी प्रकार का नज़रबन्दी का आदेश वी० आर० करकरे के विरुद्ध दे दिया है और वह गिरफ्तार कर लिया गया है । राज्य सरकार इन और दूसरे अवांछनीय व्यक्तियों की कार्यवाहियों से उत्पन्न स्थिति के बारे में सचेत है और सभी सम्भव सतर्कता बरत रही हैं । वे जिन दूसरे किसी उपायों की आवश्यकता हो सकती है उन पर भी बहुत गम्भीरता से ध्यान दे रही है ।

इस मामले में चाहे कोई सचाई हो या नहीं हो, इस बात से सरकार और देश के लोगों को गहरा दुःख हुआ कि सब युगों के महानतम व्यक्तियों में से एक, जिसकी याद इसी देश में ही नहीं अपितु सारे संसार में बड़े आदर और प्रेम से की जाती है, उसके हत्यारे का निधन दिवस मनाया जाये और उसकी हत्या से सम्बन्धित अन्य अपराधियों का उनकी रिहाई पर एक सार्वजनिक सभा में अभिनंदन किया जाये । यह आश्चर्य का विषय है कि ऐसा कार्य जो माननीय शिष्टता और इस प्राचीन देश में समय के आदि काल से पोषित किये गये उच्चतम गुणों की दृष्टि से इतना घृणित है, उसने हमारे देशवासियों के एक बहुत ही छोटे भाग को भी प्रभावित किया ।

डा० सरोजिनी महिषी : इस पापमय कृत्य किए जाने के 16 वर्षों के बाद पूना के पत्रकार ने स्वीकारोक्ति की है । उन्होंने समझा है कि अपराध का ज्ञान होना कोई अपराध नहीं है । मैं जानना चाहती हूं कि सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री नन्दा : इस मामले में जांच की जायेगी । कुछ लोगों को नजरबन्द कर लिया गया है । अतः क्या कार्यवाही होगी, यह आगे की बात है । परन्तु इस प्रकार की शक्तियों पर पूर्ण नियन्त्रण रखने की व्यवस्था कर दी गई है ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (बलरामपुर) : क्या गोडसे के स्वागत में कुछ आर० एस० एस० के नेता भी सम्मिलित हुए, यदि हां, तो क्या सरकार संस्था पर रोक लगाने के मामले पर विचार करेगी ?

श्री नन्दा : जो कुछ भी होगा उस पर पूरी तरह विचार होगा ।

श्री अन्सार हरवानी : मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर लगायी गई रोक वापिस क्यों ली थी । जब कि संघ के नेता गोडसे का स्वागत कर रहे हैं, क्या उन पर रोक लगायी जायेगी ?

श्री नन्दा : इस सुझाव पर विचार किया जायेगा । रोक हटाने वाली बात पुरानी हो गई है ।

Shri Tulshi das Jadhav (Nanded) : This undesirable mentality is present in a small section in Maharashtra and this has an old origin. right from the days of Mahatma Gandhi. It is still alive and the culprits after being released are making once again the demonstration of this mentality

Shri Nanda : I agree, we must try to crush this mentality, for ever. We will try to finish it and Government are taking necessary steps in this direction, Maharashtra Government is also thinking to do everything in this matter and we are also thinking over the matter. Some agitation is contemplated by Gandhi Memorial Fund also, which we all must support.

श्री सोनावने : क्या यह भी सत्य है कि महात्मा गांधी की हत्या पर लोगों में मिठाइयां बांटी गई थी। क्या ऐसे लोगों को तलाश करके उन्हें सज़ा दी जायेगी ?

श्री नन्दा : सारे मामले के साथ इसे भी देखा जायेगा।

Shri J.P. Jyotishi (Sagar) : Whether Government have enquired and found out the names of the persons who organized the function and the names of those who were invited to it and gave financial help ? Whether some of them have been arrested ?

Shri Nanda : Some persons have been arrested. Nothing can be said in this matter at present.

Shri D.D. Mantri (Bhir) : whether the Reception was organized by some individuals or there is some party behind it, whether some action is taken against them.

Shri Nanda : Maharashtra Government are looking into the mater.

उपाध्यक्ष महोदय : सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा वीरवार 26 नवम्बर, 1964/5 अग्रहायण 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, November, 26, 1964/Agrahayana 5, 1886 (Saka).

GMGIPND—LSIII—2034(Ai) LSD—30-3-65—600